

प्रौद्योगिकी प्रचालन प्राचलों पर प्रौजनियों पर सरकारी संकल्प

(28/04/2011 से 31/03/2012)

वस्त्र मंत्रालय

सं.6/5/2011-प्रौजनियों

नई दिल्ली , 28 अप्रैल, 2011

संकल्प

उद्देश्य :-

- पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से संबंधित सरकारी संकल्प में इस योजना हेतु वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी मानक एवं इसके कार्यान्वयन के तरीके की जानकारी दी गई है और यह इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 31.03.2012 तक और इसमें आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा समग्र रूप से इस अवधि के दौरान रूपये 1972 करोड़ होगी ।
- प्रौजनियों वर्ष 1999 में वस्त्र एवं जूट उद्योग के सभी उप क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 प्रतिशत व्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में शुरू की गई । प्रारम्भ में यह योजना अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 के लिए मंजूर की गई और बाद में यह योजना वर्ष 2004 में एवं पुनः 2007 में संशोधनों के साथ बढ़ाई गई । प्रौजनियों के अंतर्गत विगत तीन (3) वर्षों में अब तक पर्याप्त रूप में बढ़ोत्तरी हुई है । इस योजना के प्रारम्भ से अब तक रूपये 11,196 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई है जिसमें रूपये 8883 करोड़ की राशि पिछले तीन (3) वर्षों में जारी की गई । प्रौजनियों में इसके 11 (ग्यारह) साल के कार्यकाल में रूपये 2.08 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ावा दिया ।
- इस योजना का मूल्यांकन एक स्वतंत्र व्यावसायिक सलाहकार मेसर्स क्रिसिल ने बताया है कि प्रौजनियों के चलते उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लागत एवं अपव्यय में कमी तथा समग्र रूप में गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी में सहायता हुई है । यद्यपि प्राप्त लाभ सम्पूर्ण उद्योग विस्तार के क्षेत्रों में हुआ है इसके साथ ही प्रोसेसिंग एवं विद्युत करघा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस अध्ययन द्वारा सुझाव दिया गया है कि समग्र रूप से अधिकतम गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रौजनियों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है और इसके तहत अब तक के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिये गये दोनों क्षेत्रों में निवेशों को बढ़ावा देने की जरूरत है ।
- मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के महेनजर सरकार ने इस योजना को पुनर्गठित करने का शीघ्र फैसला किया है और इसके तहत अब तक के अपेक्षाकृत कम ध्यान दिये गये क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है जिसमें समग्र गुणवत्ता की कड़ी में संतुलित वृद्धि की जा सके और जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आर्थिक सहायता पूर्णतः खुली हुई नहीं है बल्कि इसकी एक निश्चित सीमा है । तदनुसार मौजूदा योजना के रद्द कर दिया गया है और इस योजना के तहत दिनांक 29.06.2010 से नई मंजूरी नहीं दी जा रही है और इसकी सूचना सभी प्रमुख ऋणदाता संस्थानों को दे दी गई है । हालाँकि दिनांक 01.04.1999 से

28.06.2010 के दौरान मंजूर ऋणों पर उस समय के लागू मानक ही लागू होंगे । और वस्त्र आयुक्त उक्त अवधि के लिए सरकारी देयताओं हेतु सुरक्षा कवच होंगे ।

5. मौजूदा योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए निवेशों को शक्ति प्रदान करता है । और वे भी इन उद्योगों के समग्र क्षेत्रों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान रखते हुए । मौजूदा पुनर्गठित प्रौडनियों का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत दिया है :-

- (क) मुख्यतः इकाईयों के विखंडन की समस्या को हल करते हुए कताई के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति करके उन्हें बुनाई /नीटिंग /प्रोसेसिंग /गार्मेटिंग क्षमता के स्तर को प्राप्त कराना है ।
- (ख) निवेश के उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना जहाँ अपेक्षाकृत निवेश की आवश्यकता पड़ती है जैसे प्रोसेसिंग ।
- (ग) वित्तीय स्थिति को सुधारने की दृष्टि से पुर्णअदायगी की अवधि को कम करके 7 वर्ष करना जिसके 2 वर्ष की ऋणस्थगत अवधि शामिल है ।
- (घ) बुनाई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु नये शटल रहित करघों युक्त संस्थाओं के लिए उच्च पूंजीगत आर्थिक सहायता । इससे पुराने करघों को कम करने में सहायता मिलेगी तथा मध्यम से मूलतः पुराने करघों को पूरी तरह हटाया जा सकेगा ।
- (ङ) एस एस आई इकाईयों की उच्च सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत सीमा को बढ़ाया जायेगा ।
- (ङ) पुनर्गठित / पुनर्निधारित मामलों की पात्रता को प्रारम्भिक ऋण अदाएगी अवधि तक ही सीमित रखा जायेगा और पुनर्निधारित मामलों की में आर्थिक सहायता संबंधी अधिकता को टाला जाए ।
- (ज) पुनर्गठित योजना का गठन इस प्रकार किया जाए कि आर्थिक सहायता असीम न होकर रूपये 1972 करोड़ की निश्चित सीमा तक ही हो ।
- (झ) बेहतर प्रशासनिक एवं देख रेख नियंत्रण को इसमें शामिल किया जाए जिसमें मंजूरी से पूर्व तथा अंतर मंत्रालयीन देख रेख समिति जिसकी अधिक्षता सचिव वस्त्र करेंगे के गहन छानबीन से पूर्व वस्त्र आयुक्त, मुम्बई द्वारा प्राधिकृत दावे शामिल हैं ।
- (6) उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र सरकार यह संकल्प करती है कि पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, वस्त्र एवं पटसन उद्योग के लिए इस संकल्प की तिथि से दिनांक 31.03.2012 तक जारी रहेगी ।
पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत मंजूर ऋणों के लिए वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नवत होंगे :-
- (i) ऋण दाता संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत मौजूद योजनाओं पर लिए जाने वाले 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी । । यद्यपि नई कताई प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण संबंधी कताई मशिनरियों पर उन इकाईयों के जिनकी उन पर बुनाई / नीटिंग /प्रोसेसिंग /गार्मेटिंग की समान क्षमता हो ।

- (ii) विदेशी मुद्रा विनिमय में होने वाले उत्तार-चढ़ाव /फारवर्ड कवर विनिमय जो कि 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी यह नई सिर्फ कताई इकाई /प्रतिस्थापन /कताई मशीनरी के आधुनिकरण के लिए होगी अन्य के लिए यह 4 प्रतिशत होगी ।
- (iii) पावरलूम इकाईयों एवं स्वतंत्र प्रीपरेटरी इकाईयों को आर्थिक सहायता हेतु पुनर्गठित प्रौजनियों के तहत 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता प्रौजनियों में निवेश करने पर विनिर्दिष्ट मशीनरी हेतु आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख एवं मार्जिन मनी वसिसदी की सीमा रुपये 60 लाख तक होगी । यद्यपि बिलकुल नये शटल रहित करघो के लिए मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 1 करोड़ होगी । लाभर्धियों का अंशदान न्यूनतम 15 प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (iv) वस्त्र एवं पटसन की एस एस आई इकाईयों को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 15 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता प्रौजनियों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर निवेश करने पर रुपये 5 लाख आर्थिक सीमा एवं मार्जिन मनी सब्सिडी की सीमा रुपये 45 लाख होगी । लाभर्धियों का न्यूनतम 15 प्रतिशत अंशदान सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (v) विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग, गार्मेंटिंग एवं टेक्नीकल टेक्सटाइल मशिनरी को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति तथा 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता
- (vi) कॉमन इफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (सी ई टी पी) पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं ।
- (vii) नये शटलरहित करघों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जायेगी ।
- (viii) ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता / पूंजीगत सहायता / मार्जिन मनी संबंधी आर्थिक सहायता मशिनरी के बेसिक वैल्यू पर होगी यह मूल्यांकन उद्देश्य हेतु टैक्स के हिस्से को छोड़कर होगी ।
- (ix) करघे से पूर्व एवं करघे के बाद की गतिविधियों संबंधी क्रियाओं हथकरघों / हथकरघा आधुनिकीकरण एवं टेस्टिंग तथा क्लालिटी कन्ट्रोल उपस्करों हथकरघा एवं उत्पादकों हेतु 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता एवं इसके साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी ।
- (x) सिल्क क्षेत्र के लिए भी हथकरघा क्षेत्र के समान ही विनिर्दिष्ट मशिनरियों हेतु 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा साथ ही 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी
- (xi) यह योजना केवल स्वचालित शटलरहित करघों जों 10 वर्ष पुराने हों और जिनकी अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष हो के लिए लागू होगी । स्वचालित शटल रहित करघे के लिए मूल्यमान सीमा का निर्धारण तकनीकी सलाहाकार देखरेख समिति (टी ए एम सी)द्वारा किया जायेगा ।

- (xii) फैक्टरी बनाने , फैक्टरी चालू होने से पहले के व्यय एवं पूँजीगत राशि हेतु मार्जिन मनी जो एपरेल क्षेत्र एवं हथ करघा क्षेत्र के लिए बनाई गई योजना अनुरूप प्रतिपूर्ति प्राप्ति के पात्र होंगे इसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होगी । यदि एपरेल / हथकरघा इकाई अन्य किसी गतिविधि में है तो इस शीर्ष के तहत पात्र निवेश सिर्फ प्लाण्ट एवं मशिनरी जो एप्रिल एवं हथकरघा की उत्पादन के कार्य में रह हैं उन तक ही सीमित होगा ।
- (xiii) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष के लिए होगी इसमें 2 वर्ष की कार्यान्वयन / स्थगत अवधि सम्मिलित है ।
- (xiv) पुनर्गठित मामलों में आर्थिक सहायता प्रारम्भिक तौर पर मंजूर ऋण की राशि ऋणदल संस्थान द्वारा पुर्नभुगतान के लिए तय समय सीमा तक जो वस्त्र आयुक्त कार्यालय को विहित प्रपत्र में दी गई है तक सीमित होगी ।
- (xv) कॉमन इफयूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (सी ई टी पी) एवं अन्य निवेश जैसे एनर्जी सेविंग दिवाइसी , इन हाऊस आर एण्ड डी आई टी जिसमें ई आर पी सम्मिलित है, टी क्यू एम जिसमें आई एस ओ बी आई एस मानकों ग्रहण करना शामिल है, सी पी पी एवं इलेक्ट्रीक्स इन्स्टालेशन इत्यादि पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के अतर्गत पात्र नहीं होंगे ।
- (xvi) समग्र रूप से आर्थिक सहायता की सीमा रूपये 1972 करोड़ इस संकल्प से जारी होने से दिनांक 31.03.2012 तक होगी जिसके कुल रूपये 46900 करोड़ रूपये निवेश को बढ़ावा देने की सम्भावना है इसमें क्षेत्रवार आधार पर 26 प्रतिशत कताई, 13 प्रतिशत बुनाई, 21 प्रतिशत प्रोसेसिंग, प्रतिशत गार्मेटिंग एवं 32 प्रतिशत अन्य होगा ।
- (xvii) यह योजना द्विस्तरीय देख रेख पद्धति पर कार्य करेगी जैसा कि पैरा IV में विवरण दिया है । क्षेत्रवार सीमा की समीक्षा आई एम एस सी (अन्तर मंत्रालयीन छानबीन समिति) टी ए एम सी के सिफारिश पर की जायेगी ।

7. पुनर्गठित योजना का विस्तार का विवरण पात्रता का आधार एवं प्रचालन संबंधी मानक निम्नवत होंगे

योजना का विस्तार :-

पुनर्गठित प्रौद्योगिकों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे :-

- (क) कॉटन जीनिंग एवं प्रोसेसिंग
- (ख) टेक्सटाईल इंडस्ट्री जिसमें निम्न होंगे :-

 - (i) सिल्क रीलिंग एवं द्विस्टींग
 - (ii) वूल स्काउटिंग कोम्बिंग एवं कार्पेट इडस्ट्री
 - (iii) सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सटाइजिंग, क्रीमपींग एवं द्विस्टींग
 - (iv) स्पीनिंग
 - (v) विस्कोज स्टेपल फायबर (वी एस एफ एवं विस्कोज फिलामेण्ट यार्न (वी एफ वाई)

- (vi) बुनाई नीटिंग एवं फैब्रिक इम्ब्राइड्री
- (vii) टेक्नीकल टेक्सटाइल गैर वूवन सहित
- (viii) गारमेंट /डिजाइन स्टुडियो /मेड अप मैन्युफैक्चरिंग
- (ix) फ्रांसिक ,यार्न , फ्रांसिक फायबर से बने हुए वस्त्र

सी . जूट उद्योग ।

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन की परिभाषा

प्रौद्योगिकी उन्नयन का सामान्यतः अर्थ आधुनिकतम या आधुनिकतम के आस-पास की प्रौद्योगिकी का समावेश होना चाहिए । परन्तु भारतीय वस्त्र उद्योग के व्यापक रूप से परिवर्तनशील बहुआयामी प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर से परिवर्तनशील कम से कम एक सार्थक कदम ऐसे आएगा उद्योग को सार्थक मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा। तदుसार प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये निर्दिष्ट मशिनरी के लिए प्रौद्योगिकी कुछ स्तर सुनिश्चित किए गए हैं। उक्त विनिर्दिष्ट स्तर से निचले स्तर की मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निधि देने के लिए पात्र नहीं होगी।

2. पात्र मशिनरी (ऐलिजिबल मशिनरी) :

पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की मशिनरी नई इकाई में स्थापित करना या वर्तमान इकाई में पुरानी मशिनरी को बदलने या उसका विस्तारण पात्र होगा।

2.1	कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग	परिशिष्ट -ए
2.2	स्पिनिंग/सिल्क रिलिंग एण्ड ड्वीसटींग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सराइझिंग क्रिम्पींग एण्ड ड्विस्टिंग	परिशिष्ट –बी-1
2.3	वूल स्कारिंग काम्बिंग तथा कारपेट उद्योग	परिशिष्ट- बी-2
2.4	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विस्कोस फिलामेन्ट यार्न और विस्कोस स्टेपल फाइबर	परिशिष्ट -सी
2.5	विविंग/निटिंग	परिशिष्ट –डी -1
2.6	तकनीकी वस्त्र एवं गैर ऊनी वस्त्र	परिशिष्ट –डी -2
2.7	गारमेन्ट/मेड-अप मैन्युफैक्चरिंग	परिशिष्ट -ई
2.8	फायबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट/ मेड-अप का प्रोसेसिंग	परिशिष्ट -एफ
2.9	पटसन उद्योग	परिशिष्ट -जी
2.10	विभिन्न क्षेत्रों के लिये एनर्जी सेविंग एवं प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरण	परिशिष्ट -एच
2.11	विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सबसिडी (एमएमएस-प्रौ.उ.नि.यो.)टफ के अन्तर्गत पात्र मशिनरी	परिशिष्ट -आई
2.12	प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10% पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट -जे
2.13	तकनीकी वस्त्रों जिसमें गैर ऊनी भी शामिल है के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशिनरी	परिशिष्ट-के
2.14	गारमेंट क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी	परिशिष्ट- एल
2.15	बुनाई क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के लिए पात्र मशीनरी के अंतर्गत नये शटललेस करघे पात्र	परिशिष्ट- एम

2.16 सीएडी, सीएएम तथा डिजाइन स्टुडियो के लिए पात्र परिशिष्ट- एन
मशीनरी

टिप्पणी :- ऋणद अभिकरणों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बनावट उपरोक्त सभी मशीनरी के उत्पादन के प्रकार एवं विनिर्माण का वर्ष मशीन पर स्पष्ट रूप से अंकित है। मशीन को नेमप्लेट लगाई गई है।

(3) **साधारण पात्रता शर्तें**

3.1 **इकाई के प्रकार**

1. विद्यमान इकाई विस्तारण सहित या बिना विस्तारण और नई इकाइयाँ।
2. विद्यमान इकाईयाँ उचित पात्र प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिकीकरण कर सकते हैं या विस्तार कर सकते हैं।
3. नई इकाइयाँ सम्पूर्ण सुविधाओं की स्थापना केवल उपयुक्त पात्र प्रौद्योगिकी के माध्यमसे ही कर सकते हैं।
4. एक इकाई I-योजना का विस्तार में सूचीबद्ध एक या अनेक गतिविधियों में संलग्न हो सकती है।
5. शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) विदेशी इक्वीटी वाली वस्त्र/पटसन की इकाई।

3.2 **पात्र टेक्सटाईल मशीनरी के प्रकार :-**

- (1) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सामान्यतया नई मशीनरी को मान्यता दी जायेगी।
- (2) यद्यपि निम्नलिखित आयातित पुरानी मशीनरी भी पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत पात्र है :-
 - क) **एअर जेट, प्रोजेक्टाइल, रैपियर एवं वाटर जेट शटललेस करधे** जिनमें इलेक्ट्रानिक जैकार्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगे हों, अथवा नहीं तथा उच्च गति सहित/रहित डायरेक्ट बीम वार्पर क्रील सहित एवं/अथवा सेक्शनल वार्पिंग मशीन ऑटो स्टॉप सहित तथा 10 वर्षों तक टेंशन कन्ट्रोल तथा विन्टेज एवं अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष तक हो। जिसका अधिकतम मूल्य रूपये 8.00 लाख प्रति मशीन हो।
 - (3) **निर्यात** करने वाले राष्ट्र के चार्टर्ड अभियंता से आयातित सेकण्ड हैंड मशीनों की विंटेज अवधि तथा अवशिष्ट अवधि प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र उचित समय पर ऋणदाता अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसे कि लैंडिंग अभिकरण द्वारा नियत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र सेकंड हैंड मशीनों के किसी भी आयात के लिये ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, चाहे ऐसे आयात का मूल्य कुछ भी हो।
 - (4) **संतुलन** उपकरण अथवा उत्पादन प्रक्रिया की रुकावट कम करने के लिये आवश्यक उपकरण भी प्रोउनि योजना के अंतर्गत निधि के लिये पात्र होंगे।
 - (5) **छीजन** कम करने के उपकरण या यंत्र भी पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत निधि के लिए पात्र होंगे।
- (6) **मौजूदा इकाई** या नई इकाई का प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत सुविधाओं का आकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम लाभकर आकार (एमईएस) होना चाहिए। उद्योग के पात्र खंडों के लिये एमईएस कोई भी ऐसी इकाई होगी, जो वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों के वाएबिलिटी समीक्षा के अनुसार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो। स्टैन्ड अलोन नई कताई के लिए एमईएस 8000 तकुए होगा।

- (7) पुनर्गर्फित प्रौजनियो के अंतर्गत सभी पात्र मशीनरी के लिए सभी मशीनों के नमूने 5% / 4% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (8) मशीनरी के साथ प्राप्त मशीनरी लागत के 20% के मूल्य तक के उपकरण/संलग्नक/पूर्जे अथवा वार्स्टिक वार्स्टिक कीमत की मात्रा में से जो भी कम होगा वह पात्र होगा।
- (9) एक खंड के लिए पात्र मशीनरी दूसरे खण्ड/कार्यांकलाप के लिये पात्र है, जब तक इसकी पात्रता किसी विशेष खण्ड के लिये विशेष रूप से प्रतिबंधित न की गई हो।
- (10) किसी अन्य वस्त्र मशीनरी की पात्रता जो बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी के समान अथवा अधिक हो जो अनुलग्नकों में दर्शाई नहीं गई है या टफ योजना के प्रचालन के दौरान विकसित की गई हो, अपने आप से या संदर्भ पर विशेषतः सरकार द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा तय की जाएगी।

3.3 अन्य पात्र निवेश :

- i) ऐप्रेल क्लैब तथा हथकरघा क्लैब प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये स्थापित किये जाने वाले अतिआवश्यक संयंत्र तथा उपकरण के लिये निम्नलिखित निवेश भी पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का कुल योग सामान्यतः ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश के 50% से अधिक नहीं होगा।
 - क) भूमि तथा फैक्टरी बिल्डिंग, जिसमें फैक्टरी बिल्डिंग का नवीकरण भी शामिल है।
 - ख) प्रारंभिक तथा प्रचालन से पूर्व के खर्च।
 - ग) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये आवश्यक पूँजी निवेश के लिये आवश्यक मार्जिन मनी ;
 - (ii) यदि ऐप्रेल/हथकरघा इकाई अन्य कार्य से जुड़ी हुई है, इस मद के अंतर्गत पात्र निवेश केवल ऐप्रेल/ हथकरघांडे के विनिर्माण के लिए पात्र संयंत्रों तथा मशीनरी से संबंधित होगा।
 - 2. तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण एवं विदेशी तकनीशियनों को पारिश्रमिक का भुगतान समाविष्ट है।
 - 3. इस पैरा (पैरा 3.3)के सब पैरा (1) में समाविष्ट मदों पर उपरोक्त सीमाओं से अधिक ऋण पर साधारण दर से ब्याज देय होगा।
- 3.4 **पुनर्गर्फित प्रौजनियो के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि** सरकार के संलग्न की तिथि से 31/03/2012 (दोनों तिथियां शामिल हैं) तक की अवधि में ऋणद अभिकरणों द्वारा मंजूर केवल ऐसे ऋणों पर इस योजना) के अंतर्गत लाभों की मंजूरी हेतु विचार करने हेतु पात्र है।

3.5 क्रमवार विस्तारण का समावेश

पुनर्गर्ठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रमवार तरीके से विस्तारण को अनुमति है बशर्ते कि पुनर्गर्ठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ऋण क्षमता के क्रमवार विस्तारण के अंतर्गत एक परियोजना के लिए एक ऋण प्रस्ताव के अंतर्गत उपलब्ध है।

3.6 ऋण की मंजूरी से पूर्व निवेश का समावेश।

इकाई द्वारा मशीन के मूल्य का अग्रिम मार्जिन मनी तक टोकन पेमेंट का भुगतान आवधिक ऋण की मंजूरी की तिथि से पूर्व किया जा सकता है। यद्यपि आवधिक ऋण की मंजूरी के दिन तथा उसके बाद खरीदी गई मशीनों पुनर्गर्ठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अन्य निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन में पात्र हैं।

3.7 अन्य योजनाओं के लाभ :-

वस्त्र/पटसन इकाईयों को प्रौ.उ.नि.योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान की गई है, जब तक विशेषतः अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। यदि संदेह हो तो संबंधित मामला स्पष्टीकरण के लिये वस्त्र आयुक्त के पास भेजा जा सकता है।

3.8 विशिष्ट स्थितियों में पात्र निवेश का निर्धारण :-

यदि ऋण पुनर्गर्ठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पूर्णतः समाविष्ट नहीं है, अर्थात् यदि इसमें प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटक सम्मिलित हैं तो वितरण तथा पुनर्भुगतान प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना घटकों के बीच में अनुपात विभाजित करना आवश्यक है, जिससे कि देय ब्याज प्रतिपूर्ति का परिकलन किया जा सके।

4. खंड-वार पात्रता की शर्तें :-

4.1 कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग

क) सामान्यतया केवल मिश्रित (कॉटन जिनिंग के साथ प्रेसिंग) इकाईयाँ योजना के अंतर्गत समावेश के लिये पात्र होंगी। तथापि स्वतंत्र जिनिंग अथवा प्रेसिंग इकाईयाँ, योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिये पात्र होंगी, बशर्ते कि वे पहले या बाद में क्रमशः पात्र प्रौद्योगिकी स्तर को प्रेसिंग या जिनिंग सुविधा से जुड़ती हों।

ख) केवल डबल रोलर जिन्स या साँ जिन्स पात्र होंगी।

ग) बेलिंग प्रेस मानक संशोधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप हो।

ग) विद्यमान 2 स्तरीय मैन्युअल बेल प्रेसिंग मशीन वाली इकाई को प्रौ.उ.नि.योजना के अनुसार आधुनिकीकरण करते समय, इसे बदलने को बाध्य नहीं किया जाएगा। यद्यपि बेल प्रेसिंग मशीन बदलने वाली अथवा पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करने वाली इकाई को केवल सिंगल स्टेज स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीन स्थापित करनी होगी।

4.2 कताई/सिल्क रीलिंग तथा द्विस्टिंग/वूल स्काउरिंग तथा कोम्बिंग/सिन्थेटिक फिलार्मेंट यार्न टेक्स्चराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा द्विस्टिंग :

(क) कॉटन रिंग कताई पद्धति :

(i) कताई मशीनरी की नई स्टैन्ड अलोन / प्रतिरथापन/ आधुनिकीकरण 4% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा तथा कताई इकाईयाँ जो कताई/निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमैटिंग के अनुरूप क्षमता से प्रगतिशील रूप से जुड़ती हो 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

(ii) कॉटनरिंग कताई पद्धति में नई इकाईयों के लिए एमईएस 8000 तक तक होगा। इकाईयों के क्षमता विस्तारण एवं आधुनिकीकरण के लिए कोई एमईएस नहीं होगा।

- (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा वर्तमान अप्रचलित तकूओं के आधुनिकरण के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित तकूए सामान्यतः निकाल दिए जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाए जाए, जब तक उनका प्रचालन व्यवहार्य सिद्ध हो।
(टिप्पणी : 15 वर्ष पुराने रिंग फ्रेम्स तथा 20 वर्ष पुराने बैंक अप मशीनरी/उपकरण निरपवाद रूप से निकाले जाए।
- (iv) क) कॉटन रिंग कताई इकाइयों को रुकावटे कम करने के लिए तकूओं में वृद्धि किये बिना बैंक-अप सुविधाओं को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है यथा, कोन वाइडिंग मशीन, कार्डस, झाँके फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लॉर्लम आदि, बशर्ते कि इकाई एमईएस स्तर पर या उससे अधिक हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो और ऐसे निवेश इकाई को वांछित बैंचमार्क प्रौद्योगिकी स्तर तक लाते हैं।
- ख) सुधार के लिये रूपान्तरण के रूप में रिंग फ्रेम के लिये ऑटो डॉफर पद्धति योजना के अंतर्गत समाविष्ट की गई है, जो नई अथवा वर्तमान फ्रेम के रूप में रूपान्तरित/संस्थापित की जा सकती है, चाहे वह किसी भी बनावट/उत्पादक का हो।
- (v) नई क्षमता स्थापित करने या विद्यमान रिंग फ्रेमों के आधुनिकीकरण/परिवर्तन के लिये कॉम्पेक्ट कताई मशीन के संस्थापन को एमईएस की किसी शर्त के बिना अनुमति दी गई है। वर्तमान ड्राफिंग पद्धति को कॉम्पेक्ट कताई ड्राफिंग पद्धति में परिवर्तित करके वर्तमान रिंग फ्रेमों के स्वस्थाने उन्नयन को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है।
- (vi) टू फोल्ड ट्विस्टेड यार्न के उत्पादन के लिए स्टैन्ड अलोन आधार पर यार्न प्रोसेसिंग संयन्त्र के स्पिनिंग/ट्विस्टिंग के पश्चात की क्रिया अथवा यार्न कताई इकाई को भेजे बिना यार्न को झुलसाना समाविष्ट है।
- ख) **ओपन एन्ड/झेफ/पैराफिल/सेलफिल/एअरजेट कताई पद्धति :**
ये कताई पद्धतियाँ सब मिलाकर यार्न तैयार करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, अतः आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
- ग) **वर्स्टेड कताई पद्धति :**
- (i) वर्तमान क्षमता का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी वाली नई इकाई को अनुमति दी जाएगी।
 - (ii) स्वतंत्र ऊन स्काउरिंग तथा कोम्बिंग इकाइयों भी पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिये पात्र होगी।
- घ) **वूलन/शॉडी कताई पद्धति :**
- (i) कताई की वूलन पद्धति में कताई की सेमी-वर्स्टेड पद्धति समाविष्ट है।
 - (ii) वर्तमान इकाइयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता विस्तारण/इस क्षेत्र में समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
- च) **सिल्क रीलिंग तथा ड्विस्टिंग :**
- (i) वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।
 - (ii) बदली हुई अप्रचलित रीलिंग/टिवस्टिंग मशीनरी साधारणतः हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।
- छ) **सिथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग तथा ड्विस्टिंग :**
वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संस्थापन को अनुमति दी जाएगी।
- ज) **कारपेट उद्योग :**

वर्तमान क्षमता में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विस्तारण/समुचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।

4.3 विस्कोज फिलामेंट यार्न :

- i) वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना, क्षमता विस्तारण अथवा उचित पात्र प्रौद्योगिकी की नई इकाइयों के संरचापन को अनुमति दी जाएगी।
- ii) बदली गई अप्रचलित रीलिंग/टिवस्टिंग मशीनरी साधारणतः हटाई जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

4.4 वीविंग, निटिंग तथा नॉन-वूवन/तकनीकी वस्त्र/फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी उत्पादन

करने वाली इकाइयाँ :-

क) I गैर ऊनी वीविंग इकाइयों के लिये आवश्यक :

- (i) न्यूनतम आर्थिक आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीने
- (ii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

II विकेन्ड्रित (लघु उद्योग) वीविंग क्षेत्र :

1. साधारण करघे का अर्ध स्वचालित शटल लूम में स्वस्थाने उन्नयन जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं जैसे वेफ्ट स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, पॉजिटिव/सेमी-पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, डॉवी जेक्वार्ड के साथ अथवा उसके बिना, को विकेन्ड्रित विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये अनुमति दी गई है।
2. साधारण करघे को बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध स्वचालित शटल करघे से प्रतिस्थापन को अनुमति दी गई है।
3. विकेन्ड्रित विद्युत करघा क्षेत्र में स्थित नई इकाइयों को पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी विशेषताओं वाले अर्ध-स्वचालित करघों को संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है।

III हथकरघा वीविंग :

1. पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर समय समय पर संशोधित एवं विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों को अनुमति देने वाले जी आर में पहले से विनिर्दिष्ट सभी मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी लाभ प्राप्त करने के लिये हथकरघा क्षेत्र पात्र है। हथकरघा क्षेत्र में केवल वीविंग कार्य विद्युत करघा तथा मिल क्षेत्र से अलग है, जबकि अन्य कार्य, विशेषतः प्रोसेसिंग समान है।
2. बैंचमार्कड प्रौद्योगिकी में विनिर्दिष्ट बिजली के बिना चलाये जाने वाले हथकरघों को समाविष्ट किया गया है।

ख) वूलन इकाइयों के लिये आवश्यक :

- (i) न्यूनतम लाभ कर आकार के अनुरूप समुचित करघे तथा मशीनें।
- (ii) कम से कम वीविंग क्षमता के अनुरूप इन हाउस वीविंग प्रिपरेटरी (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में वीविंग प्रिपरेटरी आवश्यक नहीं)।
- (iii) वर्तमान इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामले में बदले हुए पुराने तथा अप्रचलित करघे सामान्यतः निकाल दिये जाए तथा पूरी तरह से अकार्यक्षम बनाये जाए, जब तक उनका प्रचलन व्यवहार्य सिद्ध न हो।

ग) स्वतंत्र वीविंग प्रिपरेटरी इकाइयाँ :

स्वतंत्र लघु उद्योग/गैर लघु उद्योग (ऊनी अथवा गैर ऊनी) वीविंग प्रिपरेटरी इकाई परिशिष्ट डी-1 में विनिर्दिष्ट वीविंग प्रिपरेटरी मशीन संस्थापित करेगी।

- घ) **निटिंग इकाइयाँ :** वर्तमान अप्रचलित मशीनरी को बदलना , क्षमता विस्तारण अथवा नई इकाईयों के समुचित प्रौद्योगिकी के साथ संस्थापन को को पुनर्गठित करने को प्रोउनियो के अंतर्गत अनुमति है।
- च) **नॉन-तकनीकी वस्त्र / नॉन वूवन्स उत्पादक इकाइयाँ**
- क) तकनीकी वस्त्र तथा नॉन वूवन्स उत्पादित करने के लिए आवश्यक मशीनों , जैसे कि परिशिष्ट डी-1 में सूचीबद्ध की गई हैं।
- ख) चूंकि तकनीकी वस्त्रों की कुछ मशीनरी समान है, अतः 10% पूजीगत सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक तकनीकी वस्त्र इकाइयों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पंजीकरण क्रमांक 10 प्रतिशत पूजीगत आर्थक सहायकता के लिए पात्र बनाने पूर्व प्राप्त करना होगा। पंजीकरण क्रमांक प्राप्त करने के लिए तकनीकी वस्त्र इकाइयों को विहित प्रपत्र टीआर-1 में जानकारी भरकर देनी होगा।
- 4.5 **गारमेंट/मेड अप उत्पादन :**
- क) वूवन्स तथा/अथवा निटेड गारमेंट तथा/अथवा मेड अप विनिर्माण अथवा उनका संयुक्त रूप पात्र होगा।
- ख) परिशिष्ट –ई में दर्शाई गई सूची में से गारमेंट/मेड अप विनिर्माण तथा अन्य अतिरिक्त उपकरण संस्थापित करना आवश्यक है।
- 4.6 **डिजाइन स्टुडियो:-**
- वस्त्र/रेडीमेड गारमेंट तथा पटसन उद्योग द्वारा पात्र मशीनरी/उपकरणों/साफ्टवेअर तथा अन्य परीक्षण उपकरण के साथ स्थापित किया गया डिजाइन स्टुडियों पुनर्गठित प्रोउनियो के अंतर्गत शामिल है।
- 4.7 **फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट्स/मेड अप का प्रोसेसिंग**
- क) फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स/गारमेन्ट्स/मेड अप का प्रोसेसिंग तथा फिनिशिंग के लिये परिशिष्ट-एफ में दिखाए गए आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों सहित प्रोसेसिंग मशीनरी पात्र होगी।
- 4.8 **पटसन वस्त्र :-**
- क) **पटसन सॉफ्टनिंग एवं कार्डिंग, ड्राइंग, कताई तथा बुनाई :**
परिशिष्ट -जी में दिखाई गई पात्र प्रौद्योगिकी की नई मशीनों को अनुमति दी जाएगी।
- ख) **पटसन सम्मिश्रणों की कताई तथा वीविंग/निटिंग :**
- (i) पटसन सम्मिश्रणों की कताई करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें रुई कताई के समान होंगी, जो कि पैरा 4.2 में स्पष्ट की गई हैं।
- (ii) पटसन सम्मिश्रित फैब्रिक्स की वीविंग/निटिंग करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें नॉन-वूलन वीविंग तथा निटिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.4 में स्पष्ट की गई हैं।
- ग) **पटसन सम्मिश्रित गारमेंट / मेड अप उत्पादन :**
पटसन सम्मिश्रित गारमेंट तथा/अथवा मेड अप्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों की पात्रता शर्तें गैर-पटसन गारमेंट/मेड अप उत्पादन के समान होंगी, जो कि पैरा 4.5 में दर्शाई गई है।
- घ) **पटसन उत्पादों का प्रोसेसिंग :**
- (i) परिशिष्ट -जी में दर्शाई गई प्रोसेसिंग मशीनें पात्र हैं।
- (ii) प्रौ.उ.नि. योजना के लिये पात्र गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी पात्र होंगे, जो परिशिष्ट -जी में दिखाए गए हैं।
- च) **पटसन सम्मिश्रित उत्पादों की प्रोसेसिंग :**
पात्रता शर्तें गैर - पटसन वस्त्र उत्पादों की प्रोसेसिंग के समान होंगी, जो कि पैरा 4.7 में दर्शाई गई हैं।

छ) सामग्री संचालन :

सामग्री संचालन के लिये मशीनरी जो कि परिशिष्ट जी में दर्शाई गई है, पटसन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक है।

तकनीकी सलाहकार-सह देखरेख समिति (टीएएमसी)

5. पात्रता की व्याख्या :

सरकार ने वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी) गठित की है, जिसमें सरकारी एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। टीएएमसी की रचना एवं कार्य परिशिष्ट-ओ पर है।

- (1) मशीनों की सूची में जोड घटाव से संबंधित कोई भी संशोधन टीएएमसी द्वारा किया जाएगा।
- (2) यदि ऋणदाता अभिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसी इकाई या मशीन की पात्रता के बारे में व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण पूछा जाता है, इसके लिये नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति की राय प्राप्त की जाएगी।
- (3) टीएएमसी योजना की प्रगति की समीक्षा तथा देखरेख भी करेगी और मंत्रालय तथा आईएमएससी को समय समय पर सूचित करेंगा।

III योजना के अन्तर्गत ऋण

1. प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों तथा अनुबंधों के आधार पर ऋण उपलब्ध किये जाएंगे।

क) **ऋण की राशि :**

आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। वैयक्तिक ऋण के लिये कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा नहीं होगी।

ख) **समर्थकों का अंशदान :**

ऋणदाता अभिकरण द्वारा विद्यमान सामान्य मापदंडों के आधार पर तय किये जाएंगे।

घ) **ब्याज दर :**

(i) **रूपरेणु में ऋण :**

संबंधित कर्जदार को प्रभारित ब्याज की प्रभावी दर, वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले प्रचलित दरों से 5 प्रतिशत से कम होगी, वस्त्र मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत सभी खंडों, सिवाय नयी स्टैन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित कर्ताई मशीनरी/कर्ताई इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 5 प्रतिशत वापस करेगा, जहां ब्याज वापसी 4% तक सीमित होगी।

(ii) **विदेशी मुद्रा में ऋण :**

जैसा कि साधारण विदेशी मुद्रा ऋण के लिये लागू है। तथापि योजना के अंतर्गत विनिमय दर के उत्तार-चढ़ाव के लिये प्रति वर्ष 5% (से अधिक नहीं) तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कर्ताई मशीनरी के मामले में नई स्टैन्ड अलोन/ प्रतिस्थापित / कर्ताई मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए विनिमय दर चढ़ाव उत्तार 4% तक सीमित होगा।

(iii) **ब्याज वापसी की अवधि :**

- क. (1) 5% / 4% की ब्याज वापसी की अवधि, जो कि दो वर्ष कार्यान्वयन / विलंबन अवधि सहित 07 वर्ष उपलब्ध होगा। कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि 2 वर्ष से अधिक हो सकती है किन्तु कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि के लिए ब्याज वापसी केवल 2 वर्ष तक सीमित होगी। कार्यान्वयन तथा विलंबन

- अवधि पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत ऋण के वितरण की पहली तिथि से माना गया है।
- 2 पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत तिमाही वार ब्याज वापसी 07 वर्ष के ऋण पुनर्भुगतान सारणी के अनुसार अथवा वास्तविक , जो भी कम है की मात्रा तक सीमित की जाएगी जो कि ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था । विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव /फारवर्ड कवर प्रिमीयम भी इसी पद्धति का अनुसरण करेंगे।
 - 3 पुनर्गठित प्रौद्यगियो के अंतर्गत 10% / 25% पूँजीगत आर्थिक सहायता/ 15% /20% एमएमएस ऋणद अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय को पैरा IV में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक मात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत तिमाही वार जानकारी के अनुसार मात्रा तक सीमित होगी
 - 4 बैंक 7 वर्ष से अधिक के लिए ऋण देने के लिए स्वतंत्र है किन्तु आर्थिक सहायता अधिकतम दो वर्ष विलंबन काल सहित केवल सात वर्ष की अवधि तक ही प्राप्त होगी ।
 - ख) यदि खाता असक्रिय आस्ति (एमपीए) बन जाता है, ब्याज वापसी उपलब्ध नहीं होगी । ब्याज वापसी एनपीए श्रेणी से बाहर आने की तिथि से उपलब्ध होगा ।
 - च) **अन्य शर्तें यथा ऋण की अवधि, सुरक्षा, परिवर्तन विकल्प, ऋण साम्या अनुपात आदि :**
पात्र इकाइयाँ न्यूनतम लाभकर आकार की होंगी । अन्य शर्तें ऋणदाता अभिकरण द्वारा निर्धारित, विद्यमान साधारण मानकों के अनुसार होंगी।
 - छ) **पात्र इकाई के वित्तीय मानक :**
ऐसी इकाइयां पात्र हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकार्ड हो, आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो, सकारात्मक नेटवर्थ हो ।
- ज) **आकस्मिकता के लिये प्रबंध :**
(वास्तविक आधार पर) अधिकतम 5% तक आकस्मिकता के लिये प्रबंध (अनिश्चित लागत) पुनर्गठित प्रौ. उ.नि. योजना के अंतर्गत पात्र संयन्त्र तथा मशीनों एवं अन्य निवेशों के संदर्भ में पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट है ।

- झ)** एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरे बैंक /वित्तीय संस्थान में प्रौ.उ.नि.यो. ऋण अंतरित करना उसी तरह पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत एक आवधिक ऋण खाता बंद करना तथा नया आवधिक ऋण प्राप्त करना ।
 पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण खाते की बकाया मूल राशि को एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरी बैंक/वित्तीय संस्थान में अंतरित की जा सकती है, बशर्ते कि पोर्टफोलियो(अर्थात् शेष मूल राशि) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कुल पुनः भुगतान अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यद्यपि, यह सुविधा ऋण की अवधि के दौरान केवल 3 बार प्रदान की जाएगी । मूल बैंक द्वारा जमा की गई तिमाही वार आर्थिक सहायता यद्यपि अपरिवर्तित रहेगी।
- ट)** **रूपयों में आवधिक ऋण से विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतःपरिवर्तन :**
 वार्षिक आधार पर रूपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमतःपरिवर्तन को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत अनुमति दी गई है । विनिमय का आधार दर वह होगा, जो रूपयों में आवधिक ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तन की तारीख में प्रचलित था । ऋण राशि की अवधि 7 वर्ष की पुनः भुगतान अवधि एवं ऋणद अभिकरण से विदेशी मुद्रा में ऋण की उपलब्धता के अधीन समान रहेगी ।
- i) **वायदा किस्त का समावेश :**
 पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिये वायदा सुरक्षा किस्त की विकल्प के रूप में विनिमय के आधार दर पर प्रति वर्ष 5%/ 4% तक सीमित लागत समाविष्ट की गई है, जिसका उपयोग परियोजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जाए ।
- ii) **अ-परिवर्तनीय ऋण पत्र का समावेश :**
 नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र, यदि वे पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के मानकों के अंतर्गत आते हैं, का समावेश योजना में किया गया है । नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा खरीदे गये एवं पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट अ-परिवर्तनीय ऋणपत्रों का अन्य नोडल अभिकरण/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. में अंतरण ऋणपत्र की समग्र अवधि में एक बार करने को अनुमति दी गई है । तथापि नोडल अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि अपरिवर्तनीय ऋणपत्र नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थानों को अंतरित हुए हों एवं बाजार में अन्य निवेशकों को अंतरित अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों को ब्याज वापसी नहीं दी जाएगी ।
- ठ)** **पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश :**
 विनिर्माताओं द्वारा नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ. संस्थानों से ली गई वित्तीय सहायता का ब्याज का हिस्सा पात्र मशीनों तथा उपकरणों के लिये पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है । पट्टे पर वित्तीय सहायता का समावेश पट्टे पर वित्तीय सहायता के सामान्य मापदंडों की शर्त पर होगा किन्तु पट्टा अवधि 07 वर्ष तक सीमित होगी ।
- ड)** **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि.की हायर पर्चेस स्कीम का समावेश:**
 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.) लि. की हायर पर्चेस स्कीम के ब्याज के हिस्से का समावेश पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत किया गया है, बशर्ते कि इकाइयां योजना के अंतर्गत निहित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्र प्राचलों की पूर्ति करती हों ।

- ८) सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों को प्रभावित किये बिना मंजूर ऋण के लिये नोडल अभिकरण का अनुमोदन :
पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, जो सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर एवं प्रौ.उ.नि. योजना के प्रौद्योगिकी मानकों के अनुसार हो, को नोडल अभिकरणों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।
- ९) यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर द्वारा दी गई सह-गारंटी :
ऐसे यार्न आपूर्तिकर्ता/कुशल बुनकर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो एवं जो बैंक के मापदंडों की पूर्ति करता हो, द्वारा दी गई सह-गारंटी के बल पर लघु उद्योग विद्युत करघा इकाइयों को पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना ऋण की मंजूरी देने का निर्णय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा लिया जाना है। तथापि यदि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान/बैंकों द्वारा आवधिक ऋण/वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसी इकाइयों को अनुमोदित मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के लाभ प्राप्त होंगे।
- १०) बैंक/वित्तीय संस्थान, जिन्होंने ५%/४% ब्याज वापसी के लिये पात्र वस्त्र इकाइयों को अग्रिम ऋण दिया है, ५%/ ४% ब्याज वापसी के बिना ऋण का पुनःभुगतान स्वीकार करेंगी यदि ऋण का पुनःभुगतान निर्धारित तिथि के अंदर किया गया हो, जो यह नोडल अभिकरण से प्राप्त करेंगी। तथापि, वापस की गई राशि पर बैंक/वित्तीय संस्थान इकाई पर चालू दर से ब्याज प्रभावित कर सकती है, जब तक यह नोडल अभिकरण से प्राप्त नहीं होती।
- ११) विलंबित भुगतान गारंटी (डीपीजी) योजना - परिचालन के लिये मार्गदर्शक बिन्दु :-
(i) केवल रूपयों में ऋण के मामले में डीपीजी का समावेश पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना में किया गया है। मार्गदर्शक बिन्दु परिशिष्ट – पी में दिए गए हैं।
- १२) पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत ईसीबी का समावेश :-
भारतीय बैंक/विदेशी बैंक, जिनकी भारतीय शाखा हो (सहयोजित पीएलआई के रूप में) की ओवरजीज शाखा से प्राप्त किया गया ईसीबी पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए विहित लाभों के लिए पात्र होगा, अर्थात् मूलदर से विनियम दर उतार-चढ़ाव के लिए यथास्थिति ५% / ४% कवर या प्रतिवर्ष ५% / ४% तक सीमित फारवडे कवर प्रिमियम।
- १३) विद्युत करघा क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत २०% की दर पर एमएमएस – प्रौद्यनियो -प्रचालन के लिए दिशानिर्देश
विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए एमएमएस- प्रौद्यनियो @ २०% वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रचालित की जाएगी तथा विस्तृत मार्गदर्शक तत्व परिशिष्ट –क्यू तथा परिशिष्ट –टी में दिए गए हैं।
- १४) लघु उद्योग पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्रौद्यनियो (एमएमएस @१५% प्रौद्यनियो) के अंतर्गत १५% की दर पर मार्जिन मनी सबसिडी :-
लघु उद्योग पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिए एमएमएस – प्रौद्यनियो @१५% ऋणद अभिकरणों के अलावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा भी प्रचालित की जाएगी। विस्तृत मार्गदर्शन तत्व परिशिष्ट - आर तथा परिशिष्ट -टी पर दिए गए हैं।
- १५) पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग मशीनरी नये शटललेस करघे, गारमेंटिंग मशीनरी तथा तकनीकी वस्त्र मशीनरी के लिए १०% सहायता पूंजी के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन।
विस्तृत मार्गदर्शन तत्व परिशिष्ट-एस में दिए गए हैं।
- १६) पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के लिए २५% पूंजीगत आर्थिक सहायता :

- पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को या तो 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है।
 - विनिदिष्ट हथकरघा मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व विकास आयुक्त (हथकरघा), नई-दिल्ली द्वारा जारी किए जाएंगे।
- ब)** **पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत रेशम क्षेत्र के लिए 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता :**
- पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत रेशम क्षेत्र को या तो 25% पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अथवा 5% ब्याज वापसी को चुनने का अतिरिक्त विकल्प किया गया है।
 - विनिदिष्ट रेशम मशीनरी की सूची सहित विस्तृत प्रचालनात्मक तत्व केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूरु द्वारा जारी किए जाएंगे।

(iv) कार्यान्वयन/देखरेख/मूल्यांकन प्रक्रिया :

- वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन पूर्व प्राधिकृत करने की पद्धति होगी। आवेदनों पर पात्रता एवं निधि की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- एकमात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए नोडल बैंक अभिकरण/ सहयोजित पीएलआई प्रत्येक मामले हेतु पात्रता एवं अनुमेय राशि का निर्धारण के पश्चात वस्त्र आयुक्त को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करेगा। एकमात्र आईडी क्रमांक प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र परिशिष्ट यू पर है। ऋणद अभिकरणों द्वारा 7 वर्ष की समग्र अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी कम हो के लिए तिमाही वार आर्थिक सहायता की आवश्यकता प्रस्तुत करना आवश्यक है। तिमाही वार ब्याज प्रतिपूर्ति / पूंजीगत आर्थिक सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत किए गए इस प्रपत्र में दी गई राशि से कम हो सकती है किन्तु इस राशि से अधिक नहीं हो सकती।
- विहित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात वस्त्र आयुक्त, मुंबई ऋणद अभिकरण द्वारा आर्थिक सहायता दावे का प्रस्तुत करने को लिए ऋण आवेदन को पूर्व प्राधिकृत करने हेतु एकमात्र आईडी क्रमांक जारी करेंगे।
- वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा जारी एकमात्र आईडी क्रमांक के बिना बैंक द्वारा मंजूर कोई आवेदन पत्र पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत आर्थिक सहायताओं के लिए पात्र नहीं होगा।
- जैसे ही प्रत्येक खण्ड में उपलब्ध निवेश/ आर्थिक सहायता की सीमा समाप्त होती है, वस्त्र आयुक्त पूर्व प्राधिकृत करना बंद करेंगे। जैसे कि पैरा 6(xvi) में उल्लेख है।

2. देख रेख प्रक्रिया का दूसरा स्तर:

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति योजना की गहन समीक्षा करेंगी और निवेश/आर्थिक सहायता की सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

iv) प्रबंधन

पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक संबंधित इकाई का सक्षम प्रबंधन होगी, जो इकाई के कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस हेतु नोडल अभिकरण आवश्यकतानुसार बोर्ड के विस्तारीकरण, वरिष्ठ तकनीकी/वित्तीय व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रबंधन का व्यावसायिकरण तथा इस प्रकार की समितियों के गठन संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकती हैं।

(vi) कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताएं

चूंकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सफलता एवं इसका पूर्ण लाभ पर्याप्त कार्यकारी पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर है, इकाइयों को उनके बैंकों से कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करने चाहिए।

(vii) नोडल अभिकरण/सहयोजित पीएलआई

- योजना के अंतर्गत विभिन्न खंडों के लिए नोडल अभिकरण निम्नानुसार हैं।

खंड	नोडल अभिकरण
वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	आईडीबीआई बैंक
लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र	सिडबी
पटसन उद्योग	आईएफसीआई

- नोडल अभिकरण इस योजना में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी) तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों को ऋण की मंजूरी एवं वितरण एवं बेहतर पहुंच के लिए सहयोजित कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे संयोजन से कर्जदार के मिलने वाले ब्याज वापसी की दर में कोई कटाव नहीं होगा। सह योजित ऋणद अभिकरणों की सूची परिषिष्ट V है। नोडल अभिकरण पुनर्गठित प्रौद्यनियों का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऋणद अभिकरणों को सहयोजित कर सकते हैं।
- नोडल अभिकरणों, पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अंतर्गत उनके द्वारा सीधे सहायता किए गए मामलों की पात्रता का निर्णय करेंगी और विहित प्रपत्र में आर्थिक सहायता संबंधी दावा वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी।
- सहयोजित वित्तीय संस्थानों के मामले में, नोडल अभिकरण पात्रता तय करेंगे तथा सहयोजित एआईएफआई / एसएफसी / एसआईडीसी तथा व्यापारिक / सहकारी बैंकों के ब्याज वापसी दावों की जाँच एवं उनके वास्तविक वितरण के लिए नोडल अभिकरण जिम्मेदार होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन पत्र संबंधित नोडल अभिकरणों से अथवा सहयोजित एआईएफआई/एसएफसी/एसआईडीसी/वाणिज्यक / कॉर्पोरेटिव बैंकों आदि जैसे भी मामला हो से विहित प्रपत्र प्राप्त करके आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
- ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

VIII नोडल बैंक

- (i) पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के अंतर्गत बैंकों की वित्तीय सहायता देने हेतु 36 नोडल बैंकों को निर्दिष्ट किया गया है। 36 बैंकों के नाम निम्नवत हैं :-

1..	अलाहाबाद बैंक	19.	आय एन जी वैश्य बैंक
2.	आन्ध्र बैंक	20.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक
3.	एक्सिस बैंक	21.	कर्नाटका बैंक
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	22.	करुर वैश्य बैंक
5.	बैंक ऑफ इंडिया	23.	लक्ष्मी विलास बैंक
6.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24.	नैशनल कॉ-आपरेटिव डेव्हलपमेंट कारपोरेशन (एन सी डी सी)
7.	कैनरा बैंक	25.	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस
8.	कॉथिलिक सीरियन बैंक	26.	पंजाब एण्ड सिध बैंक
9.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.	पंजाब नैशनल बैंक
10.	सिटी यूनियन बैंक	28.	राजस्थान स्टेट इंडिस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन
11.	कॉरपोरेशन बैंक	29.	साऊथ इंडियन बैंक
12.	देना बैंक	30.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
13.	एक्जिम बैंक	31.	सिंडीकेट बैंक
14.	फेडरल बैंक	32.	तामिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक
15.	आय सी आय सी आय बैंक	33.	यूको बैंक
16.	इंडियन बैंक	34.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17.	इंडियन ओवरसिज बैंक	35.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
18.	इंदूसिध बैंक	36.	विजया बैंक

- (ii) नोडल बैंक उनके द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने वाले सभी मामलों में स्वंय पात्रता का निर्धारण कर सकेंगे और पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के लाभ देंगे जिसमें गैर एस एस आई, एस एस आई एवं 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता, विनिर्दिट प्रौद्योगिकी मशीनरी / बिलकुल नए शटल रहित करघों / गार्मिंग मशीनरी / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपने सात (7) एसोसिएट बैंकों के लिए भी नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा उसके पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा।
- (iii) संघ वित्तीय पोषण के मामले में संघ का प्रमुख पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के तहत परियोजना की पात्रता का आकलन स्वयं के लिए करेगा और साथ ही संघ के अन्य सदस्यों के लिए भी करेगा, बशर्ते संघ का प्रमुख एक नोडल बैंक हो। ऐसे मामले में जहाँ संघ का प्रमुख नोडल बैंक नहीं है तो ऐसे में नोडल बैंक जिसका आवधिक ऋण में बड़ा हिस्सा हो वह परियोजना की पात्रता का निर्धारण और पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के तहत ऋण की मात्रा का भी निर्धारण करेगा और निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी मशीनरी बिलकुल नई शटल रहित करघे / गार्मिंग / टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 % पूंजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा।

- (iv) कई बैंकों द्वारा वित्तीय पोषण के मामलों में वह बैंक जिसके पास आवधिक ऋण का बड़ा हिस्सा होगा वे पुनर्गठित प्रौद्यनियों के तहत स्वयं के लिए और अन्य बैंकों के लिए भी परियोजना की पात्रता का निर्धारण कर सकेगा। बशर्ते उक्त बैंक नोडल बैंक हो। ऐसे मामलों में जहाँ ऋण का बड़ा हिस्सा रखने वाला बैंक नोडल बैंक नहीं है तो ऐसे में वह नोडल बैंक जिसका हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा हो वह परियोजना की पात्रता एवं पुनर्गठित प्रौद्यनियों के तहत ऋण की मात्रा का निर्धारण कर सकता है साथ ही निर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी / बिलकुल नए शटल रहित करघों / गार्मेटिंग/ टेक्नीकल टेक्सटाइल मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत पूँजीगत सहायता का भी निर्धारण करेगा।
- (v) ऐसे मामलों में जहाँ संघ। कई बैंकों द्वारा वित्तीय पोषण किया जा रहा हो वहाँ बैंक विशेष उनके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति पूँजीगत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा बशर्ते बैंक नोडल बैंक हो। यद्यपि आई डी बी आई बैंक उन बैंकों को जो संघ के / कई बैंकों से वित्तीय पोषण प्राप्त परियोजनाओं को ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगा जो नोडल बैंक नहीं है इसके लिए आई डी बी आय /सिडबी को नोडल बैंक द्वारा उन बैंकों को जारी पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति अप्रेषित करेगा।
- (vi) नोडल बैंक में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपयोग प्रमाण पत्र मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे। सहयोजित पी एल आई उनका उपयोग प्रमाण पत्र नोडल एजेन्सियों को एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अगले तिमाही के दावे करने से पूर्व विहित प्रपत्र में देंगे।
- (vii) **सहयोजित निजी क्षेत्र कर्मशियल बैंक**
 सिडबी के सहयोजित निजी क्षेत्र के कर्मशियल बैंक एस एस आई मामलों की पुनर्गठित प्रौद्यनियों के तहत पात्रता निर्धारित करेंगे और सिडबी के माध्यम से दावे वस्त्र आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बैंक के लिए निधि सिडबी के माध्यम से दी जायेगी। निजी क्षेत्र के सहयोजित कर्मशियल बैंकों के नाम निम्नवत हैं :-
1. डेवलपमेण्ट क्रेडिट बैंक लिमिटेड , मुंबई
 2. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
 3. एच डी एफ सी बैंक
 4. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
 5. येस बैंक लिमिटेड
 6. नैनीताल बैंक लिमिटेड

सहयोजित निजी क्षेत्र के कामर्शियल बैंक उन सभी एस एस आई मामलों को जिनमें वे वित्तीय पोषण कर रहे हो वे उनकी पात्रता का निर्धारण करेंगे और ऐसे दावे सिड़बी के माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

X. नोडल अभिकरणों / नोडल बैंकों / सहयोजित पी एन आई को निधि जारी करना

- (i) ऋणदाता अभिकरण यूनिट वार दावों के विवरण ऐसी यूनिट के लिए देंगे जिनके पास वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा दिया गया युनिक आईडी है। ऐसे विवरण विहित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा विकसित ऑन लाइन सिस्टम द्वारा बाद की तिमाही की 5 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) उपयोग प्रमाण पत्र, नो-एक्सेस दावा प्रमाण पत्र, इस आशय का प्रमाण पत्र की बैंक भ्रष्टाचार अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल नहीं हैं और संबंधित बैंक को वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरी आदेश की प्राप्ति के पश्चात निधि जारी की जाएगी।
- (iii) ऋणदाता संस्थानों को उनके ब्रांचों से प्राप्त वास्तविक दावों पर आधारित दावे ही प्रस्तुत करना है।
- (iv) पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत लाभार्थियों को निधियों का संवितरण वस्त्र मंत्रालय से निधि प्राप्त होने के तीन (3) कार्य दिवस के भीतर कर दिया जायेगा।
- (v) ऋणदाता संस्थान इस उद्देश्य के लिए प्राप्त निधियों को किसी और उद्देश्य के लिए नहीं देंगे और योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे अथवा दूसरे संस्थानों अथवा संगठनों को नहीं देंगे और वे निधियों के जारी करने संबंधी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करेंगे। यदि बैंक दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है तो बैंक से अपेक्षित होगा कि वह जारी निधि की राशि को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित उसे वापस करें।
- (vi) पुनर्गठित प्रौजनियों के तहत निधि प्राप्त करने वाले सभी नोडल अभिकरण / नोडल बैंक / सहयोजित पी एल आई इस उद्देश्य के लिए समर्पित ब्याज मुक्त बैंक खाता खोलेंगे। इस उद्देश्य के लिए खोले गए बैंक खाते में उपयोग उपरांत बची हुई राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि को प्रत्येक तिमाही में बैंक, वेतन एवं लेखा कार्यालय वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के खाते में जमा करेंगे। इस प्रकार की राशि के लिए माँग पत्र (डी.डी.) वेतन एवं लेखा अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के नामे बनाये जाएं। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की राशि जमा करते समय, ऋणदाता संस्थान पूर्ण विवरण अर्थात् वह राशि जिस पर ब्याज प्राप्त हुआ है, निश्चित दिनांक एवं अवधि तथा लागू ब्याज दर का विवरण वेतन एवं लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, को देंगे।
- (vii) नोडल बैंकों को इस योजना के संबंधित निधि का संवितरण इलेट्रानिक क्लियरेंस सर्विस (ई सी एस)/रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट (आर टी जी एस) के माध्यम से ही किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक नोडल, वस्त्र मंत्रालय को विवरण जैसे बैंक का नाम, ब्रांच, एकाउण्ट नम्बर, बैंक का एम आई सी भार कोड इत्यादि देगा।

- (viii) इस योजना के लिए निधि का संवितरण करने के लिए उपरोक्त दिशा निर्देश सिड्बी को सहयोजित पी एल आई, आई डी बी आई बैंक एवं आई एफ सी आई पर लागू होंगे।

विविध

- (xi) इस निधि योजना मे सहायता के लिए संबंधित नोडल अभिकरणों अथवा सहयोजित ए आई एफ आई / एस एफ सी / एस आई डी सी / कमर्शियल / कॉ-ऑपरेटिव बैंकों जैसा भी मामला के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा किया जाना चाहिए।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण करने वाले संस्थानों द्वारा इसके लिए एक विशेष प्रक्रोष्ट बनाना होगा जिसमें एक नोडल अधिकारी होगा जिसमे तीव्रतम गति से ऋण संबंधी आवेदन पत्रों को प्रोसेस किया जा सके। वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऐसे नोडल अधिकारी का नाम, पता, पदनाम, टेलीफोन नम्बर एवं ई - मेल आई डी सूचित करना होगा।
- (iii) ऋणदाता संस्थान कम्पनी का आवश्यक विवरण / परियोजना वार स्थापित पात्रता / पुनर्गठित प्रौजनियो पात्रता संबंधी लांबित मामलों का विवरण दी गई व्याज प्रतिपूर्ति इत्यादि की जानकारी का विवरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं संसदीय प्रश्न यदि कोई हो तो इसके लिए आवश्यक डाटा बेस रखेंगे।
- (iv) आई डी बी आई बैंक / सिड्बी उनकी सलाहकार के रूप मे एक नोडल बैंकों / सहयोजित पी एल आई को किसी स्पष्टीकरण के लिए देंगे तथा इसके लिए वे वस्त्र आयुक्त कार्यालय के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन नोडल बैंकों तथा सहयोजित पी एल आई के लिए कर सकते हैं।
- (v) मामला विशेष में पात्रता संबंधी किसी प्रकार की शंका के लिए अथवा अन्य किसी प्रकार के संबंधित मामले के लिए नोडल बैंक / सहयोजित पी एल आई आई डी बी आई बैंक / सिड्बी अथवा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन / सहायता के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
- (vi) ऋणदाता संस्थान पुनर्गठित प्रौजनियो के अंतर्गत यथा अनुमोदित प्लाण्ट एवं मशिनरी, के इकाई द्वारा विधिवत संस्थापन का प्रत्यक्ष मुआयना कर सकते हैं।

हस्ता./-

(वी . श्रीनिवास)
वस्त्र मंत्रालय, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट – ए

प्रौद्योगिकीयों योजना के अंतर्गत पात्र जीनिंग एवं प्रेसिंग मशीनरी की सूची

क्र.सं.	वर्स्तु	न्यूनतम आवश्यकता	
		बड़ी इकाई	छोटी इकाई
1.	जीनिंग मशीनें	6-8 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर / 3 सॉजिन्स (90 सॉ) या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 24 डी आर/22 अतिरिक्त लंबे डी आर /18 जम्बो डी आर	3-4 बेल्स प्रति घंटा की प्रोसेसिंग क्षमता के साथ ऑटोफीडर /1 या 2 सॉजिन्स या समतुल्य के साथ सामान्य आकार के 12 डी आर/11 अतिरिक्त लंबे डी आर /9 जम्बो डी आर
2.	प्रीक्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 4 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
3.	लिन्ट क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर	जिनिंग मशीन की प्रोसेसिंग गति के उपयुक्त क्षमता के साथ 3 या अधिक बिटर सिलेंडर / रोलस के साथ क्लीनर
4.	कपास कन्वेयर सिस्टम	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीज्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेटफार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो ।	(i) न्यूमेटिक कन्वेयर जो स्टोन कैचर फार द फर्स्ट स्टोन फ्राम हीप्स टू प्रीक्लीनर सहित हों (ii) मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर फ्राम प्रीक्लीनर टू इन्डीवीज्यूअल जीन्स सेन्ट्रल प्लेटफार्म सिस्टम की अनुमति नहीं है सिवाय जिसमें पहले से लगा हो ।
5.	लिन्ट कन्वेयर सिस्टम	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर <ol style="list-style-type: none">जीन्स से लिन्ट क्लीनरलिन्ट क्लीनर से प्रत्येक पाला हाल	मेकेनिकल /न्यूमेटिक कन्वेयर <ol style="list-style-type: none">जीन्स से लिन्ट क्लीनरलिन्ट क्लीनर से प्रत्येक पाला

		<p>और</p> <p>(iii) प्रत्येक पाला हाल से</p> <p>(क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले में बेल प्रेस हाल</p> <p>(ख) बेल प्रेस बॉक्स मार्डन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडींग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)</p>	<p>हाल और</p> <p>(iii) प्रत्येक पाला हाल से</p> <p>(क) पारम्परिक बेल प्रेस के मौजूदा मामले में बेल प्रेस हाल</p> <p>(ख) बेल प्रेस बॉक्स मार्डन बेल प्रेस के मामले में लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मैकेनिज्म (डायरेक्ट फीडींग ऑफ काटन फ्राम लिन्ट क्लीनर से प्रेस बाक्स परमिटेड)</p>
--	--	--	--

6.	बेलप्रेस	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोलिक आटो ट्रैम्पिंग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मेकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स मे सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके। प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रैम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।	(i) सिंगल स्टेज ऑफ हाइड्रोलिक आटो ट्रैम्पिंग बेल प्रेस जो लिन्ट स्लाइड एवं पुशर मेकेनिज्म सहित हो जिससे प्रेस बाक्स मे सीधे ही लिन्ट की फीडिंग की जा सके। प्रारम्परिक वाटर हाइड्रोलिक टू स्टेज प्रेसेस जो बिना आटो ट्रैम्पिंग फेसिलिटी के हों की अनुमति है बशर्ते वे पहले से मौजूद हो।
7.	के लिए कन्वेयर	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लैटफार्म तक हो	ऑटो मेटिक कन्वेयर जो जीन्स से सीड प्लैटफार्म तक हो
8.	हयूमिडी फायर मास्चराइजर	जीन हाल में सेण्ट्रल प्लैटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। पाला हाल के मामल में 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।	जीन हाल में सेण्ट्रल प्लैटफार्म के मामले में 2 बेन्सन फैन अथवा पर्याप्त संख्या में नोजल्स लगे हों। पाला हाल के मामल में 2 बेन्सन फैन प्रत्येक हाल में या पर्याप्त मात्रा में नोजल्स लगे हों।
9.	फायर फाइटिंग सिस्टम	ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल न हो ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 1.25 लाख लिटर)/पानी की टॉकी (1.50 लाख लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैण्ड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो। ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल हो ओवर हेड टैंकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 50,000 लिटर)/पानी की टॉकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के अलावा एक डीजल का पम्प	ऐसे मामलों में जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल न हो ओवर हेड टैंक एवं /अथवा सम्प (क्षमता 60000 लिटर)/पानी की टॉकी (75000 लिटर) जिसमें कम से कम 10 हाइड्रेन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हो होज पाइप में नोजल्स हों और एक स्टैण्ड बाय डीजल पम्प इलेक्ट्रीक पम्प के अलावा हो। ऐसे मामले जहाँ इकाई के परिसर में ट्यूब वेल हो ओवर हेड टैंकी एवं अथवा सम्प (क्षमता 25000 लिटर)/पानी की टॉकी (50,000 लिटर) जिसमें कम से कम 06 हाइड्रेन्ट्स स्ट्रेटेजीकली लगे हों, होज पाइप में नोजल्स लगे हों एवं इलेक्ट्रिक पम्प के अलावा एक डीजल का पम्प

		अलावा एक डीजल का पम्प हो।	हो।
10,	अण्डर ग्राउण्ड वायरिंग	सभी हाई टैंशन एवं लो टैंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए	सभी हाई टैंशन एवं लो टैंशन वायर / केवल अण्डर ग्राउण्ड होने चाहिए
11,	वेह ब्रीज	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरुरत अनुरूप (जरुरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)	क्षमता 20 टन / 5 टन स्थानीय जरुरत अनुरूप (जरुरत नहीं यदि सुविधा पास में ही उपलब्ध हो)
12.	वैकल्पिक मशीनरी	सभी बाहरी फायबर डिटेक्टर्स / रिमूवर्स।	
13.		कोई अन्य मशीनरी जैसा तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीए एम सी) द्वारा उपयुक्त समझी जाए।	

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत स्पीनिंग/सिल्क रीलिंग एवं द्वीस्टिंग/वूल स्काउरिंग एवं काम्बिंग/सिन्थेटिक फिलामेन्ट यार्न टेक्सचराइजिंग क्रीम्पिंग एवं द्वीस्टिंग के लिए पात्र मशीनों की सूची ।

ए. कॉटन सिस्टम के स्पीनिंग के लिए स्पीनिंग मशीनरी :-

1. माइक्रो प्रोसेसर्स सहित पूर्णतः स्वचालित बेल हैंडलिंग, प्लूकिंग, पीलिंग एवं ब्लैन्डिंग ग्रेब मशीन ।
2. (1) काटन फाइबर के लिए परिष्कृत ब्लू रूम मशीनरी एवं उसके ब्लैण्डस जिसमें पहले सफाई करने वाला उपकरण, खोलने एवं सफाई करने वाली मशीन जिसमें च्यूट फीडिंग व्यवस्था सहित अथवा लैप मेकिंग व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर माइक्रोडस्ट रिमूवर एवं डी डस्टींग कन्डेन्सरों (ओपन एवं इण्ड रोटर स्पीनिंग) फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सहित अथवा बिना उसके सम्मिलित हैं ।
कृत्रिम/रिजनरेटेड फाइबर्स के लिए परिष्कृत ब्लू रूम मशीनरी एवं उनके ब्लैण्डस् जिसमें ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीनें जो चूट फीड सिस्टम सहित लैप मेकिंग सिस्टम, मेटल डिटेक्टर सहित अथवा बिना फॉरेन फाइबर डिटेक्टर/रिमूवर सम्मिलित हैं ।
सीसीडी कैमरा सहित सभी फॉरेन फाइबर डिटेक्टर, आटोमेटिक बेल तोड़नेवाली मशीनें एवं परिष्कृत सफाई करने वाली मशीन के उपकरण जो मौजूदा ब्लू रूम लाईन में हैं ।
1. कार्ड, गील बाक्स, काम्बर एवं रिंग फ्रेम सहित अथवा बिना उसके जिसमें वेस्ट रिकवरी/री-साईकिलिंग मशीनरी जिसमें स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था है ।
2. (1) उच्च उत्पादन कार्ड जो 50 कि.ग्रा/घंटा जिसमें आटो लिवर हो स्लीवर उत्पादन में सक्षम हो ।
कार्ड जो लिप फीड सिस्टम द्वारा 50 कि.ग्रा/घंटा स्वचालित स्लीवर सहित या बिना उसके उच्च उत्पादन कर सकें ।
3. उच्च उत्पादन ड्रा-फ्रेम जो आटोलिवर सहित हो तथा जिसकी गति 500 मीटर/मिनट हो ।
4. स्लीवरलैप/रिबनलैप, लैप फार्मर ।
5. 240 नीपस/मिनट एवं उससे अधिक उच्च गति के कोम्बर्स ।
6. 1200 गति प्र. मि. के स्पीड फ्रेम तथा उससे अधिक ।
7. उच्च गति रिंग फ्रेम्स जिनके तकुएँ (स्पीण्डल) की गति 16000 गति प्र.मि. एवं अधिक हो ।
8. 75000 गति प्र. मि. एवं उससे अधिक गति के ओपन इण्ड रोटर एवं अन्य आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम, जैसे डीआरईएफ, पी ए आर ए एफ आई एल, एस ई एल एफ आई एल एवं ए आई आर जे ई टी ।
9. स्वचालित कोन वाइडिंग मशीन (आटो कोनर) जो 1500 मीटर प्र.मि. एवं उच्च गति की गति से चलती हैं एवं अथवा चीज वाइडिंग मशीन जिसमें साइरो क्लीनर लगें हों ।
10. इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीयरर्स एवं मौजूदा स्वचालित वाइडिंग मशीनों के उन्नयन हेतु सप्लायर्स ।

11. टू फार वन/थ्री फार वन द्वीस्टर जो क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलती हैं।
12. यार्न कंडॉलिंग मशीन।
13. इण्डरट्रीयल ह्यूमिडीफिकेशन सिस्टम जिसमें एयर वाशर प्लान्ट एवं एयर फिल्टर आर एच को मेन्टेन करने के लिए तथा टेम्प्रेचर जिसमें डीह्यूमिडफायर्स (चीलर्स) लगे हों।
14. डस्ट/पार्टीकुलेट मटेरियल सेपरेटर्स/कलेक्टर (वायप्रदूषण नियंत्रण)।
15. स्पीनिंग एवं वाइंडिंग के लिए ओवर हेड क्लीनर।
16. कोर स्पन यार्न को तैयार करने का उपकरण।
17. समानान्तर वाइंडिंग मशीन जो इन्डीविड्यूजल कन्ट्रोल प्रबंध सहित हो तथा लम्बाई नापने की मशीन।

20. प्रोसेस नियंत्रण उपकरण :-

- (ए) मौजूदा वाइंडिंग मशीन के कोटी उन्नयन के लिए इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीयरर्स।
 - (बी) ह्यूमीडिफिकेशन प्लान्ट के लिए आर एच मेन्टेन एवं नियन्त्रित करने के लिए साउटर आटोमेटिक प्लान्ट कन्ट्रोल।
 - (सी) रिंग फ्रेम्स के लिए स्पीन्डल की गति बदलने के लिए डॉफ प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सेट पैटर्न में आई स्पीड जिससे धागे की टूटन प्रक्रिया को कम से कम किया जा सके आदि।
 - (डी) सूचना तकनीकी के अन्तर्गत "प्रीमिअर रिंग आई" क्योंकि उपकरण धागे की रिंग फ्रेम में टूटन को मानिटर करता है और रोग्य तकुओं (स्पीन्डल्स) का पता लगाता है जिससे टूटन बढ़ती है और जो कम्प्यूटर के माध्यम से रिंग फ्रेम के माध्यम से उत्पादन दर्शाता है।
 21. 15 एच पी एवं अधिक के एयर का प्रेसर।
 22. रिंग फ्रेम (अर्थात ऐलिटविस्ट अटेचमेंट फारस्पीनिंग मशीन) में सीधे ही डबल यार्न टैंवीस्टींग अटेचमेंट।
 23. रिंग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम
 24. प्लान्ट इसीसीएसी मैनेजमेंट सिस्टम
 25. केबलिंग मशीन
- नोट :** क्रम सं. 25 तक बढ़ाई मशीनें 4 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं इसमें न्यू स्टैण्ड अलोन/रिप्लेशमेंट /स्पीनिंग, मशीनरी का आधुनिकीकरण शामिल है। यद्यपि वेस्पीनिंग इकाईयां इसमें फावर्ड इन्टीग्रेशन तथा बुनाई /निटिंग /प्रोसेसिंग /गारमेंटिंग की मैजिंग क्षमता है वे ही ब्याज प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।
- बी.** **फ़ैक्स स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-**

1. फ्रैक्स हैकलिंग मशीन।
2. फ्रैक्स के लिए ड्राइंग मशीन
3. फ्रैक्स के लिए रोविंग मशीन।
4. फ्रैक्स के लिए वेट रिंग फ्रेम।
5. फ्रैक्स के लिए आटो वाइंडिंग मशीन।

सी सिल्क रीलिंग एवं द्वीस्टींग के लिए मशीनरी :

1. मल्टाइंड सिल्क रिलिंग मशीन (स्वचालित अथवा अर्ध स्वचालित)।
2. सिल्क द्वीस्टींग मशीन (टू फार वन अथवा थ्री फार वन अथवा अप द्वीस्टर्स)।
3. वाइंडिंग मशीन।
4. कनवेयर कुर्कींग मशीन।
- डी. सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग/स्पीनिंग के लिए मशीनरी :-**

 1. सिल्क वेस्ट प्रोसेसिंग
 - कोकून ओपनर
 - कम्प्यूटरीकृत सिल्क वेस्ट कर्टींग मशीन
 - डेगुमिंग मशीन
 - ड्राइंग चेम्बर्स
 - कार्डिंग मशीन
 - प्रेपरेटरी मशीन
 2. सिल्क ओपनर
 3. स्वचालित होपर फीडर/ब्लॉडिंग होपर फीडर/स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण सहित फीडर (चाहे स्वचालित गुणवत्ता वेट अथवा मात्रा नियंत्रण के साथ) सिल्क कार्ड के लिए मात्रा नियंत्रण।
 4. कार्डिंग सेट।
 5. रेक्टीलिनियर कोम्बर।
 6. वोगोराक्स टाप/सिल्वर प्रीन्टींग मशीन।
 2. टाप टू फाइबर/टाप कनवर्टींग मशीन।
 8. टाप बम्प प्रेस।
 9. ड्रा फ्रेम/रोविंग फ्रेम/आटोमेटिक रविंग फ्रेम/बोबीनर्स/फीनिसर।
 10. नोट स्वयं ऐठन करने वाली स्पीनिंग मशीन/साइरो स्पीनिंग (2 प्लाई स्पीनिंग) मशीन/कोट स्पीनिंग मशीन।
 11. फैन्सी यार्न द्वीस्टींग एवं पैटर्न मशीन।

12. जम्बो हैंक रीलिंग मशीन।
 13. यार्न ब्रूशिंग मशीन
 14. उच्च गति इन्टर सेटिंग रोटरी/चेन पिन ड्राइंग रोटर्स/गील बाक्स।
 15. फाइबर ओपनिंग एवं ब्लॉडींग मशीन।
 16. रेजींग/ब्रूशिंग मशीन।
 17. मल्बरी एवं टसर के लिए स्वचालित एवं अर्धस्वचालित रीलिंग मशीनरी।
 18. द्वीस्टींग, रीलिंग, यार्न सैम्पल्स की ब्रूशिंग एवं सादा (प्लेन) एवं फैन्सी धागों (यार्न) की अल्प मात्राओं से संबंधित मशीनें।
 19. सिल्क फैब्रिक के लिए दो चेम्बर वाला स्टेन्टर प्रोसेसिंग हेतु।
- ई. कृत्रिम फिलामेन्ट यार्न क्रीमींग/टेक्सराइजिंग एवं ऐठन(द्वीस्टींग) के लिए मशीनें
1. क्रीमींग मशीन।
 2. टेक्सराइजिंग मशीन।
 3. ऐठन देने वाली (द्वीस्टींग) मशीनें
 4. जम्बो हैंक वाइन्डर।
 5. रिवाइन्डर/प्रीसीसन कोन वीन्डर।
 6. माइक्रो स्लीटींग/रोल कर्टींग मशीन।
 7. फैन्सी यार्न द्वीस्टर्स एवं डबलिंग मशीन।
 8. द्वीस्टेड एवं कवर्ड कोर्ड उत्पादक मशीन।
 9. लीटरींग मशीन/जीक मेकिंग मशीन।
 10. एयर कवरींग मशीन।
 11. यूनिवर्सल डबल कवरींग मशीन।
 12. स्पैन्डेक्स अटैचमेन्ट ऑन सर्क्युलर नीटिंग/टेक्सचराइजिंग मशीन।
 13. ड्रा द्वीस्टर्स/ड्रा विन्डींग मशीन।

14. पीसीशन असेम्बली वाइण्डर

15. प्रीसीशन शाफ्ट वाइण्डर

16. हैंकटूकोन/ चीज वाइडिंग मशीन

एफ . रुई अपशिष्ट रिसायकलिंग प्लान्ट हेतु मशीनरी ।

1. स्वचालित नरम रुई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन ।
2. स्वचालित सख्त रुई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन ।
3. स्वचालित बेल प्रेस पद्धति (पैकिंग)
4. स्वचालित कॉटन डस्ट एवं स्पीड कलेकशन एवं फिल्टरेशन पद्धति ।
5. आग सुरक्षा प.धृति ।
6. सेवा - सुविधाएं, यथा, परिवहन, तोलसेतु पद्धति, स्वचालित बेल तुलाई पद्धति, आदि ।

जी. फायबर/यार्न परीक्षण उपकरण ।

1. आधुनिक फायबर परीक्षण उपकरण यथा, लंबाई, मजबूती, सुक्षमता परिपक्वता, कचरा, रंग आदि की जांच हेतु उच्च/मध्यम/कम मात्रा वाले उपकरण
2. एकरूपता परीक्षक
3. यार्न की त्रुटियों का वर्गीकरण करने वाले उपकरण, यथा, क्लासिमैट, क्लासिडाटा, आदि
4. नेप्स, लंबाई, व्यास, परिपक्वता, कचरे की जांच हेतु उपकरण यथा एफआईएस/एफआईएलई/एडवांस फायबर इन्फॉर्मेशन पद्धति, रॅपिड टेस्टर, आदि
5. सिंगल यार्न टेनासिटी टेस्टर, यथा टेन्सोरॅपिड, स्टॅटीमैट, टेन्सोमैक्स आदि
6. टेनासिटी/फायबर क्रिम्प मापनेवाले उपकरण , यथा फेवीमेट आदि ।
7. आधुनिक यार्न परीक्षण उपकरण, यथा, द्विस्ट टेस्टर, हेलेरीनेस टेस्टर, टेन्शन टेस्टर, फिक्शन टेस्टर को इफिशियन्ट ।
8. नमी परीक्षक ।
9. पैकिंग डेन्सिटी परीक्षक
10. उच्च सुक्षमता तुलाई सन्तुलन
11. सीएसपी.काऊन्ट हेतु संगणकीकृत ली स्ट्रेंग्थ टेस्टींग मशीन तथा सीएसपी एवं काऊंड हेतु सी.वी. प्रतिशत

एच. आधुनिक मटेरियल हॅण्डलिंग उपकरण, यथा फोर्क लिफ्टर, बेल स्टॅकर्स, आदि ।

**आई . सिलाई के धागे (कॉटन/पॉलिएस्टर/कन्टीन्यूअस पॉलिएस्टर फिलामेंट/कोर यार्न सिलाई के धागे)
विनिर्माण हेतु मशीनरी ।**

1. व्यक्तिगत नियंत्रण सुविधा तथा लंबाई मापने के उपकरण के साथ असेम्बली वाईडिंग/चीज वाइडिंग मशीन ।
2. आर्द्र सुविधा के साथ या बिना हेवी रिंग डबलर ।
3. पॉलिशिंग सह लुब्रिकेशन मशीन ।
4. हिट सेटींग तथा स्टॅबिलाइज़िंग मशीन ।
5. प्रि-अप्रिकेशन वाइंडर/कम्पोज़िट लुब्रिकेशन वाइंडर/कोन वाइंडर ।
6. प्रिसिशन वाइंडर एवं फिनिशिंग मशीन/टिवन कोन वाइंडिंग तथा कॉप वाइंडिंग मशीन ।
7. टयूब वाइंडिंग मशीन ।
8. ऑटो लेबलिंग तथा पैकिंग मशीन ।

9. बॉक्स स्टिचिंग/कार्टन स्ट्रैपिंग मशीन ।
 10. बॉन्डिंग मशीन ।
 11. स्पूल वाइंडर ।
 12. ब्रेइडिंग मशीन ।
 13. ब्रेइड डाटा पैकेज वाइंडर ।
 14. ब्रेइड वॉर्किंग मशीन ।
 15. ब्रेइड कॉप वाइंडर ।
 16. प्रि- ट्रिस्टर/असेम्बली वाइंडिंग मशीन
 17. अपट्रिस्टर ।
 18. डाय पैकिंग वाइंडर
- जे. तकनीकी सलाहकार -सह- देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझाती गई कोई अन्य मशीनें ।

प्रोउनियो के अंतर्गत वूल स्कावूरिंग, कोम्बींग एवं कारपेट इंडस्ट्री के लिए पात्र मशीनों की सूची

ए.. स्पीनिंग के वर्स्टेड व्यवस्था हेतु वूल स्काउरिंग, काम्बिंग एवं स्पीनिंग मशीनरी :-

1. परिष्कृत वूल स्कावरिंग मशीन कार्बोनाइज़िंग प्लॉट/लाईन सहित या उसके बिना ।
2. फाइबर ओपनिंग/ब्लूडिंग/क्लीनिंग/डस्टींग मशीन ।
3. उच्च उत्पादन वर्स्टेड कार्डस जो प्रतिघण्टे 50 कि.ग्रा. उत्पादन कर सकते हों ।
4. उच्च गति इंटरसेक्टिंग गील बॉक्स/चेन गील्स/रोटरी गील्स/उर्ध्वाधर (वर्टिकल) गील बाक्स जिसकी डिलवरी स्पीड कम से कम 400 मीटर प्रति मिनट होगी ।
5. ड्राईंग सेट/रोलिंग फ्रेम/रबिंग फ्रेम की डिलवरी स्पीड 200 प्रति मिनट हो ।
6. 12000 ग.प्र.मि. एवं उच्च गति के वर्स्टेड रिंग फ्रेम जिसमें साइरो स्पीनिंग अटैचमेन्ट लगें हों या नहीं/अथवा आटो डाफर्स लगें हों या नहीं ।
7. जम्बो स्पीनिंग फ्रेम ।
8. उच्च गति के रेक्टलीनियर काम्बर जिसकी गति 210 निप्स प्रति मिनट तथा उससे भी अधिक गति हो ।
9. क्रमशः कम से कम 8000 ग.प्र.मि. एवं 5000 ग.प्र.मि. की गति से चलने वाले टू फार वन/थ्री फार वन द्विस्टर्स ।
10. यार्न कन्डिशनिंग मशीन ।
11. असेम्बली वाइंडिंग मशीन जिसमें माइक्रो प्रोसेस कन्ट्रोल की व्यवस्था हो ।
12. प्रेसिसिअन कोन वाइंडिंग मशीन ।
13. एअर स्पीसर्स
14. कार्ड के लिये स्वचालित वेस्ट निकालने की व्यवस्था, गिल बॉक्स, कोम्बर एवं रिंग फ्रेम जिसमें वेस्ट रिकवरी/रिसाइकिलिंग मशीनरी लगे हो अथवा नहीं ।
15. बैलिंग प्रेस फार वूल कॉम्बींग
16. वूल कार्बोनाइज़िंग प्लॉट/ लाइन ।

बी. वूलेन स्पीनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी :

1. वूल स्काउरिंग मशीन ।
2. उच्च उत्पादन कार्डिंग मशीन ।
3. सेमी वर्स्टेड यार्न के लिए गील बाक्स ।
4. स्पीड फ्रेम ।
5. रिंग फ्रेम ।
6. आधुनिक स्पीनिंग सिस्टम (डीआरइएफ) ।
7. वाइंडिंग मशीन ।
8. कार्ड के लिए वेस्ट रिकवरी/रिसाइकिलिंग मशीनरी के साथ या बिना, स्वचालित कचरा निकालने की व्यवस्था ।

सी. शोडी स्पिनिंग सिस्टम के लिए मशीनरी :-

1. लगातार गारनेटिंग, रँग टीयरींग एवं पुलिंग एवं कार्डिंग मशीन ।
2. रिंग फ्रेम ।
3. वाईडर

(डी) कार्पेट उद्योग के लिए मशीनरी

I कार्पेट यार्न विनिर्माण की मशीनरी

- (i) वूलेन/सेमी वर्स्टेड यार्न की मशीनरी
 - (1) एसेम्बली प्लाइंग
 - (2) रीलिंग /हैंक से कोन वाइंडिंग/कोन वाइंडिंग से चीज एवं कोन ।
 - (ii) दूसरे यार्नों के लिए मशीनरी
 - (1) चेनाइल स्पीनिंग

II कार्पेट इंडस्ट्रिस द्वारा उपयोग किये जाने वाले यार्नों की डाइंग एवं फिनिशिंग की मशीनरी

- (1) स्टीम ड्रायर
- (2) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
- (3) स्पेस डाइंग
- (4) केम सेट मशीन /टिवीस्ट सेट
- (5) टेप स्काउर
- (6) सैम्पल डाइंग मशीन
- (7) सहायक वस्तुएं

ए वॉटर ट्रीटमेंट /सॉफटनींग प्लाण्ट

बी कार्विंग/ इम्बोसिंग/सियरींग इक्वीपमेंट

सी कार्पेट साफ करने के लिए वैक्यूम सक्षात्

III वोवेन कार्पेट के लिए मशीनरी

- (1) एक्समिन्स्टर वीविंग
- (2) स्पूल ग्रीपर

बी जैकार्ड ग्रीपर

(2) विल्टन वीविंग

ए वायरलूम वीविंग / ब्रसेल्स वीविंग

बी फेस टू फेस वीविंग

(IV) कार्पेट बनाने वाली अन्य मशीनरी

(1) पास टफ्टींग

(2) निडिल फेल्टींग

(3) पयूजन बॉडिंग

(4) कार्पेट सीयरिंग एवं जे बॉक्स /जे स्क्रेस

(5) कार्पेट बैक कोटींग / कार्पेट के फिनिशिंग एवं लेटेक्सींग के लिए कोटींग एवं ड्राइंग लाईन

(6) कार्पेट ओवरलॉकिंग / ओवर एंजिंग मशीन

(7) कार्पेट लेबल मशीन

(8) कार्पेट वाइडर्डींग / बेलिंग मशीन

(9) कार्पेट इनस्पेक्शन /रबींग मशीन

(10) कार्पेट क्रिगिंग मशीन

(11) कार्पेट प्रिटींग मशीन

(12) कार्पेट टाइल बॉकिंग/ कोटींग /लेटेक्सींग एवं कटींग लाईन

(13) एम- टफ्ट (मोद्रा - टफ्ट)

(14) किब्बी

(15) नेड ग्राफींक

(16) वीव लिंक

V कार्पेट को जॉचने के उपकरण

(1) टफ्ट वीथड्रावल टेन्सोमीटर

(2) वीयर एवं एब्रेशन टेस्टर

(3) हैक्सपाड वॉकर टेस्टर

(4) कार्पेट डायनमिक लॉडिंग टेस्टर

(5) कार्पेट स्टेटिक लॉडिंग टेस्टर

(6) कार्पेट पाइल हाइट टेस्टर

(7) कार्पेट थीकनेस टेस्टर

(8) कार्पेट फ्लॉमेबिल्टी टेस्टर

- (9) लाईट फास्टनेस टेस्टर (जिनो टेस्टर)
 - (10) लाउंडर- ओ-मीटर
 - (11) क्रॉक मीटर
 - (12) झाँलेट एक्सट्राक्टर
- ई तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन।

ए. विस्कोस फिलामेंट यार्न एवं विस्कोज स्टेपल फाइबर विनिर्माण करने हेतु प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची ।

1. विस्कोस फिलामेंट यार्न के लिए कन्टीन्यूअस स्पिनिंग मशीन ।
2. कन्ट्रोल बोर्ड समेट स्पिनिंग मशीनों के लिए डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेन्सी इनवर्टर ।
3. संबद्ध फीड पद्धति के साथ फिनिशिंग ऑयल मिटरींग पम्प
4. विस्कोस के लिए मिटरींग गिअर पम्प
5. स्टिर्ड वेसल, मिटरिंग पम्प, उपकरण तथा नियंत्रण पैनल से परिपूर्ण विस्कोस डोप फिलामेंट के इंजेक्शन के लिए पोर्टेबल पद्धति
6. डिस्ट्रीब्युशन प्लेटस्,(प्रि-स्पिनरेट) समेट प्रेशियस मेटल स्पिनरेट्स
7. फँश इवैपोरेशन द्वारा स्पिन बाथ डिगॉसिंग प्लान्ट
8. कॅन्डल फिल्टर्स के साथ स्पिन बाथ बैकवॉश फिल्टरेशन पद्धति
9. विस्कोस तैयार करने के लिए कन्टीन्यूअस डिसोथिल्विंग एवं होमोजीनाइझिंग पद्धति
10. विस्कोस के लिए कॉन्टिडिस्क फिल्टर्स
11. ग्रैफाइट में स्पिनबाथ हिट एक्सचेंजर
12. विस्कोस के स्वचालित नियंत्रण प्राचलों के लिए डिस्ट्रीब्युटेड सेन्ट्रल पद्धति (डिसीएस)
13. कताई के दौरान तथा प्रक्रिया के पश्चात स्वचालित केक हॅण्डलिंग पद्धति ।
14. प्रोसेसर नियंत्रित प्रेसिशन कोन वाइंडिंग मशीन
15. स्वचालित कोन पैकिंग तथा पेलेटाइझिंग पद्धति
16. नॉटिंग विस्कोज फिलामेंट यार्न ब्रेक्स के लिए स्प्लाइसर्स
17. विस्कोज फिलामेंट यार्न स्टंडेंग टेस्टर, इनस्ट्रॉन या स्टैटीमेंट या वाइब्रोडिन 400 मॉडेल
18. प्रक्रिया के नियंत्रण तथा पर्यावरण की देखरेख के लिए टेस्टिंग उपकरण:-
 - i वातावरण की देखरेख के लिए एआर सेन्ट्री
 - ii क्रॉस सेक्शन स्टडी हेतु स्टिरिओ माइक्रोस्कोप
 - iii व्रिस्कोस, पिगमेंट्स तथा टिओज़ डिस्पर्शन स्टडीज़ के लिए पार्टीकल साईज अनालाइजर
 - iv स्पीनेरीटीज इनस्पेक्शन माइक्रोस्कोप
 - v मैग्नेटिक फलो मीटर इन बीआरआय
 - vi साफ्ट वाटर हार्डनेश
 - vii पोर्टेबल कलर मैचिंग सिस्टम
 - viii वाइण्डर मशीन फार युनिफार्म शेड स्ट्रीट
 - ix प्रसाइज वाल्यूमटिक एनालिसिस ऑटो टाइरेटर
 - x पोर्टेबल डेन्सिटी मीटर
19. इको लेवल प्रमाणन - इको पॉरामीटरों के लिए परीक्षण उपकरण :-
 - i हाई परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तथा हाई परफॉर्मन्स थीन लेयर मेटोग्राफी
 - ii परस्पिरोमिटर
 - iii वाश व्हिल मशीन
 - iv सहायक उपकरणों के साथ प्रैटोमिक अब्सार्पेशन स्पेक्ट्रोमीटर
 - v यूवी - विसुअल स्पेक्ट्रोमीटर
 - vi मास स्पेक्ट्रोमीटर समेत गेस क्रोमेटोग्राफी
 - vii फोरिअर ट्रान्सफॉर्मिंग इन्फ्रा रेड रेस्ट्रामीटर
 - viii बी.ओ.डी. एवं सी.ओ.डी. मॉनीटर्स

- बी.**
- (i) **विस्कोस स्टॅपल फायबर के लिए मशीन ।**
 1. पल्प-प्रि-ट्रिटमेंट-इलेक्ट्रान
 2. स्वचालित पल्प फिल्डिंग पद्धति
 3. स्वचालित स्लारी कन्सिस्टन्सी कन्ट्रोल पद्धति के साथ पल्प स्लरी मिक्सर
 4. श्रेडर समेत द्विन रोल स्लरी प्रेस
 5. एंजिंग ड्रम
 6. स्वचालित अल्कलि सेलुकोस कन्वेइंग / फिल्डिंग पद्धति
 7. अल्कलि सेलूलोस कुलर - स्वचालित तापमान नियंत्रण के साथ फल्युइडाइज्ड बेड टाइप
 8. लाय फिल्टर (कॉन्डल फिल्टर्स)
 9. स्वचालित चार्ज लाय तथा चार्ज वाटर मिक्सिंग तथा कुलिंग पद्धति
 10. ऑटोमेशन के साथ ज़ौौथैटर
 11. होमोजिनाइझर्स के साथ कन्टीन्युअस डिसॉल्यिंग पद्धति
 12. स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण के साथ रिपेनिंग रूप, ऑटो बैक फ्लूश फिचर्स के साथ कन्टीन्युअस फिल्टर्स, हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेस, रद्व विस्कोज की वसुली हेतु सेन्ट्रीफ्यूज स्कू/गिअर प्रकार का विस्कोस पंप, विस्कोस हिटींग पद्धति बास्केट प्रकार का विस्कोस डेओरेटर्स कन्टीन्युअस स्पिकिंग टॅक्स
 13. विस्कोस सेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्युटर कंट्रोल पद्धति
 14. स्वचालित स्पिनबाथ टैयार करना, परिचालन फिल्टरेशन, हिटींग एवं इवॉपोरेशन पद्धति
 15. हॉस्टीअलॉय-सी हैक्सा रोलर्स स्ट्रेच युनिट
 16. उच्च गति के स्वचालित रोटरी कटर्स
 17. कार्बन डाय-सल्फाइड रिकवरी थ्रु के लिए हॉस्टीअलॉय-सी
 18. स्क्रबर्स एवं कन्डेन्सर्स के साथ कार्बन डाय सल्फाइड रिकवरी पद्धति
 19. सम्प झोन कुलिंग तथा फिल्टरेशन पद्धति
 20. फायबर की धुलाई, कन्वेइंग ऑल फायबर तथा रासायनिक प्रक्रिया हेतु आफ्टर ट्रिटमेंट पद्धति
 21. आफ्टर ट्रिटमेंट केमिकल्स फिल्टरेशन पद्धति
 22. न्युमैटिक फायबर स्थिरणिंग पद्धति, वेट फायबर ओपनर, फायबर ड्रायर तथा स्वचालित इन्वेइंग पद्धति के साथ डाय फायबर
 23. बेल वेट, नमी आदि की प्रक्रिया नियंत्रण के साथ संपूर्ण स्वचालित बेलिंग प्रेस
 24. स्वचालित बेल हण्डलिंग पद्धति
 25. स्पिनिंग से बेलिंग प्रेस के लिए डिस्ट्रीब्युटर कंट्रोल पद्धति

 - (ii) **रंगीन फायबर के लिए मशीनरी ।**
 1. कलर स्लरी प्रिपरेशन तथा इंजेशन हेतु डिस्ट्रीब्युटर कन्ट्रोल पद्धति
 2. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आधारित संगणकीकृत कलर मॉचिंग पद्धति
 3. कलर स्लरी इंजेक्शन पम्प
 4. ऑन लाइन फायबर गुणवत्ता देखरेख उपकरण
 5. ऑन लाइन फायबर सम्मिश्रण, जॉच तथा निराकरण पद्धति
 6. स्वचालित फायबर सॅम्पलिंग पद्धति (रोबोटिक प्रकार की)

 - (iii) **उपयोगिता :-**
 1. विस्कोस फिलामेंट तथा विस्कोस स्टॅपल फायबर दोनों के लिए - प्रोसेस कुलिंग तथा राइपनिंग रूप एअर कंडिशनिंग एनर्जी इफिशियन्ट कुलिंग टॉवर्स हेतु रेफ्रिजरेशन पद्धति
 2. 15 एच.पी. तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

(iv) **लियोसेल फायबर प्लान्ट :-**

1. पल्पस
2. हाई विस्कोस रिएक्टर ऑपरेटिंग वॉक्यूम
3. थीन फिल्म इवॉपोरेटर्स
4. पॉलिमर पम्प
5. पॉलिमर फिल्टर्स
6. स्पिनिंग मॉड्यूल
7. फायबर वॉशिंग तथा ट्रिटमेंट मशीन
8. फायबर ड्रायर्स
9. फायबर ओपनर्स
10. बेलिंग प्रेस
11. एजिटेटेड रिएक्टर
12. सहायक उपकरणों के साथ डिस्टीलेशन टॉवर
13. मल्टि स्पेज इवॉपोरेटर्स
14. आईओएन एक्सचेंज प्लूरिफिकेशन प्लान्ट

(v) **उच्च नमी वाले मोड्यूलस विस्कोस फायबर**

1. मॉडल (एचडब्ल्यूएम) मशीन लाइन
2. सोडा स्टेशन के लिए पम्प
3. ब्राइन पीएचई
4. डिसॉल्वर के लिए हिट एक्सचेंजर
5. 3% कॉस्टिक पीएचई
6. मैच्यूरिंग ड्रम हेतु रोटरी एअर लॉक
7. स्तर नियंत्रण पद्धति के साथ चार्ज वॉटर टँक
8. स्टिटर के साथ डोप टँक
9. विस्कोस परिचालन पम्प
10. फ्लूश टँक से पहले हिट एक्सचेंजर
11. स्पिनिंग पम्प
12. स्पिनिंग पम्प के बाद हिट एक्सचेंजर
13. स्पिनिंग से बेलिंग तक संपूर्ण पद्धति स्पिन बाथ टँक तथा पंप
14. स्पिन बाथ टँक तथा पंप
15. डिसॉल्विंग पद्धति
16. स्पिन बाथ फिल्टर्स एवं एक्सझॉस्ट फॅन
17. स्पिन बाथ कुलिंग के लिए हिट एक्सचेंजर
18. रोटरी वॉक्यूम फिल्टर एवं पंप

सी तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वीविंग,निटिंग के लिए पात्र मशीनों की सूची ।

ए. प्रारंभिक वीविंग के लिए :-

1. सिंगल यार्न साइंडिंग मशीन
2. उच्च गति वाली मल्टी सिलेंडर साइंडिंग मशीन/झिरों द्विस्ट साइंडिंग मशीन
3. क्रील के साथ अति उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (शटललेस करघों के लिए)
4. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (ऊनी इकाईयों के मामलों में शटललेस करघों के लिए)
5. क्रील के साथ उच्च गति वाले डायरेक्ट बीम वार्पर (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
6. वार्प टाइंग मशीन
7. स्वचालित ड्राइंग इन मशीन/रिचिंग इन मशीन
8. संपूर्ण स्वचालित पीर्न वाइंडिंग मशीन (स्वचालित शटललेस करघों के लिए)
9. हाइड्राउलिक बीम लिफ्टिंग ट्रॉली (शटललेस करघों के लिए)
10. बुनाई (विकल्प) के लिए संगणकीकृत डिजायन पद्धति
11. क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम एवं 5000 आरपीएम गति से चलने वाले टू फॉर वन द्विस्टर/थी फॉर वन द्विस्टर
12. ड्रा वार्पिंग एवं साइंडिंग मशीन
13. 800 मीटर प्रति मिनट की गति वाली कॉल्स द्विस्ट टेक्सचराइसिंग मशीन
14. माईक्रो प्रोमेसर्स/कट चेनील यार्न मशीन के साथ फॅन्सी यार्न द्विस्टर एवं डबलर्स
15. यार्न सिंजिंग मशीन
16. ऑटोस्टॉप एवं टंडेशन कंट्रोल के साथ सेक्शनल वार्पिंग मशीन
17. कोन डाइंग मशीन
18. पीर्न वाइंडिंग मशीन
19. हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर वर्टिकल एक्सिट वार्पिंग मशीन
20. आटो रोलिंग स्टीच मशीन
21. बीम गेटिंग ट्राली
22. वार्प लीजिंग मशीन
23. डार्बी डिजाईन कार्ड पंचीग एवं कापिडंग मशीन
24. स्वचालित स्टोरेज सिस्टम

बी. करघे के शेड (वीविंग) के लिए :-

1. शटललेस करघे:- प्रोजेक्टाइल एवं रैपिअर करघों के लिए

1152 हुक्स जॉकार्ड मशीन के साथ हाई स्पीड रैपिअर वीविंग रैपिअर वीविंग करघों तथा विभिन्न चौड़ाई वाले लेबल के विनिर्माण करने हेतु आवश्यक टेप्स एवं उपकरण बनाने के लिए फिट किए गए इंटरमिटेन्ट कर्टींग नाईफ के साथ निम्न वेफ्ट निवेशन दर के साथ एअरजेट तथा वाटरजेट करघों के लिए

(i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रतिमिनट तथा उससे अधिक। पुरानी सुल्जर प्रोजेक्टाइल वीविंग मशीन के वेफ्ट निवेशन पर में न्यूनतम 5% तक की कमी की अनुमति है।

(ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक। एसएसआई इकाईयों के लिए रैपिअर शटललेस करघों का वेफ्ट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक होगा।

2 शटललेस करघे (ऊनी इकाइयों के लिए)

- (i) प्रोजेक्टाइल करघों के लिए 800 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक तथा
(ii) अन्य शटललेस करघों के लिए 450 मीटर प्रति मिनट तथा उससे अधिक । एसएसआई
इकाइयों के लिए रैपिअर शटललेस करघों का वेफट निवेशन दर 250 मीटर प्रति मिनट तथा
उससे अधिक होगा ।

3. स्वचालित शटल वाले करघे ।

4 टेरी टॉवेल लूम (संपूर्ण स्वचालित या शटललेस)

5. कटपाइल फंब्रिक्स हेतु केर्डरॉय तथा/अथवा वेलवेट लूम तथा/अथवा स्वचालित लूम ।

6. कॅनवास लूम

7. पावर ड्रिवन चेनीली लूम

8. टेप/बेल्ट वीविंग के लिए हाई स्पीड निडल लूम

9. ऑटो क्रस्ट्रोल ठाइप ऑफ हयुमिडिफिकेशन प्लान्ट(शटललेस लूम शेड के
लिए)

10. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्द्रता पद्धति
(स्वचालित लूम शेड हेतु)

11. एअरजेट लूम्स हेतु ओवर हेड फ़िनर

12. डस्ट सेपरेटर

13. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन

14. फंब्रिक एम्ब्रॉइडरी मशीन

15. स्टॅण्ड अलोन आधार पर जॅकॉर्ड तथा डॉबी

16. पॉवर ड्रिवन क्लाथ कटींग मशीन/लेसर फंब्रिक या लेबल कटींग मशीन

17. 15 एच पी तथा उससे अधिक का एअर कॉम्प्रेसर

18. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कन्ट्रोल के साथ टफटींग मशीन

सी. निटींग के लिए :-

1. उच्च गति की गोलाकार निटींग मशीन। अनुज्ञेय पुरानी दुरुस्त की गई गोलाकार बुनाई
मशीन के लिए न्यूनतम गति 20 चक्र प्रति मिनट होगी । आशोधन की प्रभावि तिथि
दिनांक 21 जनवरी,2003 है।

2. इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड के साथ या बिना उच्च गति की सॉक्स निटिंग तथा ग्रोवस निटिंग मशीन
3. संगणकीकृत फँट बेड निटिंग मशीन के लिए 11 चक्र प्रति मिनट
4. (ए) वार्प/राचेल निटिंग मशीन
5. (बी) निटिंग के लिए उच्च गति की संगणकीकृत वार्पिंग मशीन
6. संगणकीकृत लेबल बनाने वाली मशीन
7. संगणकीकृत स्ट्रॉप (कॉलर/कफ) फँट बेड निटिंग मशीन
8. नमी तथा ताप नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आर्दता पद्धति
9. 15 एच.पी तथा उससे अधिक का एअर काम्प्रेसर

डी. हथकरघा :-

1. डॉबी/जॅकॉर्ड के साथ बिना तथा बैंचमार्क प्रौद्योगिकी विशेषताओं, जैसे टेक अप मोशन, समुथ रखे मुवमेंट, बड़ा शटल तथा बॉबीन (न्यूनतम 4") नकारात्मक लेट ऑफ मोशन के साथ न्यूनतम 52" चौड़ाई वाली अर्ध स्वचालित/साधारण फ्रेम वाले हथकरघे। इनमें वेफ्ट बुद्धा यंत्रावली, पिक अण्ड पिक स्लाइंडिंग शटलबॉक्स, सॉलिड बॉर्डर वीविंग कॅचकार्ड अटॅचमेंट जैसे उपकरण शामिल हैं। फ्रेम लूम 1/2"X 11/2 X 3" स्टील यू चैनल या 2 1/2" व्यास तथा 8 गेज के स्टील पाइप या न्यूतम 4" चौड़े X 6" लंबे मजबूत लकड़े से बनाए जाए। लंबी लंबाई के फॅब्रिक की बुनाई सुनिश्चित करने हेतु लकड़े या स्टील से बने अतिरिक्त वार्प एवं क्लॉथ रोलर करधों में होने चाहिए।
2. डॉबी जैसे लैटीस बैरेल/टॅपेट/झाबार/आर्यन फ्रेम वर्टीकल/सेंटर क्लोज्ड शेड/वुडन फ्रेम वर्टीकल/डबल सिलेंडर आर्यन बॉर्डर, जॅकॉर्ड जैसे सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर वुडन फ्रेम/सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम बार/डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/ जनता/लिनों के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करधे के हथकरघे, जाला तथा डॉबी या जॅकॉर्ड का संयोजन, एक तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/ दोनों तरफ लगे हुए ड्रॉप बॉक्स/गोलाकार शटल बॉक्स/ पिक अण्ड पिक स्ले के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल स्ले।
- 3.. लेट ऑफ मोशन जैसे लिवर तथा वेट लेट ऑफ मोशन/स्पेशल स्पिंग मोशन/ रोप लेट ऑफ मोशन/वेट सिस्टम/स्पिंग सिस्टम के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करधे।
- 4.. टेक अप मोशन जैसे रॅचेट एण्ड पॉल मोशन/ 3 बील इचलकरंजी टाइप मोशन इमरी रोलर के बिना 5 बील टेक अप मोशन/ 7 बील टेक अप मोशन के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम लूम।
5. विशेष सहायकों जैसे कॅच कार्ड पद्धति/स्वीवेल करधे/ लॅपेट मोशन/टेरी मोशन/लिनो यंत्रावली/चेन्नाइल वीविंग(बुनाई के दौरान चेन्नाइल की स्वचालित कर्टींग) मेटल फ्रेम वाले हथकरघे/चौड़ी चौड़ाई के लकड़े के फ्रेम के हथकरघे/लम्बी लंबाई वाले कपड़े बुनने की यंत्रावली आदि के साथ फिट किए गए हथकरघे।

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त हथकरघा इकाईयों के पियानों कार्ड पंचिंग मशीन/इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पंचिंग मशीन भी उपलब्ध करायी जाएगी।

6. हाथ /पेडल/पॉवर से संचालित पिर्न/बॉबिन्स/ ड्रम्स तैयार करने के लिए मल्टी स्पिंडल के साथ वाइडिंग मशीन।
7. हाय स्पीड डॉबलिंग मशीन जिसमें स्पीन्डल बोल्स्टर में बाल बेयरिंग सहित हो।
8. मोबाईल वस्त्र गुणवत्ता परीक्षण उपकरण जो केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए है तथा निम्न के परीक्षण के योग्य है।
 - लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक धुलाई के लिए रंगों का पक्कापन
 - क्रॉकींग/रबिंग के लिए रंगों का पक्कापन
 - सिकुडन
 - प्रति इंच एण्डस्-पिक्स
 - यार्न का काऊन्ट
 - यार्न के क्रिम्स का प्रतिशत
 - फैब्रिक की चौड़ाई तथा
 - प्रति स्केअर मीटर ग्राम, आदि

ई. तकनीकी सलाहकार सह- देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीनें।

परिशिष्ट डी – 2

नान वोवन / तकनीकी वस्त्रों के प्रौद्यनियों के अंतर्गत पात्र मशिनरी / उपकरणों की सूची ।

(क) स्पीनिंग

- (1) फ्रीक्शन स्पीनिंग
- (2) स्पीनिंग के लिए एसेसरीज विशेषकर यदि जैसे अर्माइज एवं हाई प्रफार्मेंश यार्न
- (3) डोबलिंग अथवा हण्डस्ट्रीयल यार्न हेतु द्विस्टींग मशीन

(ख) वीविंग की तैयारी

- (1) हाई स्पीड कम्प्यूटराइज्ड वार्पिंग / सेक्शनल वार्पिंग मशीन
- (2) फिलामेंट वाइण्डिंग मशीन फार टेक्सटाइल पोजीशन
- (3) स्पुलिंग मशीन
- (4) वीविंग मशीन
- (5) केन्स्टर बीम वार्पिंग मशीन
- (6) असेम्बलिंग मशीन
- (7) स्वचालित क्लाइलिंग वाइन्डर मशीन
- (8) स्वचालित कास्टेनिंग टेप असेम्बलिंग फिक्सचर
- (9) स्वचालित ज्वाइनिंग एवं वाइण्डिंग मशीन

(ग) वीविंग

- (1) हैवी डयूटी शटल रहित वीविंग मशीन जो टेक्नीकल टेक्सटाइल के उत्पादन में लगे ।
- (2) हैवी ऊँटी टेप वीविंग
- (3) हाई एक्सल एवं मल्टी एक्सल वीविंग मशीनरी
- (4) मल्टी फेज वीविंग मशीन
- (5) उच्ची एवं क्लाक वीविंग मशीन
- (6) नीडल लूम फार नैरो वोवेन फैब्रिक
- (7) सर्कुलर लूम
- (8) पोजिशन ड्राइवेन कम्प्रेसर स्टैण्ड असेम्बली

(घ) नीटिंग

- (1) वेफट इन्स्टर्ड वार्प नीटिंग मशीन (डब्लू आई डब्लू के)
- (2) नीटिंग मशीन फार स्पेशर फैब्रिक
- (3) बाई – एक्सल एवं मल्टी ऐक्सल नीटिंग मशीन
- (4) ट्राइकाट मशीनरी

- (5) रैचल ड्बल नीडल वार मशीन
- (6) रैचल मशीन फार नीटिंग
- (7) वार्प नीटिंग स्सिटम युक्त मशीन
- (8) सर्कुलर वार्प नीटिंग मशीन फार कम्प्रेशन गार्मन्ट
- (9) स्टीच वाणडिंग मशीन

खब्

(ङ) प्रोसेसिंग

- (1) मेकेनिकल फोमर जो क्रश कलेजर सहित से
- (2) पतद्रूजन मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (3) स्पैटर्टिंग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (4) एफ आर पी प्रोसेसिंग मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (5) आर टी एम (रीइन फोसर्ड टेक्सटाइल मैटीरीयल) मशीन एवं इक्वीपमेण्ट
- (6) लैब स्केल प्रोडक्शन / प्रोसेसिंग इक्वीपमेण्ट फार टेक्नीकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट डेवलपमेण्ट
- (7) गेटिंग एवं / अथवा लैमिनेटिंग मशीन
- (8) कैलेप्डरिंग मशीन
- (9) फीनिशिंग मशीनरी फार इम्प्रगनेटिंग यार्न या फैब्रिक हेतु
- (10) डीपिंग मशीन फार टायर कार्ड / इण्डस्ट्रीयल फैब्रिक/ वेल्टिंग डक्श।
- (11) डीपिंग मशीन फार सिंगल इण्ड अथवा कार्ड फार रीइफोर्समेण्ट ऑफ बी- बेल्ट /होसेस /होस टायर्स
- (12) प्रीटिंग मशीन फार वोटेड /लैमिनेटेड फैब्रिक
- (13) को गुकोटेड पी यू अथव पी बी सी डीप कोटिंग मशीन / पी यू अथवा पी बी सी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डीपिंग /नाइफ मशीन जिसमें इन्फ्राटेड ड्रायर सहित ।
- (14) फलैबसोनग्राफिक प्रीटिंग मशीन रोवेन रौक के उत्पादन मे से जो कि सम्पूर्ण लागत का हिस्सा है ।
(यह मशीन स्टैण्ड अलेन आधर पर पात्र नहीं होगी ।)

(एफ) मेडअप टेक्नीकल टेक्सटाइल (टीटी) स्टोर

- (1) कम्प्यूटराइज्ड कटिंग इक्वीपमेण्ट
- (2) हाट एयर वेल्डिंग इक्वीपमेण्ट
- (3) आर एफ (रेडिओ फ्रेक्वेन्सी) वेल्डिंग इक्वीपमेण्ट
- (4) अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सीविंग इक्वीपमेण्ट
- (5) लेजर कटिंग एवं सीलिंग इक्वीपमेण्ट
- (6) टूल्स एवं रीग्स फार फैब्रिकेशन ऑफ टी टी उत्पाद

- (7) प्रीटिंग इक्षीपमेण्ट फार सिगनेज
- (8) हीट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (फार हीट सेटिंग टेबल)
- (9) बैंक कोटिंग लाइन्स
- (10) ब्रेडिंग मशीनरी
- (11) मशीनरी फार मॅन्यूफैक्चर ऑफ क्लिनर
- (12) मशीनरी फार मैन्यूफैक्चर ऑफ प्रीफैब्रीकैटड कर्टिकल ट्रेब /प्रीफैब्रीकेटेड विक ट्रेब
- (13) कम्प्लीट याण्ट फार मे किंग फेल्ट ।
- (जी) नॉन वेविन टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चरींग मशीनें :-
- (1) वेल ओपनर्स
- (2) फायबर ओपनर्स
- (3) फोरक्यूपाइन वेटर / ओपनर डबल वेटर के साथ अथवा अन्य समान ओपनर
- (4) फायबर बलेझर्डिंग / मिक्रिंग
- (5) फीडर होपर्स / च्यूट / फीडिंग यूनिट
- (6) कार्डस
- (7) क्रास – चैपर्स
- (8) सैच्यूरेटर
- (9) एयर लेइंग / वेब लेइंग / वेब फोर्मिंग मशीन
- (10) बेक ड्राफ्टर्स
- (11) वेब एक्सपेन्डर्स
- (12) प्रिन्ट बाण्डर
- (13) वेब कन्वेयर्स
- (14) वेब कन्ट्रोल सिस्टम –वेट / यूनिफार्मिटी /एलाइन्मेण्ट
- (15) वेट फीडर्स
- (16) प्री – नीडलर / टोकर्स
- (17) वेब ऐटन ड्रीमिंग एवं री – साइकिलिंग सिस्टम
- (18) ऐज ओपनर्स
- (19) एक्यूमूलेटर
- (20) स्टेकर्स
- (21) अन वाइण्डर्स / वाइण्डर्स / स्लीटर्स / स्लीटर –सह –वाइण्डर / स्टेकर्स
- (22) कम्प्रेसन सेल्स

- (23) हीटेड कैलेण्डर
 - (24) चील्ड कैलेण्डर
 - (25) चिलर
 - (26) स्टेण्टर
 - (27) बलो रुम इक्वीपमेण्ट
 - (28) वाइझर्डिंग एवं कटिंग मशीन
 - (29) ऑल टाइप ऑफ नीडल लूम
 - (30) स्टीच वाण्डिंग मशीन जरुरी उपस्करों सहित
 - (31) केमकली वोण्डेड नॉन वोवेन
 - (32) आटो फोम जनरेटर
 - (33) विन्डर मिक्रिंग टैक्स
 - (34) बिन्डर अटलीकेटर्स ऑफ आल टाइप प्रिन्ट डीप नाईफ आदि
 - (35) ड्राइंग एवं कर्टींग मशीन स्टीम / इलेक्ट्रीक / आयल / गैस ही टेड
 - (36) 30 “ स्टेनलेस स्टील ड्राइंग सिलेण्डर्स रेंज वीथ कस्टी 5 से 6 सिलेण्डर्स टेफलान कोटेड ।
 - (37) स्प्रे वूम वीथ स्प्रे गन्स
 - (38) वाइडर एफ्युकेटर
 - (39) कर्टींग ओवेन स्टीम / इलेक्ट्रीक /आयल /गैस हीटेड
 - (40) थर्मल वोबड कैलेण्डर
 - (41) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑफ कैलेण्डर
 - (42) हॉट एयर ओवेन
 - (43) थर्मोपैक फॉर हीटींग ऑयल
 - (42) ड्राइंग एवं / अथवा बलीचिंग मशीन फार फायबर
- (ii) स्पनलेस नान वोवेन प्लाण्ट में सम्मिलित हैं :-
- (1) हायड्रो इन्टेनगलमेण्ट यूनिट
 - (2) सक्षान यूनिट
 - (3) हन्ग्रेविंग यूनिट
 - (4) ड्रायर ऑन लाइन प्रीटिंग यूनिट
 - (5) हीटिंग सिस्टम
 - (6) वाटर फिल्टर सिस्टम
 - (7) वायलर फार धार्मिक फलूड / अवयल क्रास – चैपर्स

- (8) हाई प्रेशर पम्पस
- (9) जेट स्ट्राइप क्लीनिंग इक्षीपमेण्ट
- (10) जेट बीमस
- (11) फीनिशिंग सेमी बेल्ट वैक्यूम वीम सहित।
- (12) वाइण्डर वीथ स्लीटर

(iii) स्पनवाल नान वोवेन मशीनों में सम्मिलित हैं :-

- (1) चीफ फीडर
- (2) ड्रायर
- (3) एक्सट्रूडर
- (4) स्पाइन रेटीस
- (5) कूलिंग चेम्बर
- (6) फिलामेण्ट लेइंग
- (7) कम्प्रेसर रोल

(iv) कम्प्लीट मेल्ट एलोन लाइन में सम्मिलित हैं :-

- (1) पेलेट हैण्डलींग सिस्टम
- (2) स्क्रील चेंजर
- (3) मेल्टब्लॉन डाइ
- (4) लैमिनेशन स्टैप्ड

(ज) फिनिशिंग मशीन :-

- (1) हाट मेटल कोल्ड गू अप्लीकेटर्स फार कोटिंग
- (2) अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन / एज सीलर
- (3) ब्रेजिंग मशीन विथ टार्व (हॉट एयर हेतु)
- (4) पी एल सी आयरेटेड सिस्टम वीथ सर्वो ड्राइव फार मेजरमेन्ट / कन्ट्रोल आफ टेन्शन एवं टेम्प्रेचर
- (5) सभी प्रकार के सिलाई मशीन
- (6) फिल्म कैलेप्डरिंग मशीन
- (7) ॲटोमेटिक पैकिंग एवं इन्सपेक्शन मशीन
- (8) हीटेस्ट ओवन वीथ स्टेन्टर फैसिलीटी

- (9) छांविंग प्रेस
- (10) पायलट / लैब कोटिंग लाइन
- (11) हाइ प्रेशर पम्पकार वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (12) रोबोटिक वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (13) सेगेट फार वाटर जेट कटिंग सिस्टम
- (14) वाटर साफ्टनींग / प्यूरीफीकेशन सिस्टम फार वाटर जेट कटिंग
- (15) पाउडर स्केटरींग / पोस्ट डाट / पावडर डाट के लिए मशीन
- (16) फयूसीवल इण्टरलीणरींग
- (17) पैडींग मैंगले (फूलर्ड)
- (18) एकसटूडर लैमिनेशन मशीन
- (19) शीट एक्सट्रुडर्स एण्ड लैमिनेशन मशीन
- (20) सिंजीइंग मशीन
- (21) छांप / पिन स्टेण्टर फार हीट सेटींग
- (22) फलेम लैमिनेशन मशीन
- (23) डर्स्ट कलेक्टर्स
- (24) जैकार्ड मशीन फार ज्वाइनिंग टू ऐज वाई इण्टर वीविंग
- (25) ट्यूरीट वाइण्डर एवं अनवाइण्डर
- (26) हाइ स्पीड प्रेसीजन मिकर्स फार प्लास्टी सोल्स / आर्गेनोसोल्स्
- (27) गुनिंग एवं कटिंग मशीन
- (28) ग्रोमेट फिकरींग मशीन
- (29) पी यू टम्बलींग मशीन एवं ड्राइंग मशीन
- (30) डी एम एफ रिकवरी प्लाण्ट एवं डिस्टीलेशन प्लाण्ट
- (31) प्रीटींग मशीन फार कोटेड टाइल्स
- (32) सभी प्रकार के कोटर्स जैसे नाइफ ओवर रोल, किश रोल कोटर, स्क्रीन कोटर इत्यादि
- (33) मल्टी सिलेण्डर ड्राइंग रेंज
- (34) रोटरी एवं फलैट बेड स्क्रीन प्रीटिंग मशीन
- (35) डीपिंग प्लाण्ट
- (एच) नान वोवन कन्चटींग मशीन :-**
- (1) कम्पीट थर्मो फाउलडींग लाइन्स
- (2) कम्पीट थर्मो सेटींग लाइन्स

- (3) मशीनरी ऑफ कार्पेट / एन वी एच माडलर्डिंग लाइन्स ओवन / प्रेस
- (4) कन्वेयर / थर्मोपैक फार हीटिंग / चिलर फॉर कूलिंग
- (5) मशीनरी फॉर माउलडेड एफ लाइनर्स
- (6) डाइ कटिंग प्रेसेस
- (7) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू फेस मास्क / इस्ट मास्क / डक बिल मास्क / इयरलूप मास्क सीलिंग ।
- (8) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू वाडफोन्ट कैप्स सर्जिकल केंप / मेडीकैप मेकिंग मशीन
- (9) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू गोन्स / पिलो शिप / शू कवर्स / आईस पैक वाडी /आईस पैक बैण्ड सीलिंग एवं कर्टिंग / हैण्ड बॅग / फिल्टर पोकेट /हेड रेस्ट कवर / सी डी / डी वी डी कवर एवं अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ ।
- (10) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू सैनिट्री नैपकीन्स / बेबी डायपर्स / एडल्ट डायपर्स ।
- (11) मशीनरी फॉर कन्वर्सन ऑफ नान वोवन इन्टू ड्राइ एवं वेट वाइप्स ।
- (12) मशीनरी फॉर स्लीटिंग एवं रीवाइंडिंग ऑफ नान वोवन रोल
- (13) सर्जिकल गड मशीन मेकिंग
- (14) फस्वाइन्ड ड्रेसींग मेकिंग मशीन
- (15) बैण्डेज रोल मेकिंग मशीन
- (16) कम्प्रेस करने वाली मशीन
- (17) एबडोमिनल स्पंज मेकिंग मशीन
- (18) स्वचालित मेकिंग मशीन

नोट :- क्रम सं. छ (i) से छ (iv) ज एवं झ की दी गई मशीनरी केवल पुनर्गठित प्रौद्यनियो के अंतर्गत ही नान वोवन एवं कन्वर्टर्स ऑफ नान वोवेन फिनिशाइ उत्पाद के लिए पात्र हैं ।

(ज्ञ) टेस्टींग इवल्यूवेशन मशीनरी :-

- 1 टी टी (तकनीकी वस्त्र) तथा टी टी पी (तकनीकी वस्त्र उत्पाद) हेतु विशेष परीक्षण उपकरण तथा रिंज।
- 2 युनिवर्सल टेन्साइल परीक्षण मशीन 10 टन/20 टन
- 3 इंडेक्स पंकवर रेसिस्टन्स टेस्टर
- 4 फ्रिक्शन अपरेटस का को-इफिशियन्ट
- 5 पार्टिकल साइज डेटरमिनेशन अपरेटस
- 6 ग्रेडिएन्ट रेशों टेस्ट अपरेटस

- 7 लॉग टाइम फ्लो अपरेटस
- 8 फेल्टपर्म
- 9 ई डब्ल्यू ई के साथ पॉइन्ट पेपर डिजायन पद्धति
- 10 वेदरोमीटर
- 11 यार्न श्रिकेज तथा श्रिकेज फोर्स परीक्षण मशीन
- 12 विस्मोमीटर
- 13 मशीन मॉनीटरिंग हेतु डाटा लॉगर्स तथा फ्रेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर
- 14 टिअर टेस्टिंग मशीन
- 15 कोल्ड क्रूक रेसिस्टन्स टेस्टिंग
- 16 थिकनेस गेज
- 17 वाटर रेपेलेन्सी टेस्टिंग मशीन
- 18 वाटरफूफिंग टेस्टिंग मशीन
- 19 आग रोधक परीक्षण उपकरण
- 20 एक्सिलरेटेड एंजिंग टेस्टिंग ओवन
- 21 रेन वॉटर परीक्षण उपकरण। निरंतर वॉटर स्प्रे टेस्ट तथा आई आर स्पेक्ट्रोमीटर आदि
- 22 संतुलन उपकरण /स्केल के सभी प्रकार
- 23 अब्रेशन टेस्टस
- 24 कलर मैचिंग कैबीनेट
- 25 कलर फास्टनेस टेस्टर्स
- 26 एक्सीलरेटेड क्रिप टेस्टर्स
- 27 एअर परम्याबिलिटी टेस्टर्स
- 28 झीओ मेम्ब्रन हेतु हाइड्रो स्ट्राइक पंचर्स टेस्ट
- 29 हाइड्रोलिक ग्रीप
- 30 प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

- (ट) अन्य सहायक उपकरण 1 एअर कॉम्प्रेसर
- 2 बॉयलर
- 3 स्टिरर
- 4 ह्युमिडिफायर
- 5 कंट्रोल पैनल आदि के लिए एअर कंडीशनिंग युनिटें
- ठ. तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई अन्य कोई मशीन

परीशिष्ट - ई

ए. गारमेंट/मेड अप्स विनिर्माण हेतु पात्र मशीनें ।

1. ट्रिमर ओवर एंजिंग/सिमिंग तथा बॉन्डींज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन ।
2. क्लाइंड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंग मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिंकींग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर एंपरेटेड फ्लूट लॉक / ओवरलॉक मशीन
5. ड्विगझॅग फ्लूट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
8. बटन होल सिलाई मशीन
9. जे स्टीच सिविंग मशीन
10. एज कर्टींग सिविंग मशीन
11. आइलेट बटन होल सिविंग मशीन
12. बेल्ट लगाने की मशीन
13. ड्विप लगाने की मशीन
14. बार टॅकिंग मशीन
15. हेमस्टिच मशीन
16. स्मॉकिंग मशीन/मल्टी निडल सिरिंग मशीन
17. पैटर्न मेक्र/ग्रेडर/मार्कर मशीन/लेसर मार्कर
18. पॉवर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॉब्रिक या लेबल कटिंग मशीन
19. बॉन्ड नाईफ कटिंग मशीन
20. कॉलर एवं कफ टर्निंग तथा ब्लॉकिंग मशीन तथा प्रेसिंग मशीन
21. बटन एवं रेवेट/स्लेज फार्स्टनर्स फिकिंग मशीन
22. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन

23. वैक्यूम टेबल तथा/अथवा बक प्रेस के साथ इंडस्ट्रियल स्टिम आर्यन
24. स्टिम प्रेस/वैक्यूम प्रेस के लिए बॉयलर, स्टिम कॉबिनेट वैक्यूम टेबल
25. प्युसिंग प्रेस
26. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर
27. वैक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लौइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल ।
28. शोल्डर पॅड अटैचिंग मशीन
29. पॉकेट कटिंग मशीन
30. संगणकीकृत कॉड/क्रॉम/कटिंग मशीन
31. स्वचालित पॉकेट अटैचिंग मशीन
32. राऊड नाईफ कटिंग मशीन
33. एन्ड कटर विथ क्लाथ ट्रेक
34. क्लॉथ प्रेस ट्रैक समेत एन्ड कटर
35. क्लॉथ ड्रिलींग मशीन
36. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन
37. हाय स्पीड फुल्फी फॉशन्ड निटिंग मशीन
38. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पॉवर ऑपरेटर गारमेंट पैनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन ।
39. पॉवर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोबल निटिंग मशीन
40. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सकर्किंग मशीन
41. शट फॉलिंग मशीन
42. दाग/धब्बे निकालने की मशीन
43. पर्ल/बिडस/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटैचिंग मशीन
44. छिग्लिंग मशीन
45. फॉब्रिक निरीक्षण/ जॉच मशीन
46. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन
47. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन

48. प्लॉटर के साथ कॅड/कॅम पैटर्न-मेकर तथा एम्ब्रायडरी मशीन हेतु सॉफ्टवेअर उपकरण समेत सॉफ्टवेअर
49. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिंटिंग मशीन
50. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन
51. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन
52. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन
53. स्वचालित लेबल/प्लाज पिंकिंग मशीन
54. पीन टकिंग मशीन
55. यांत्रिक फैब्रिक पिनिंग टेबल
56. सिंगल निडल बास्टिंग मशीन
57. सिंगल निडल पोस्ट बैड स्लीव सेटिंग मशीन
58. हॉगिंग प्रोडक्शन कन्वेयर पद्धति
59. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॅन्ड के लिए क्रोचेट मशीन
60. स्ट्रिंग ध्रस्टींग मशीन
61. कम्प्यूटर कलर मशीन (मशीन)
62. किन्ट शर्ट सेन्टर प्लास्ट स्वाचालित मशीन
63. ब्लैट लूम अटैचमेन मशीन
64. बटन पैकट
65. कॉलर हिट नॉचर
66. स्पॉट केलिंग मशीन
67. लेजर फैडिंग/मार्किंग/झाईंग मशीन
68. लेटर ऑपरेटेड कलर स्पायईंग मशीन
69. आरएमजी कोरलिंग/हरर्ट स्टेयिंग वोवन
70. 15 एच पी से अधिक एअर काम्प्रेशर
71. कम्प्राइज स्टेप(कॉलर /कॉप)फैट बैड निटिंग मशीन
72. कप स्टीमर

73. इलेक्ट्रानिक फीट एण्ड कटिंग ड्रायवर स्वचालित स्टैप कटर मशीन
74. कप मोलडिंग मशीन
75. आटो डिरलिंग स्टीच मशीन
76. स्वचालित कोबिन पैनल- ज्वाइनिंग / पर्द के टॉप की अटैच मशीन
77. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर
78. स्वचालित कम्बाइन पैनल जाईनिंग एवं हिमिंग मशीन
79. स्वचालित लॉकस्टीच कर्टन हिमिंग मशीन
80. संपूर्ण स्वचालित कम्बाइन थ्रेड चेन स्टीच रिंग अटैच/पिंच प्लिट टैकिंग मशीन
81. प्रोसेसिंग मैटल कर्टन रिंग हेतु हायड्रोलिक कम्बाइन कटिंग/प्रेसिंग मशीन
82. न्यूमैटिक सिंगल
83. संपूर्ण स्वचालित फ्रेब्रिक इनस्पैक्ट मेज़र एवं लेंग्थ कटिंग मशीन
84. संपूर्ण स्वचालित प्रोग्रामेबल , इलेक्ट्रानिक वर्टिकल कर्टन कर्टींग मशीन
85. संपूर्ण स्वचालित कर्टन हुक फिडिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रानिक प्रि-प्रोग्राम स्ट्रेट लाईन लॉकस्टीच कर्टन प्लिट टैकर
86. इंटिग्रेटेड माईक्रोफ़ोक्स (आर) एडजेस्टेबल कर्टन हुक फिडर के साथ संपूर्ण स्वचालित ड्रेपरि पिंच प्लिटर
87. संपूर्ण स्वचालित पिंच प्लिटर हेतु कर्टन फिडिंग डिवाइस
88. हाय परफॉर्मन्स मोटर ड्रिवन कर्टन प्रेस टेबल
89. फ्रेब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन
90. गारमेंट वार्षिंग/डाइंग मशीन
91. गारमेंट डाइंग मशीन
92. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट मशीन
93. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिशिंग मशीन
94. ट्राऊसर टर्निंग मशीन
95. फ्रेब्रिक ग्राइडिंग मशीन
96. हेम ब्रेकिंग मशीन

97. फैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन
98. लूप मेकिंग मशीन
99. प्लाकेटिंग मशीन
100. सिर्किंग पंचिंग मशीन
101. सिर्किंग एम्ब्राइडरी मशीन
102. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु पैडल डाइंग मशीन
103. रग्स /गारमेंट /मेडअप्स हेतु ओपन पैकेट डाइंग मशीन
104. शीट्स /टॉवेल हेतु स्वचालित लैंगथ एवं क्रास कटिंग मशीन
105. फँट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम हेतु लैंगथ एवं क्रास हिमिंग मशीनरी हेतु स्वचालित मशीन
106. फँट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शॉम डस्ट रफल हेतु स्वचालित फोल्डिंग एवं स्टैकिंग मशीन
107. स्वचालित कम्फर्टर शेल मेकिंग मशीन
108. पैंकिंग (इलेक्ट्रानिक्स न्यूमैटिक बैगिंग मशीन) हेतु कम्प्रेशन बैगर
109. फँग पिलो केश हेतु स्वचालित मशीन
110. ब्लैंडिंग, ओपनिंग एवं पिलो फिलिंग लाइन्स
111. फिल्ड पिलो एवं छील्टस हेतु वैक्यूमाइंजिंग पैकिंग युनिट
112. डाय कटिंग मशीन
113. टेबल टॉप टफिंग मशीन
114. मुस्टैच फॉर्मर
115. बेड फिलिंग मशीन
116. बॉल फायबर मशीन
- बी.** गारमेंट/मेड अप्स इकाई द्वारा स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें गारमेंट / मेडअप्स इकाइयों के सभी गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल होंगे)
- सी.** तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

परिशिष्ट – एफ

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. शिअरिंग /क्रॉपिंग मशीन
2. यार्न/फैब्रिक सिंजिंग मशीन /गैसिंग मशीन/सिंजिंग सह डिडसाईजिंग मशीन
3. फ्रेब्रिक रिवर्सिंग मशीन
4. कोन टू हैंक वाइंडिंग मशीन
5. वेट रिडक्शन /स्काऊरिंग मशीन
6. आटोपाइलर के साथ अथवा बिना स्वचालित लिकर सर्कुलेशन के साथ प्रेशर कीअर
7. ओपन विड्थ/रोप वाशिंग मशीन
8. डेटविस्टर के साथ ओपन विड्थ रोप ओपनिंग एवं स्क्रिङ्ग मशीन
9. जे बाक्स
10. सॉलवंट स्काऊरिंग मशीन/वैपरलॉक मशीन
11. रोटरी ड्रम वॉशर (एचटी/एचपी अथवा साधारण प्रकार)
12. वेट फैब्रिक स्प्रेडिंग एवं स्क्रिङ्ग मशीन
13. हायड्रोएक्स्ट्रॅक्टर
14. स्लिट ओपनिंग मशीन
15. स्टार विंच मशीन
16. पैडिंग मैंगल के साथ/बिना फ्लोअट ड्रायर
17. यार्न /फैब्रिक मर्सरायझिंग मशीन
18. कोन,चिज़,टॉप्स,फायबर्स, डायस्प्रिंग , यार्न बिम आदि हेतु पैकेज डाइंग मशीन
19. फायबर डाइंग मशीन हेतु फायबर केक ओपनर
20. फायबर डाइंग मशीन हेतु हॉपर फिडर
21. फायबर डाइंग मशीन हेतु प्रेसिंग के लिए हायड्रोलिक पद्धति के साथ अथवा बिना फायबर केक प्रेस
22. केबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन
23. यार्न कडिशनिंग मशीन
24. लिकर सर्कुलेशन एवं स्व-डोझिंग के साथ अथवा बिना स्वचालित डाइंग जीगर/ जम्बो जिगर
25. जेट डाइंग मशीन
26. सॉफ्ट फ्लो डाइंग मशीन

27. अर्ध स्वचालित फूँट स्क्रीन प्रिटिंग मशीन
28. रोलर वैक्स प्रिटिंग मशीन
29. रोटरी प्रिटिंग मशीन
30. ट्रासफर प्रिटिंग मशीन (सिंथेटिक हेतु)
31. न्यूनतम तीन चेम्बर्स के साथ निरंतर धुलाई श्रेणी
32. पैड स्टीम श्रेणी
33. वस्त्र प्रक्रिया इकाई हेतु प्रिसिशन फ्लॉक कटिंग/प्रिटिंग मशीन
34. लूप एजर
35. रोलर स्टीमर/फैश एजर /प्रेशर एजर /स्टार एजर
36. वस्त्र प्रक्रिया इकाई हेतु रोटरी स्क्रीन मेकिंग उपकरण
37. क्यूरिंग/पॉलिमेरिंग मशीन
38. कोटिंग/एम्बोसिंग मशीन
39. सिविंग मशीन
40. डिडकास्टींग मशीन
41. रिलेक्सिंग मशीन
42. कॉम्पैक्टींग मशीन
43. स्युडिंग मशीन / पिच फिनिशिंग /ब्रशिंग /रेङ्गिंग /कॉटीप्रेस /पाइल कटींग मशीन
44. फ्रिक्शन /श्रीएनर कैलेंडर /साधारण कैलेंडर (न्यूनतम 3 बाऊल)
45. माइक्रोवेव ड्रायर/हॉट एअर ड्रायर /इंफ्रारेड डायर
46. फ्रेब्रिक हेतु प्रिलिंग/क्रिजिंग /फोल्डिंग मशीन
47. फ्रेब्रिक हेतु पिचिंग एवं फूँट एम्बोस्ड मशीन
48. ग्रे/रंगे हुए फ्रेब्रिक हेतु असमान प्लिट हेतु क्रश मशीन
49. डिपिंग युनिट
50. मिलिंग युनिट
51. क्रेबिंग मशीन
52. पेपर अथवा रोटरी प्रेस
53. ऊन तथा उसके संमिश्रणों हेतु शिअरिंग /पॉलिशिंग मशीन
54. फोम फिनिंशिंग मशीन
55. मल्टीसिलेंडर ड्राइंग रेंज
56. रिपोर्ट जनरेटर के साथ अथवा बिना दोष विश्लेषक के साथ फ्रेब्रिक निरीक्षण मशीन

57. थर्मिक फ्ल्यूइड /गैस हिटिंग हेतु व्यवस्था के साथ न्यूनतम 3 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर स्टेन्टर
58. टेक्सटाइल प्रिंटिंग हेतु थिन हाइड्रोकार्बन वेपर रिकवरी प्लॉट
59. स्वचालित पैकिंग मशीन
60. वाटर सॉफ्टनिंग प्लॉट
61. डिमिनरलाईजेशन प्लॉट
62. बायोमास आधारित गैसिफायर
63. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेक्सिनिङम, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ ऑइल/गैस फायर्ड बॉयलर या फ्ल्यूइडाइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर
64. न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर मेक्सिनिङम, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं माइक्रो डस्ट कलेक्टर के साथ हस्क फायर्ड/ जूट वेस्ट(कैडिज) बॉयलर
65. निस्सारी उपचार प्लॉट हेतु मशीन एवं उपकरण
66. थर्मिक फ्ल्यूइड हिटर/अन्य उच्च तापमान हिटिंग पद्धति
67. 15 एच पी तथा उससे अधिक वाले एअर कॉम्प्रेशर
68. रोल टू रोल निरीक्षण एवं मरम्मत मशीन
69. प्रोसेसिंग इकाई में स्थापित की गई गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला हेतु लेबोरेटरी /प्रोसेसिंग मशीन गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण (इसमें वस्त्र प्रक्रिया इकाई प्रयोगशाला के सभी प्रकार के लेबोरेटरी/प्रोसेसिंग मशीनों एवं गुणवत्ता नियंत्रक उपकरण शामिल हैं।)
70. मल्टीक्रॉस लिंकिंग रेजिन फिनिसिंग मशीन
71. पाइल लिफ्टींग मशीन
72. कोटिंग लाइन हेतु फोमिंग उपकरण
73. कोटिंग लाइन हेतु लॉटेक्स मिक्सिंग एवं डिस्पेन्सिंग पद्धति
74. मल्टीलेअर स्टेन्टर

तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

परिशिष्ट -जी

जूट रेमी तथा हेम्प इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची

ए. मृदुकरण तथा कार्डिंग के लिए

1. जूट स्प्रेडर मशीन
2. आशोधित परम्परागत, सॉफ्टनर्स
3. ब्रेकर कार्ड
4. इंटर कार्ड
5. फिनिशर कार्ड
6. ड्राहेड
7. स्प्रीट कॅन डिलिवरी
8. ऑटो लेवलर
9. हॉपर फिडर
10. टिसर कार्ड
11. एन्जिम फ्लैन्ट
12. इलेक्ट्रानिकली नियंत्रित स्टिरर के साथ मिश्रण संयंत्र।
13. डस्ट शेकर
14. सेमी आटोमैटिक रूट कटिंग मशीन
15. हार्ड वेस्ट कार्ड
16. ब्रेकर-कम-फिनिसिंग कार्ड और बिना ड्राहेड के साथ अथवा उसके बिना – आटो लेवल एवं कैन चेजिंग डायवर्स

बी. ड्राइंग के लिए

1. सभी स्कू के गिल्स
2. सभी जूट ड्राइंग
3. कोम्बर

सी. स्पिनिंग एवं द्विस्टिंग के लिए ।

1. $4\frac{1}{4}$ स्लिप ड्राफ्ट
2. $5\frac{1}{2}$ स्लिप ड्राफ्ट
3. रिंग स्पिनिंग फ्रेम
4. फ्रिक्शन स्पिनिंग
5. ओपन एन्ड स्पिनिंग
6. रैप स्पिनिंग
7. ब्रेडिंग मशीन
8. रिंग द्विस्टिंग फ्रेम
9. एंप्रॉन ड्राफ्ट स्पिनिंग मशीन
10. फ्यायर टिच्स्टिंग
11. वेट/सेमी स्पीनिंग फ्रेम
12. $4\frac{3}{4}$ एस/एडी स्पीनिंग फ्रेम
13. टू फार वन द्विस्टर

डी. बुनाई प्रारंभ करने के लिए :

1. प्रि-बिमिंग मशीन
2. ड्रेसिंग मशीन

3. वार्प एवं वेफ्ट वाइंडिंग मशीन
4. प्रेसिशन वाइंडर्स
5. ऑटो कोनर
6. असेम्बली वाइंडर
7. बीमिंग / प्रि – बीमिंग मशीन

ई. बुनाई आदि के लिए :

1. डॉबी/जॉकॉड के साथ बिना उच्च गति के परम्परागत जूट करघे।
2. उच्च गति के स्वचालित शटललेस करघे
3. गोलाकार करघे
4. कार्पेट प्लान्ट
5. नॉन वूवन/फेलिंग प्लान्ट
6. जॉकॉड कार्ड पंचिंग मशीन
7. नीडल / वेबिंग / टेप लूम्स

एफ. फिनिशिंग के लिए :

1. कटिंग मशीन
2. लेहन तथा मापन मशीन
3. सिलाई मशीन
4. ब्रांडिंग/प्रिंटिंग मशीन
5. बेलिंग प्रेस
6. हाई प्रेशर रोल अप मशीन
7. कैलेण्डर एम/सी
8. क्रिसपिंग एम / सी
9. ऑटोमैटिक बैग मैकिंग एम / सी

जी. मटेरियल संचालन तथा अन्य मशीनों के लिए (आवश्यक)

1. फीड लैटिस
2. कन्चेयर पध्दति
3. टर्न टेबल
4. फोर्क लिफ्टर
5. ट्रैक्टर
6. जिब क्रेन
7. इओ टी (इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रैक) क्रेन
8. बिस लिफ्टर

एच. प्रदूषण नियंत्रण मशीन/उपकरण:

आवश्यकताएं	अन्य
प्रायमरी, सेकंडरी तथा/अथवा टेटीअरी उपचार सुविधाओं के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट (सामान्य इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट से संबंद्ध इकाइयों, प्राथमिक ट्रिटमेंट पद्धति के साथ इफ्ल्यूएन्ट ट्रिटमेंट प्लान्ट के लिए)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ड्राय प्रकार का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटर्स 2. ड्राय प्रकार का बैग फिल्टर 3. ड्राय प्रकार का क्लिनर्स तथा मल्टिक्लोव 4. वेट प्रकार के स्क्रबर 5. वेट प्रकार का वेंचुरी स्क्रबर 6. एअर संत्रीफ्यूगल एक्सअल फ्लो पंखों वाली वायुसंचालन पद्धति। 7. डर्स्ट एक्स ट्रैक्टर तथा ब्लौअर

आय. प्रोसेसिंग मशीन

<ol style="list-style-type: none"> 1. सिन्जिंग मशीन 3. प्रेशर कियर / जम्बो जिगर 5. पॅड बैच / मंगल 7. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक जिर्गस 9. सॉफ्ट फलो डाइंग 11. हाई टेम्प्रेचर तथा हाई प्रेशर 13. मल्टीसिलेण्डर डाइंग रेंज / स्टेन्टर 	<ol style="list-style-type: none"> 2. शेयरींग /क्रॉपिंग 4. क्लाथ /यार्न मर्चराइजिंग 6. विंच 8. जेट डाइंग 10. कैबीनेट डाइंग मशीन (यार्न के लिए) 12. मायक्रो एक्सट्राक्टर डाइंग 14. यार्न डाइंग हॉट एयर ड्रायर फार
<ol style="list-style-type: none"> 15. सेमी ऑटोमैटीक / ऑटोमैटीक फलेट मशीन 17. कुरिंग /पॉलीमराइजिंग 19. कैलेण्डरिंग 21. थर्मो पैक बशर्ते कि सबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाए। 23. हस्क /कॅडीज फायर्ड बॉयलर 	<ol style="list-style-type: none"> 16. ओपन विड्थ सोपर बेड प्रिंटींग 18. ड्रम वाशर 20. ऑयल / गैस फ्रायडर बॉयलर 22. एयर क्रमप्रेशर 15 एच.पी. तथा उससे अधिक 24. बॉयो मास आधारित ग्रासीफीयर

जे. परीक्षण के लिए आवश्यक

1. इवननेस टेस्टर
2. जूट बंडल स्ट्रेपथ टेस्टर
3. जूट फाइननेस टेस्टर
4. यार्न टेनसिल
5. फैब्रिक स्ट्रेपथ टेस्टर
6. स्कॉच गार्ड एप्लीकेटर टेस्टर

अन्य

1. इलेक्ट्रानिक द्विस्ट टेस्टर
2. एबरेशन टेस्टर
3. बेन्डींग रिजीडीटी टेस्टर
4. कलर फास्टनेस टेस्टर
5. कम्प्युटराइज्ड कलर मैचिंग
6. रबिंग फास्टनेस टेस्टर
7. लाइट फास्टनेस टेस्टर
8. ड्रेप मिटर
9. कांकट बैलेन्स

10. लॉन्डरो मिटर
11. यार्न स्ट्रेपथ टेस्टर
12. यार्न एपीअरन्स टेस्टर (मॅन्युअल/ ऑटोमैटिक)
13. बैलिस्टीक रॉ जूट स्ट्रेपथ टेस्टर
14. फायर रेटारडेन्सी टेस्टर
15. लेटेकिंग टेस्टर
16. वॉटर प्लू फिंग

के. संबंधित आर्द्रता तथा तापमान नियंत्रण हेतु आधुनिक औद्योगिक ह्युमिजिफिकेशन पद्धति
आई तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टिएएमसी) द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

000

विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची ।

ए. ऊर्जा बचाने तथा प्रक्रिया सुधारने के उपकरण/सहायक उपकरण ।

1. ऑटो कोनो : रिंग कताई, ओपन एण्ड कताई, ड्राइंग फ्रेम्स, वाइंडर्स, द्विस्टर्स टेक्स्टराइसिंग तथा क्रिम्पिंग मशीनों के लिए मल्टिवैनल प्रि-सेट यार्न की लंबाई मॉनीटर करने तथा नियंत्रण करने की पद्धति ।
 2. लूम डाटा मॉनीटर
 3. फॉब्रिक के दोषों का विश्लेषक (फॉब्रिक में सभी प्रकार के दोषों को रिकार्ड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स आधारित पद्धति ।)
 4. रुई सम्मिश्रण विश्लेषक
 5. वस्त्र इकाईयों हेतु ऑनलाईन/आफलाईन आर्ट्रता सूचक तथा स्वचालित नियंत्रक
 6. निटिंग डाटा एवं डिफेक्ट मॉनिटरिंग पद्धति ।
 7. वेब मार्गदर्शक पद्धति
 8. कारडिंग, कॉम्बर मशीन , रोविंग फ्रेम्स /स्पीड फ्रेम्स, ड्रॉइंग फ्रेम्स एवं निटिंग फ्रेम्स हेतु स्टॉप मोशन
 9. शटललेस वीविंग मशीन हेतु वेफ्ट संचायक ।
 10. वार्पिंग तथा वीविंग प्रक्रिया के दौरान यार्न ब्रेक/दोषों हेतु वार्प स्टॉप मोशन, यार्न निरीक्षक
 11. प्रोडक्शन डाटा मॉनीटर : ड्रा फ्रेम, द्विस्टर, डबलर्स तथा कार्डस्, निटिंग मशीन, शटललेस करघे, वार्पिंग मशीन साइझिंग मशीन, शिअरिंग मशीन तथा फॉब्रिक प्रोसेसिंग मशीन रिंग एवं ओपन एण्ड दोनों प्रकार के कताई मशीनों हेतु पूर्व निर्धारण अनुमानित लंबाई , नियंत्रण तथा पूर्व संकेत चेतावनी, डिजायन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मल्टी शिफ्ट काऊन्टर ।
- बी) कताई मशीनों के लिए ऑन-लाइन उत्पादन देखरेख करने तथा गति नियंत्रण पद्धति की प्रॉमिस -प्रोविन रेज ।

सी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

परिशिष्ट – आय

एमएमएस @ 20% -प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी की सूची

ए. मुख्य मशीनरी

क्र.सं.	मशीनरी के प्रकार
1.	पर्न चेजिंग स्वचालित लूम
2.	शटललेस लूम
3.	डॉबी
4.	जेकार्ड
5.	पर्न वाइनिंग
6.	सैक्शनल वार्पिंग मशीन
7.	वार्पिंग मशीन
8.	साईंजिंग मशीन
9.	टू फॉर वन ट्रिस्टर (टीएफओ)
10.	प्रिवाइनिडर / रिवाइनिडर

बी. 190 Cms चौड़ाई वाले स्वचालित पर्न चेजिंग लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रुपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लॉथ रोलर (1)	1000.00
3.	मोटर (1)	10000.00
4.	हिल्ड फ्रेम (टैपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टैपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
5.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
6.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00
7.	शटल (1)	1500.00

सी . 190 Cms चौड़ाई वाले शटललेस रेपियर लूम के सहायक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	सहायक उपकरण	मूल्य (रुपये)
1.	वार्प बिम (1)	6000.00
2.	क्लॉथ रोलर (1)	1000.00
3.	हिल्ड फ्रेम (टैपेट हेतु 6 तथा डॉबी हेतु 16)	12900.00 (टैपेट हेतु) 34400.00 (डॉबी हेतु)
4.	हिल्ड वायर (8000)	6666.00
5.	ड्रॉप पिन्स(6000)	5000.00

डी. अन्य उपकरण

नये ह्युमिडिफिकेशन प्लॉट/एअर कॉम्प्रेशर/डी मिनरल प्लॉट या रिवर्स ऑर्सोसिस प्लॉट, बिम गेटिंग तथा नाटिंग मशीन भी पात्र हैं, बशर्ते की परियोजना के लिए पात्र मशीनों के कुल मूल्य का अधिकतम 10% हो। यद्यपि योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए सब्सिडी रूपये 60 लाख / रुपये 1 करोड़, जो भी लागू हो, सीमित की जाएगी।

परिशिष्ट – जे

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

1. स्वचालित डाय वेइंग एवं डिस्पेसिंग पद्धति ।
2. संपूर्ण प्रोसेस केन्द्र के लिये प्रोसेस हाउस तथा डाय किचन प्रबंधन पद्धति ।
3. पीएलसी नियंत्रित शिअरिंग/क्रॉपिंग मशीन ।
4. प्रि तथा पोर्ट ब्रशिंग एवं डीसाईजिंग युनिट के साथ अथवा बिना तापमान तथा ज्वाला नियंत्रण हेतु हवा एवं ईधन के स्वमिश्रण वाली पीएलसी आधारित यार्न /फेब्रिक सिजिंग मशीन ।
5. ट्युब्युलर फेब्रिक हेतु सिजिंग मशीन ।
6. निट ट्युब्युलर मर्सरायझिंग मशीन अथवा ब्लीचिंग-कम-मर्सरायझिंग मशीन।
7. अमोनिया रिकवरी प्लॉट समेत फेब्रिक हेतु अमोनिया मर्सरायझिंग मशीन ।
8. कॉस्टीक रिकवरी युनिटी के साथ संपूर्ण स्वचालित यार्न / फेब्रिक मर्सरायझिंग मशीन (कॉस्टीक रिकवरी युनिट के बिना, यदि इकाई के पास यह पहले से हो)।
9. निट फेब्रिक कन्टीन्युअस ब्लीचिंग प्लॉट ।
10. बलून पैडर ।
11. निटेड फेब्रिक हेतु ओपन विड्थ स्वीझ मैगल के साथ स्लिट ओपनर ।
12. माइक्रोप्रोसेसर उपकरण एवं स्वचालित रासायनिक मिश्रण वाली ओपन विड्थ निरतंर स्काउरिंग तथा ब्लीचिंग श्रेणी ।
13. सॉफ्ट पैकेज प्रेसिशन वाइडिंग मशीन ।
14. आर्म हैंक डाइंग मशीन ।
15. स्वचालित कैबिनेट टाइप यार्न डाइंग मशीन।
16. पीएलसी आधारित पैकेज डाइंग मशीन (चिज, कोन,टॉप्स, फायबर, डायस्ट्रींग , यार्न बिम)।
17. न्यूमैटिक ब्लैकेट कंट्रोल के साथ पीएलसी नियंत्रित संपूर्ण स्वचालित फ्लॉट बैड प्रिटिंग मशीन ।
18. पीएलसी आधारित साफ्ट फोलो डाइंग मशीन ।
19. पीएलसी आधारित रैपिड जेट डाइंग मशीन ।
20. सर्वो /माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित जीगर ।
21. टेपस्/संक्रीण चौडाई वाले वूवन फेब्रिक हेतु कॉम्पॉक्ट कन्टीन्युअस डाइंग एण्ड फिनिशिंग मशीन ।
22. माइक्रोप्रोसेसर आधारित ऊर्जा नियंत्रण एवं पानी मॉनिटर वाले ओपन विड्थ पैड ड्राय तथा/अथवा पैड स्टीन निरतंर डाइंग श्रेणी ।
23. इंडीगो डाइंग श्रेणी
24. गारमेंट /मेडअप्स/औद्योगिक टम्बल ड्रायर्स /वॉशर्स हेतु औद्योगिक वॉशिंग / ड्राइंग मशीन ।

25. रोटरी स्क्रीन हेतु डिजिटल /लेझर/लेन एन्ग्रेविंग/स्क्रीन मेकिंग पद्धति ।
26. चुंबकीय/एअर फ्लो स्क्रीज सिस्टम, ऑन लाइन वॉशिंग व्यवस्था के साथ अथवा बिना तुरंत परिवर्तन की सुविधा, ऑटोमैटिक डिजाइन सेटिंग के साथ पीएलसी आधारित संपूर्ण स्वचालित रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन।
27. इंक जेट प्रिंटिंग मशीन(केवल वस्त्र प्रक्रिया इकाइयों हेतु)
28. यूवी अभिदर्शित इकाइ के साथ उच्च गति माइक्रो इंजेक्ट एंग्रेवर ।
29. सिंथेटिक हेतु निरतंर ट्रास्फर प्रिंटिंग मशीन
30. थर्मोसोलिंग श्रेणी (केवल सिथेटिक हेतु)
31. पीएलसी आधारित निरतंर क्रैबिंग मशीन
32. पीएलसी आधारित स्काऊरिंग एवं मिलिंग मशीन
33. आर्द्रता एवं अतितापन स्टीमिंग की व्यवस्था के साथ लूम एजर
34. फेब्रिक हेतु पाउडर डॉट कोटिंग/ लेमिनेटिंग मशीन
35. माइक्रोवेव तकनीक द्वारा निरतंर वेट रिडक्शन मशीन (केवल पॉलिस्टर माल के लिए)
36. न्यूनतम 5 चेम्बर्स वाले मल्टीचेम्बर धुलाई श्रेणी
37. पैडिंग मैगल के साथ अथवा बिना अलग-अलग सिलेंडर ड्राइव वाली मल्टी सिलेंडर ड्राइंग श्रेणी
38. थर्मिक फ्ल्युइड / गैस हिटिंग की व्यवस्था के साथ मल्टी चेम्बर स्टेन्टर (न्यूनतम 4 चेम्बर)
39. कॉम्प्रेसिव संकुचन श्रेणी
40. पीएलसी आधारित निरतंर डी कास्टिंग मशीन
41. ऐरो मशीन (डुयुरेबल मैकेनिकल फिनिश हेतु)
42. इलेक्ट्रानिक नियंत्रण के साथ वेफट स्ट्रेटनर
43. रॅकोलन स्लीव वाली पीएलसी नियंत्रित कैलेडंरिंग मशीन
44. पीएलसी आधारित कॉम्पौक्टिंग मशीन
45. रिलेक्स / रेडियो फ्रिवेन्सी /रेडियेन्ट गैस फायर्ड /लूप ड्रायर्स
46. डेनिम हेतु सॉड ब्लास्ट मशीन
47. फेब्रिक/गारमेंट पर सॉफ्टनिंग/स्टोन वॉश इफेक्ट हेतु मशीन
48. रोबोटाइज्ड स्वचालित रोल पैकिंग मशीन
49. प्लास्मा ट्रिटमेंट मशीन
50. निरतंर प्रेसिंग एवं सेटिंग मशीन /सुपर फिनिश मशीन
51. दोष विश्लेषक तथा रिपोर्ट जनरेटर के साथ एसी इनवर्टर ड्रीवन पीएलसी आधारित फेब्रिक निरीक्षण मशीन

52. शॉप फ्लोअर कलर मैचिंग हेतु हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रफोटो मीटर
53. दहन क्षमता पर स्वचालित नियंत्रण के साथ पीएलसी आधारित आईएल/गैस फायर्ड बायलर
54. द्वितीय तथा/अथवा तृतीय उपचार सुविधाओं तक निस्सारी उपचार प्लॉट (इटीपी)
55. रिवर्स ऑस्मोसिस , नेनो फिल्टरेशन, मल्टीपल इफैक्टस/स्टेज इवॉपोरेटर मैकेनिकल इवॉपोरेटर
56. वस्त्र प्रक्रिया मशीनों हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन रासायनिक सांद्र सूचक एवं नियंत्रण पद्धति
57. प्रक्रिया एवं गुणवत्ता सुधार के लिए हिट सेटिंग/ड्राइंग /डिफनिशिंग के दौरान स्टेन्टर मशीन की गति की देखरेख एवं नियंत्रण हेतु फेब्रिक प्रोफाइल पद्धति
58. फेब्रिक सेन्ट्ररिंग एवं स्प्रेडिंग पद्धति
59. हायस्पीड रेंज हेतु स्वचालित फैब्रिक स्ट्रेटनिंग पद्धति
60. भार/डेनिअर कम करने की प्रक्रिया हेतु मॉनिटरिंग पद्धति
61. उपचारित द्रव निस्सारी गुणवत्ता एवं मात्रा हेतु ऑनलाइन मॉनिटरिंग पद्धति
62. ऊर्जा बचाने तथा उत्सर्जन गुणवत्ता के लिए स्टॅक मॉनिटरिंग पद्धति
63. वस्त्र एवं पटसन इकाई में स्थापित तथा नेशनल अक्रेडिअशन बोर्ड फॉर लैंब (एनएबीएल) इंडिया द्वारा प्रत्यायित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में जाँच उपकरण
64. ऊन कार्बनाइजिंग लाईन/प्लॉट

000

परिशिष्ट-के

**तकनीकी वस्त्र (नॉन-वूवन सहित) हेतु प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पैंजी सहायता एवं
5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मशीनरी/उपकरणों की सूची**

ए. कताई

1. फ्रिक्शन कताई
2. औद्योगिक यार्न हेतु डबलिंग अथवा द्विस्टींग मशीन

बी. बुनाई उपक्रमात्मक

1. उच्च गति संगणकीकृत वार्पिंग/सेक्शनल वार्पिंग मशीन
2. टेक्सटाइल पोझिशन हेतु फिलामेंट वाइंडिंग मशीन

सी. बुनाई

1. तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन हेतु हेवी ऊँटी शटललेस बुनाई मशीन
2. हेवी ऊँटी टेप बुनाई
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय बुनाई मशीन
4. मल्टी फेस बुनाई मशीन
5. 3-डी तथा ब्लॉक बुनाई मशीन
6. संकीर्ण वूवन फेब्रिक हेतु निडल लूम
7. सर्कुलर लूम
8. बुनाई हेतु पोझिशन ड्रिवन काम्प्रेशर स्टैण्ड असेम्बली

डी. निटिंग

1. वेफट इन्स्टर्टड वार्प निटिंग मशीन
2. स्पेसर फेब्रिक हेतु निटिंग मशीन
3. द्वि-अक्षीय तथा बहु-अक्षीय निटिंग मशीन
4. ट्रायकोट मशीनरी
5. रेचल डबल निडल बार मशीन
6. नेटिंग हेतु रेचल मशीन
7. वार्प नॉटिंग पद्धति के साथ मशीन
8. कॉम्प्रेशन गारमेंट हेतु सर्कुलर वार्प निटिंग मशीन
9. स्टीच बॉडिंग मशीन

- ई. प्रक्रिया**
1. क्रश कैलेडर के साथ मैकेनिकल फोमर
 2. पलस्ट्रशन मशीन तथा उपकरण
 3. स्पॅटरिंग मशीन तथा उपकरण
 4. एफआरपी प्रोसेसिंग मशीन तथा उपकरण
 5. आरटीएम मशीन तथा उपकरण
 6. तकनीकी वस्त्र उत्पाद विकास हेतु प्रयोगशाला स्केल उत्पादन /प्रक्रिया उपकरण
 7. कैलेंडरिंग मशीन
 8. संसेचित यार्न या फेब्रिक हेतु फिनिशिंग मशीनरी
 9. टायर कॉर्ड /औद्योगिक फेब्रिक /बैल्टिंग डक हेतु डिपिंग मशीन
 10. वी-बेल्ट/होज़/होज टायर्स के प्रबलीकरण हेतु सिगल एण्ड या कॉर्ड के लिए डिपींग मशीन
 11. कोटेड /लेमिनेडेट फेब्रिक हेतु प्रिटिंग मशीन
 12. स्कंदित पीयू अथवा पीवीसी डिप कोटिंग मशीन/पीयू अथवा पीवीसी कोटिंग लाइन अथवा कोटिंग डिपिंग / इन्क्रारेड ड्रायर के साथ नाइफ मशीन

- एफ. मेड-अप तकनीकी वस्त्र (टीटी) स्टोर**
1. आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेन्सी) वेल्डिंग मशीन
 2. अल्ट्रासोनिक कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
 3. लेजर कटिंग एवं सिलिंग उपकरण
 4. सिनेज हेतु प्रिटिंग उपकरण
 5. हिट सेटिंग मशीन एवं स्ट्रेचिंग (हिट सेटिंग टेबल हेतु)
 6. बैक कोटिंग लाइन
 7. ब्रैडिंग मशीनरी
 8. क्लू लाइनर के विनिर्माण हेतु मशीनरी
 9. प्रि-फेब्रिकेटेड वर्टीकल ड्रेन / प्रि-फेब्रिकेटेड विक ड्रेन के विनिर्माण हेतु मशीनरी

- जी. नॉन-वूवन वस्त्र विनिर्माण मशीन**
- रोल्ड माल बनाने तथा पैकिंग तक निम्नलिखित नॉन-वूवन के विनिर्माण हेतु उत्पादन की रचना करने के लिए संपूर्ण उत्पादन श्रेणी अथवा अवयव/पूर्जे, यथा
1. केमिकली बद्ध नॉन वूवन
 2. स्टीच बद्ध नॉन वूवन
 3. स्पन बद्ध नॉन वूवन
 4. मेल्ट ब्लॉन नॉन वूवन
 5. स्पन बद्ध मेल्ट ब्लॉन नॉन वूवन (एसएमएस नॉन वूवन)
 6. निडल पंच नॉन वूवन
 7. थर्मल बद्ध नॉन वूवन
 8. स्पन लेस नॉन वूवन

- एच. फिनिशिंग मशीन**
1. कोटिंग हेतु हॉट मेल्ट कोल्ड गल्यू अप्लिकेटर
 2. अल्ट्रासोनिक स्लीटिंग मशीन /एज सीलर
 3. टॉर्च के साथ ब्रेसिंग मशीन (गर्म हवा हेतु)
 4. तनन एवं तापमान का माप/नियंत्रण हेतु सर्वो ड्राइव के साथ पीएलसी संचालित पद्धति

5. फिल्म कैलेडरिंग मशीन
6. स्वचालित पैकिंग एवं निरीक्षण मशीन
7. स्टेन्टर सुविधा वाली हिटसेट ओवन
8. पायलट/लैब कोटिंग लाइन
9. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु उच्च दाब पम्प
10. रोबोटिक वाटर जेट कटिंग पद्धति
11. वाटर जेट कटिंग पद्धति हेतु रोबोट
12. वाटर जेट कटिंग हेतु पानी मृदुकरण/शुद्धीकरण पद्धति
13. पाउडर स्कॉटरिंग /पेस्ट डॉट /पाउडर डॉट हेतु मशीन
14. गलनीय इनलाइनिंग हेतु कोटिंग
15. पॅडिंग मॅगल (फूलर्ड)
16. एक्सट्रुडर लेमिनेशन मशीन
17. शीट एक्स्ट्रुडर तथा लेमिनेशन मशीन
18. सिंजिंग मशीन
19. हिट सेटिंग हेतु क्लिप /पीन स्टेटर
20. फ्रेम लेमिनेशन मशीन
21. डस्ट कलेक्टर
22. इंटर बुनाई द्वारा दो किनारे जोडने हेतु जेकार्ड मशीन
23. टरेट वाइंडर एवं अनवाइंडर
24. प्लास्टिसोल /आर्गनोसोल हेतु हायस्पीड प्रेसिशन मिक्सर
25. गनिंग एवं कटिंग मशीन
26. ग्रॉमेट फिक्सिंग मशीन
27. पीयू टम्बलिंग मशीन तथा ड्राइंग मशीन
28. डीएमएफ रिकवरी प्लॉट तथा डिस्टीलेशन प्लॉट
29. कोटेड टेक्सटाइल हेतु प्रिंटिंग मशीन
30. नाइफ ओवर रोल, किस रोल कोटर, स्क्रीन कोटर आदि जैसे सभी प्रकार के कोटर्स
31. मल्टी सिलेंडर ड्राइंग रेंज

आय . नॉन वूवन कन्वर्टरिंग मशीन

1. संपूर्ण थर्मोमोल्डिंग श्रेणी
2. संपूर्ण थर्मोसेटिंग श्रेणी
3. कारपेट/एनवीएच मोल्डिंग श्रेणी, ओवन/प्रेस मशीन
4. हिटिंग/चिलर फॉरकुलिंग हेतु कन्वेयर /थर्मोपैक
5. मोल्डेड रूफलाइनर हेतु मशीनरी
6. फेस मास्क/डस्ट मास्क /डक बिल मास्क/इअरलूप मास्क सिलिंग /टायऑन मास्क सिलिंग /हैंड मास्क मेकिंग मशीन में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।
7. बोऊफॉन्ट कॅप /सर्जिकल कॅप/मेडि कॅप बनाने की मशीन में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।
8. गाऊन /पिलो स्लिप /शू-कवर / आईस पैक बॉडी /आईस पैक बैंड सिलिंग एवं कटिंग /हैंड बैंग /फिल्टर पॉकेट/ हैंड रेस्ट कवर/सीडी/डीवीडी कवर एवं अन्य ऐसे वस्तुओं में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।
9. सेनेटरी नेपकिन/बेबी डायपर /वयस्कों के डायपर में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।
10. ड्राय एवं वेट वाइप में नॉन वूवन के परिवर्तन करने हेतु मशीनरी ।

11. नॉन वूवन रोल के स्लिटिंग एवं रिवाइंडिंग हेतु मशीनरी ।
12. सर्जिकल गॉज़ बनाने की मशीन
13. संयुक्त ड्रेसिंग बनाने की मशीन
14. बैडेज रोल बनाने की मशीन
15. कॉम्प्रेस हेतु मशीन
16. उदरीय स्पंज बनाने की मशीन
17. स्वचालित पैकिंग मशीन

टिप्पणी : केवल उपरोक्त क्र सं. जी-(i), एच एवं आय में सूचीबद्ध मशीनें नॉन वूवन एवं नॉन वूवन के तैयार माल के परिवर्तन हेतु पुनःसंरचित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पात्र हैं।

जे. परीक्षण एवं मूल्यांकन मशीनरी

1. तकनीकी वस्त्र एवं तकनीकी वस्त्र उत्पाद हेतु विशिष्ट परीक्षण उपकरण एवं साज सामान
2. 10 टन / 20 टन की संपूर्ण वस्त्र परीक्षण मशीन
3. इन्डेक्स पंक्चर रेसिस्टन्स टेस्टर
4. फ्रिक्शन उपकरण के सहकारी
5. पार्टीकल साइज डिटरमिनेशन उपकरण
6. ग्रेडिएन्ट अनुपात परीक्षण उपकरण
7. लॉग टाइम फ्लो उपकरण
8. फेल्टपर्म
9. इडब्ल्यूई के साथ पॉइंट पेपर डिजाइन पद्धति
10. वेदरमीटर
11. यार्न संकुचन तथा संकुचन बल परीक्षण मशीन
12. विस्कोमीटर्स
13. मशीन मॉनीटरिंग तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर के लिए डाटा लॉगर्स।
14. टिअर टेस्टिंग मशीन
15. कोल्ड क्रॉक प्रतिरोध परीक्षण
16. थिकनेस गेज
17. वॉटर रिपेलैन्सी टेस्टिंग मशीन ।
18. वॉटर पूर्फिंग टेस्टिंग मशीन
19. फायर रेसिस्टेंस टेस्टिंग एक्षिपमेन्ट
20. ऐक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग ओवन
21. वर्षा-जल जाँच उपकरण 1 निरंतर वाटर स्प्रे टेस्ट तथा आय.आर स्पेक्ट्रो मीटर आदि
22. अब्रॉशन टेस्टर
23. कलर मैचिंग कैबिनेट
24. कलर फास्टनेस टेस्टर
25. ऐक्सेलरेटेड क्रिप टेस्टर
26. एअर प्रिमिअबिलिटि टेस्टर
27. जिओ मेम्ब्रेन हेतु हायड्रो स्टेटिक पंक्चर टेस्ट
28. हायड्रोलिक ग्रीप
29. प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप

के. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने ।

टिप्पणी : चूंकि तकनीकी वस्त्रों के लिए पात्र कुछ मशीनों का प्रयोग उद्योग के उन्य खण्डों द्वारा भी किया जा सकता है। पुनः संचरित प्रौजनियों के अंतर्गत 10% पूंजीसहायता प्राप्त करने के इच्छुक तकनीकी वस्त्र ठेकेदारों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। दूसरे शब्दों में, तकनीकी वस्त्र इकाईयों द्वारा 10% पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के साथ पंजीकरण करना पूर्व आवश्यकता होगी।

000

परिशिष्ट-एल

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता एवं 5% व्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र आरएमजी के लिए मशीनरी की सूची

ए. गारमेंट विनिर्माण के लिए पात्र मशीनें :

1. ट्रिमर ओवर एंजिंग/सिमिंग तथा बैन्डींज ऑपरेशन के साथ या बिना सिंगल/मल्टी निडल पॉवर ऑपरेटेड इंडास्ट्रियल लॉकस्टिच सिलाई मशीन।
2. क्लाइंड स्टिच मशीन/चेन स्टिचिंग मशीन
3. पॉवर ऑपरेटेड लिंकिंग /लूप बनाने की सिलाई मशीन
4. पॉवर एंपरेटेड फ्लूट लॉक / ओवरलॉक मशीन
 - ट्रिमर के साथ अथवा बिना चार/पाँच थ्रेड ओवरलॉक मशीन
 - ट्रिमर के साथ अथवा बिना पाँच थ्रेड फ्लूटलॉक मशीन
 - सीम ज्वाइनिंग उपकरण के साथ पाँच थ्रेड फ्लूटलॉक मशीन
5. ड्रिगझॅग फ्लूट बेड सिलाई मशीन
6. बटन स्टीच करने की सिलाई मशीन
7. लॉकिंग उपकरण के साथ बटन होल मशीन
8. लेबल/इलास्टिक लगाने की मशीन
9. डेकोरेटिव स्टीचिंग मशीन
10. जे स्टीच सिविंग मशीन
11. एज कटींग सिविंग मशीन
12. आइलेट बटन होल सिविंग मशीन
13. बेल्ट लगाने की मशीन
14. ड्विप लगाने की मशीन
15. बार टॅकिंग मशीन
16. हेमस्टिच मशीन
17. स्मॉकिंग मशीन/स्वचालित मल्टी निडल सिरिंग मशीन

18. पॉवर ड्रिवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फॅब्रिक या लेबल कटिंग मशीन /लेजर एन्ग्रेविंग मशीन
19. कॉलर /कफ टर्निंग /ब्लॉकिंग मशीन/प्रेसिंग मशीन
20. बटन एवं रिवेट स्पॅप फास्टनर्स फिक्सिंग मशीन
21. पॉकेट क्रिसिंग तथा वेल्डिंग मशीन/ ऑटो पॉकेट बनाने की मशीन
22. निरतंर प्रेसिंग/फोल्डिंग मशीन
23. निरतंर फ्युजिंग प्रेस
24. कॉलर कॉन्टॉर ट्रिमर
25. वैक्यूम तथा/अथवा एअर ब्लोइंग उपकरण के साथ स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग टेबल ।
26. शोल्डर पॅड अटॅचिंग मशीन
27. पॉकेट कटिंग मशीन
28. संगणकीकृत कँड/क्रॉम/कटिंग मशीन
29. स्वचालित पॉकेट अटैचिंग मशीन
30. क्लॉथ ड्रिलींग मशीन
31. कॉलर पॉइन्ट ट्रिमर/गिअर नॉचर मशीन
32. हाय स्पीड संपूर्ण फॅशन्ड निटिंग मशीन
33. निटिंग गारमेंट के लिए होल गारमेंट मेकिंग मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ पॉवर ऑपरेटर गारमेंट पैनल फॉर्मिंग निटिंग मशीन ।
34. पॉवर ड्रिवन सॉक्स तथा ग्लोब्ज निटिंग मशीन
35. स्वचालित थ्रेड ट्रिमिंग/सकर्किंग मशीन
36. शर्ट फोल्डिंग मशीन
37. पर्ल/बिल्स/स्टोन्स/ग्लासेट/हूक तथा बार अटॅचिंग मशीन
38. किल्टिंग मशीन
39. दोष विश्लेषक एवं रिपोर्ट जनरेटर के साथ फॅब्रिक निरीक्षण/ जॉच मशीन
40. निडल/मेटल डिटेक्टर मशीन
41. मल्टी हेड संगणकीकृत एम्ब्रायडरी मशीन
42. संगणकीकृत लेबल बनाने की मशीन/संगणकीकृत लेबल प्रिटिंग मशीन

43. बटन रैपिंग / शंकींग मशीन
44. फिड ऑफ दी आर्म इंडस्ट्रीयल सिलाई मशीन
45. स्वचालित डार्ट/प्लिट मेकींग मशीन
46. स्वचालित लेबल/प्लाज पिकिंग मशीन
47. पीन टकिंग मशीन
48. सिंगल निडल बास्टिंग मशीन
49. सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन
50. सिलाई विभाग के लिए पावर संचालित कन्वेअर आधारित मटेरियल हैडलिंग पद्धति
51. इलेक्ट्रानिक बार ऑपरेशन के साथ लेसेस तथा बॉन्ड के लिए क्रोचेट मशीन
52. स्ट्रिंग थ्रस्टर्िंग मशीन
53. सॅण्ड ब्लास्टिंग/ ब्रशिंग मशीन
54. कलर मैचिंग मशीन
55. किन्ट शर्ट सेन्टर पिल्ट बनाने हेतु स्वचालित मशीन
56. बेल्ट लूम अटेचिंग मशीन
57. बटन पैकर
58. कॉलर हिट नॉचर
59. स्पॉट केल्डिंग मशीन
60. लेजर कलर फेंडिंग/मार्किंग/ड्राइंग मशीन
61. लेजर ऑपरेटेड कलर स्प्रेइंग मशीन
62. आरएमजी क्यूरिंग/हिट सेटिंग ओवन
63. संगणकीकृत स्ट्रॉप (कॉलर /कफ)फैट बैड निटिंग मशीन
64. कप डिसमर
65. इलेक्ट्रानिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रॉप कटर मशीन
66. कप मोल्डिंग मशीन
67. आटो डिरलिंग स्टीच मशीन

- 68. फेब्रिक लेइंग/स्प्रेडिंग मशीन
- 69. गारमेंट वाशिंग/डाइंग मशीन
- 70. गारमेंट ड्राइंग मशीन
- 71. गारमेंट हेतु ड्राय टू ड्राय क्लीनिंग मशीन
- 72. गारमेंट कलर स्प्रे कॅबीनेट
- 73. स्वचालित मल्टी-हेड फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन
- 74. ट्राऊसर टॉपर/फोम फिनिशिंग मशीन
- 75. ट्राऊसर टर्निंग मशीन
- 76. फैब्रिक ग्राइंडिंग मशीन
- 77. हेम ब्रेकिंग मशीन
- 78. फैगोटिंग/पिकोटिंग मशीन
- 79. लूप मेकिंग मशीन
- 80. प्लाकेटिंग मशीन

एच. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

टिप्पणी : उपरोक्त मशीनरी पर 10% पूँजी सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल रेडीमेड गारमेंट इकाइयां पात्र हैं।

परिशिष्ट – एम

प्रोउनि योजना के अंतर्गत 10% पैंजी सहायता एवं 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नवीनतम शटललेस लूम की सूची

ए. पात्र नवीनतम शटललेस लूम

क्र.सं.	नवीनतम शटललेस लूम का विवरण
1.	प्रोजेक्टाइल लूम
2.	एअरजेट लूम
3.	वाटरजेट लूम
4.	रेपियर लूम

टिप्पणी : उपरोक्त लूम के लिए विशेष विवरण तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।

बी. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

प्रोउनि योजना के अंतर्गत कॅड/कॅम एवं डिजाइन स्टुडियो की सूची

ए. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण एवं सॉफ्टवेअर

I. वस्त्र डिजाइन स्टुडियो हेतु पात्र मशीनें/उपकरण

1. 1 जी बी १८ मैट्रिक्स तथा 17" मॉनीटर एवं यूपीएस के साथ नवीनतम संरूपण कोर छ्युओ डेस्कटॉप कम्प्यूटर।
2. डिजीटाइज़ेर
3. नवीनतम मॉडल प्लॉटर/ हायस्पीड इंक जेट प्लॉटर
4. स्वचालित स्प्रेडिंग एवं कटिंग मशीन (सींगल प्लाय एवं हाय प्लाय कटर)
5. संगणकीकृत कॅड/कॅम पैटर्न मेकर /पैटर्न ग्रेडिंग /मार्कर हेतु प्लॉटर
6. कॅड/कॅम डिजाइन स्टुडियों
7. हाय रिसोल्युशन स्कॅनर
8. एन्जेक्ट एन्ग्रेवर
9. अर्ध /पूर्ण स्वचालित प्रिंटिंग मशीन
10. डिजीटल प्रिंटिंग मशीन
11. अबसॉर्बिंग मशीन
12. स्क्रीन रूम प्रारंभिक उपकरण
 - स्क्रीन स्ट्रेचिंग उपकरण
 - ऑटो स्क्रीन कोटिंग उपकरण
 - एक्सपोज़िंग उपकरण
 - डिजिटल स्क्रीन उपकरण

II. वस्त्र डिजाइन स्टुडियों हेतु पात्र सॉफ्टवेअर

1. स्वचालित मार्कर प्लानिंग ,ग्रेडिंग एवं मार्कटिंग हेतु कँड
2. एम्ब्रायडरी मशीन हेतु कँड/कॅम सॉफ्टवेअर
3. प्लॉटर के साथ कँड/कॅम पॅटर्न मार्कर /पॅटर्न ग्रेडिंग /मार्कर सॉफ्टवेअर
4. कम्प्यूटर सहायक उत्पादन नियोजक सॉफ्टवेअर
5. आटोकँड , एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा , एडोब इलुस्ट्रेटर सॉफ्टवेअर, 3 डी मैक्स, विज्युअल स्टुडियो, कोरल 6.0, प्लैश, एनीमेटर प्रो, इफिनिंग –डी, फार्म –झेड, स्केच, प्रकाशन , विज्युअल बेसिक प्रोविन, माइक्रोमिडिया निदेशक , फ्रन्ट पेज एडीटर, ड्रीम वीवर ।
6. वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेअर / विज्ञन वस्त्र डिजाइन सॉफ्टवेअर
7. एपैरल डिजाइन सॉफ्टवेअर
8. उत्पादन विकास प्रबंधन (कार्य तथा परिणाम ट्रॅकिंग, निर्माण तथा सञ्चाकरण विवरण, रिपोर्ट जनरेशन , माप प्रकार)
9. ग्लोबल सौर्सिंग (बहु विक्रेता , वितरण प्रबंधन , पूर्वानुमान , स्वचालित बिड अपडेट)
10. पॅटर्न मैकिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
11. मार्कर प्लानिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
12. कट प्लानर सॉफ्टवेअर लाइसेंस
13. डिजायनिंग सॉफ्टवेअर लाइसेंस
14. ई-फिट सिम्युलेटर (3डी वर्ट्यूअल सॅम्पलिंग)
15. अन्य डिजाइन सॉफ्टवेअर

III. परीक्षण उपकरण

1. लूप लेंगथ टेस्टर
2. डिजिटल ट्रिस्ट टेस्टर
3. अब्रॅशन टेस्टर
4. फेब्रिक चेकिंग मशीन
5. पिलिंग टेस्टर

6. टिअरिंग स्ट्रैथ टेस्टर
 7. स्टीफनेस टेस्टर
 8. कलर मैचिंग केबिनेट
 9. लाईट फास्टनेस टेस्टर
 10. संगणकीकृत कलर मैचिंग पद्धति
 11. पोलराइजिंग प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप
 12. एक्स-रे फ्ल्युओरेसिन स्पेक्ट्रोमेट्री
 13. स्पेक्ट्रोस्कोप एवं फ्लॉक्स कॅम कॅमेरा
 14. स्पेक्ट्रो फोटोमीटर
 15. वाशिंग फास्टनेस टेस्टर
 16. कविराइज्ड स्कैनिंग / ग्रेडिंग
- एच. तकनीकी सलाहकार-सह- देखरेख समिति द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य मशीने।

परिशिष्ट –ओ

**तकनीकी सलाहकार सह- देखरेख समिति (टीएएमसी) की संरचना एवं
उसके कार्य**

1. समिति की संरचना

1.	वस्त्र आयुक्त ,मुंबई	अध्यक्ष
2.	निदेशक (कॉर्टन) वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
3.	पटसन आयुक्त , कोलकाता	सदस्य
4.	अध्यक्ष , भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ,नई दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष , भारतीय ऊनी मिल परिसंघ , मुंबई	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय आर्ट सिल्क बुनाई परिसंघ, सूरत	सदस्य
7.	प्रेसीडेन्ट , भारतीय स्पीनर्स संघ, मुंबई	सदस्य
8.	प्रेसीडेन्ट, साऊथ इंडिया स्पीनर्स एसोसिएशन(एसआयएसएसपीए) कोयम्बतूर	सदस्य
9.	प्रेसीडेन्ट, लुधियाना निटवेअर क्लब, लुधियाना	सदस्य
10.	अध्यक्ष , भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ (टीएमएमएआय),मुंबई	
11.	प्रेसीडेन्ट ,भारतीय जूट मिल्स परिसंघ (आयजेएमए)कोलकाता	सदस्य
12.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र विनिर्माता परिसंघ(सीएमएआय), मुंबई	सदस्य
13.	अध्यक्ष , पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिल, मुंबई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडेक्सिल),मुंबई	सदस्य
15.	अध्यक्ष, एपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिल , गुडगाँव	सदस्य
16.	अध्यक्ष सिन्थेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल प्रमोशन कौसिल, मुंबई	सदस्य
17.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ , इडस्ट्रीय डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
18.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, भारतीय लघु इकाई विकास बैंक ,लखनऊ	सदस्य
19.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम,नई दिल्ली	सदस्य
20.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , मुंबई	सदस्य
21.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
22.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
23.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, मुंबई	सदस्य
24.	प्रभारी , प्रोजनियो प्रकोष्ठ, एनसीडीसी, नई दिल्ली	सदस्य

25.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, कैनरा बैंक , बंगलूर	सदस्य
26.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बडौदा , मुंबई	सदस्य
27.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, इंडियन ओवरसेंज बैंक , मुंबई	सदस्य
28.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, युनियन बैंक ऑफ इंडिया , मुंबई	सदस्य
29.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, आन्ध्रा बैंक , हैदराबाद	सदस्य
30.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, आयसीआयसीआई बैंक, मुंबई	सदस्य
31.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक , नई दिल्ली	सदस्य
32.	प्रभारी , प्रोजेक्टियो प्रकोष्ठ, इंडियन बैंक , चेन्नई	सदस्य
33	संयुक्त वस्त्र आयुक्त (आर्थिकी), वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई	सदस्य सचिव

अन्य कोई तकनीकी विशेषज्ञ , उद्योग का प्रतिनिधि अथवा सहयोजित बैंकों के प्रतिनिधि/एसएफसी/एसआईडीसी/दोहरे कार्य /आईडीसी को जब भी आवश्यकता पड़े विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकता है।

2. समिति का कार्य :-

संचालन समिति का कार्य निम्नानुसार होगा :-

- (i) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत मशीनरी पात्रता निर्धारित करना ।
 - (ii) पुनर्गठित प्रौ.उ.नि. योजना के जीआर के विभिन्न के उपबंधों की व्याख्या करना एवं स्पष्ट करना।
 - (iii) योजना की प्रगति की समीक्षा एवं बारीकी से उसके क्रियावयन की छानबीन , माक्रयो स्तर पर एवं प्रशासनीक एवं प्रचालन संबंधी अड्डचनों को दूर करना ।
 - (iv) अंतर बैंक एवं पीएलआय-नोडल एजेसीयों के मामलों को सुलझाना एवं उनमें समन्वय स्थापति करना ।
 - (v) अंतर मंत्रालय छानबीन समिति (आयएमएससी) को दिशा एवं योजना के कार्यान्वयन के विस्तार के बारे में जानकारी देना ।
3. सामान्यतः इस समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी ।
4. यह समिति इस योजना संबंधित लिए गए तकनीकी निर्णयों एवं योजना से संबंधित अन्य मामलों की जानकारी सरकार को देगी ।

5. विविध :-

- 5.1 सरकारी सदस्य के संबंध में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ते संबंधी यदि कोई व्यय होगा तो उसे संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा तथा अन्य सदस्यों के मामले में यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता वे संगठन वहन करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।
- 5.2 इस बारे में सचिवालय सहायता वस्त्र आयुक्त द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

परिशिष्ट - पी

आस्थगित संदाय गांरटी (आ.सं.गा.) योजना के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश ।

- (i) आ.सं.गा. की सहायता के अंतर्गत बड़े उपकरण एवं ऐसे मामले जिसमें आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही एकल परियोजना के रूप में शामिल है। यद्यपि सभी मामलों में पुनर्गठित प्रौजनियों द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिक एवं परियोजना संबंधी अन्य मानकों को पूरा करना आवश्यक है।
- (ii) विशिष्ट रूप से आ.सं.गा. हेतु उपकरणों के लिए पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत मार्जिन मनी संबंधी ब्याज हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता 20% की दर से गणना की जाती है। यद्यपि आ.सं.गा. एवं सामान्य आवधिक ऋण दोनों ही मामलों में मार्जिन मनी की गणना आ.सं.गा. के हिस्से को छोड़कर, परियोजना लागत पर की जाती है।
- (iii) आ.सं.गा. के भुगतान की अवधि बिलों के कार्यान्वयन /वचन पत्रों की तिथि से होगी और यह सात वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती इसमें अधिस्थगन की एक वर्ष की अवधि शामिल है।
- (iv) पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत रूपयों में लिये गये ऋण ही शामिल हैं और खरीददारों के बैंक जो गारंटी दे रहे हैं वे पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत सहयोजित बैंक होने चाहिए।
- (v) अभीष्ट स्वदेशी / आयतित मशीनरी खरीददार - उपयोगकर्ता जो तत्काल अपेक्षित मशीनरी के लिए पूर्ण नगद भुगतान करने स्थिति में नहीं हैं वह मशीनरी विनिर्माता /विदेशी मशीन आपूर्तिकर्ता के स्थानीय एजेन्ट से आस्थगित संदाय सुविधा के लिए संपर्क कर सकता है। विनिर्माता - विक्रेता प्रत्येक किश्त के लिए अलग - अलग आवधिक बिल /वचन पत्र आस्थगित भुगतान पर देय ब्याज के साथ तैयार करेगा। विक्रेता द्वारा तैयार किये गए बिल को खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार की किए जाएंगे तथा खरीददार/प्रयोक्ता के बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी। विकल्प के रूप में खरीददार / प्रयोक्ता द्वारा तैयार बिल एवं उसकी गारंटी उनके बैंक द्वारा दी जाएगी।
- (vi) ये बिल/वचन-पत्र बाद में विक्रेता को दिए जाते हैं, जो इस पर उनके बैंकर द्वारा छूट पाते हैं वे इस प्रकार मशीनरी की लागत वसूल करते हैं उसके द्वारा बैंकर को देय छूट राशि, बिलों में ब्याज के रूप में आस्थगित भुगतान में समाविष्ट है।
- (vii) क्रेता का बैंक, क्रेता के खाते में से बाद की तिथियों में बिल की संपूर्ण राशि जिसमें आस्थगित भुगतान का मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित होगा निकाल लेगी। नोडल अभिकरण से 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के पश्चात्, प्रतिपूर्ति राशि क्रेता के बैंक द्वारा क्रेता को लौटा दिया जाएगा।
- (viii) पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् क्रेता का बैंक ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित नोडल अभिकरण से संपर्क करेगी। क्रेता के बैंक से अपेक्षित है कि वह संपूर्ण जानकारी दे जैसे उपकरण की इनवॉइस मूल्य, छूट दर (%) प्रत्येक की उपयोग अवधि (महिने) प्रत्येक बिल के लिए, अवधिक एवं संपूर्ण चुकौती अवधि के प्रमुख घटकों का ब्यौरा देते हुए समग्र चुकौती अवधि के मूलधन का पूर्ण विवरण तैयार करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट - क्यू

पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रो.उ.नि.यो.) के अंतर्गत 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी (एम एम एस @20% - टीयूएफएस) – प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक दिशा - निर्देश ।

1. विद्युत करघा इकाईयों को पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत क्षेत्र को 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी (एम एम एस @20% - टीयूएफएस) 5%व्याज प्रतिपूर्ति /15% मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ एक विकल्प दिया गया है । 20% की दर से मार्जिन मनी सब्सिडी के प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक दिशा - निर्देश निम्नवत हैं :-
2. **योजना की अवधि**
 - 2.1 एम एम एस @ 20% -टीयूएफएस का प्रचालन पुनर्गठित प्रौजनियों के संकल्प जारी होने के दिन से 31 मार्च,2012 तक कार्यरत रहेगी ।
3. **पात्र इकाईयाँ**
 - 3.1 यह योजना केवल विद्युत करघा एवं माइक्रो तथा लघु उद्योग क्षेत्र के स्वतंत्र प्रीप्रेट्री इकाईयों पर ही लागू होगी जैसे वे इकाईयां जिन्होंने प्लान्ट एवं मशीनरी के लिए निवेश, माइक्रो एवं स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेस डेवल्पमेंट अधिनियम 2006 के तहत किया है । तथापि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पहले संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में, इन्टरप्रेनर्स मेमोरेनडम भरना आवश्यक होगा ।
 - 3.2 विद्युत करघा इकाई एवं स्वतंत्र प्रीप्रेट्री इकाई की पात्रता की अधिकतम आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख तथा मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 60 लाख तक है । बिल्कुल नये शटल रहित करघे के लिए जैसा कि परिशिष्ट -एम में विनिर्दिष्ट किया गया है । मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये एक करोड़ होगी । वे लघु उद्योग इकाईया जिनकी पूंजीगत आर्थिक सीमा रुपये 500 लाख से अधिक की होगी वे एम एम एस @ 20% -टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी । ऐसी इकाईयों को सलाह दी जाती है कि पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत 5 प्रतिशत व्याज प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करें ।
4. **सब्सिडी की मात्रा**
 - 4.1 20% मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता, प्रौजनियों संबंधी विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए निवेश करने पर प्राप्त होगी इसकी अधिकतम सीमा रुपये 60 लाख अथवा रुपये एक करोड़ तक (जो कोई लागू हो) प्रत्येक इकाई के लिए प्राप्त होगी ।

बशर्ते :- (i) यद्यपि जहाँ दो या अधिक उपक्रम का गठन एक ही व्यक्ति द्वारा मालिक के रूप में किया गया हो वहाँ ऐसे औद्योगिक उपक्रम को ऐसा समझा जायेगा कि उसे दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

अथवा

- (ii) जहाँ दो या से अधिक उपक्रम का गठन पार्टनशिप फर्म के रूप में भारतीय पार्टनशिप अधिनियम 1932 (1932 के 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक पार्टनर ऐसे फर्म में पार्टनर हों तो वहाँ ऐसा माना जायेगा कि ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

अथवा

- (iii) जहाँ औद्योगिक उपक्रम का गठन कम्पनियों द्वारा कम्पनीज अधिनियम 1956 (1956- का 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक के निदेशक एक ही हों/ वही व्यक्ति जिसने अपनी व्यक्तिगत क्षमता के तहत प्रोपाराइट्री पार्टनशिप फर्म के लिए पहले ही पूंजीगत सहायता प्राप्त की हो, वहाँ ऐसे उपक्रम को माना जायेगा कि वह दूसरे उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित है ।
- 4.2 विद्युत करधा की वे इकाईयां जो 20 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं वे एन ई एफ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी ।

5. पात्र मशीनरी

- 5.1. योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी में नवीन स्वचालित करधे, नवीन शटलरहित करधे जो विनिर्दिष्ट करधों के उपकरणों सहित बुनाई की तैयारी वाली मशीनरी जिसमें टू फार वन ड्विस्टर (टी एफ ओ) एवं प्रीवाइंडर / रीवाइंडर भी शामिल हैं ।
- 5.2. शटलरहित पुराने आयतित करधे जो दस वर्ष पुराने हों तथा जिनकी दस वर्ष अवशिष्ट कार्यरत रहने की अवधि हो वे भी पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के मानकों के अनुसार पात्र होंगी ।
- 5.3. न्यू ह्यूमिडफिकेशन प्लान्ट / एयर कम्प्रेशर / डी-मिनरल प्लान्ट अथवा रिवर्स आर्स्मोशिस, बीमगेटिंग एवं नाटिंग मशीन भी पात्र हैं बशर्ते इनकी अधिकतम सीमा एक परियोजना के लिए पात्र मशीनरी के कुल लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यद्यपि इस योजना के अंतर्गत एक परियोजना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता की सीमा रुपये 60 लाख या एक करोड़ (जैसा भी मामला हो) होगी ।

6. इस योजना के अंतर्गत मूल्यों कि बेंच मार्किंग

- 6.1 वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत पात्र पुरानी आयतित मशीनरी जो केवल दस वर्ष तक पुरानी हों के लिए बेंच मार्क मूल्य की सीमा तय की है जो इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगी । इसे परिशिष्ट –। पर संलग्न किया गया है !
- 6.2 स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता को बेंच मार्क किया जायेगा पात्र मशीनरी के निर्माताओं की सूची परिशिष्ट –॥ पर संलग्न है ।

7. ऋणदाता अभिकरण

- 7.1. श्रेणी क एवं ख के रूप में आरबीआई के साथ एनबीएफसी का पंजीकरण किया गया । सभी सहकारी बैंक/एसएफसी/एसआईडीसी तथा सीडबी योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए पात्र हैं ।

8. वित्तीय मानक

- 8.1 ऋणदाता संस्थान द्वारा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत सुनिश्चित कि जायेगी ।
8.2 वित्तीय मानक जैसे ऋण इकिटी अनुपात, गत वर्ष के लाभ की स्थिति, नेटवर्थ आदि ऋणदाता अभिकरणों के विद्यमान मानकों के अनुसार होंगे । तथापि वे टफ मानकों से सख्त नहीं होने चाहिए ।
8.3 विद्युत करघा की वे इकाइयां जो इस योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत पूँजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं वे कम से कम अनिवार्यतः तीन वर्ष तक समान मालिक के तहत कार्यरत रहेंगी और ऐसा वे पूँजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण की तिथि से करेंगी तथा इसके लिए कम से कम तीन वर्ष तक आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान किया जाए जिसमें ऋणअधिस्थगन अवधि शामिल है ।

9. पूँजीगत आर्थिक सहायता जारी करना

मशीनरी विनिर्माताओं /उद्यमियों /बैंकों को पूँजीगत आर्थिक सहायता जारी करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जायेगा :-

9.1 मशीनरी विनिर्माताओं

- 9.1.1 सावधिक ऋण के लिए पावरलूम इकाई उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणदाता अभिकरण से संपर्क करेंगी । ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऋण की स्वीकृति की सलाह विहित प्रपत्र में (संलग्नक-II) में देगा ।
- 9.1.2 लघु औद्योगिक इकाई के उद्यमी दावे के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र जो परिशिष्ट –टी में दिया है में वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देंगे ।
- 9.1.3 पावरलूम उद्यमी उनका 15% प्रारंभिक अंशदान सीधे मशीनरी विनिर्माताओं को देगा । जब मशीनें भेजने के लिए तैयार हो जाएंगी तब ऋणदाता संस्थान द्वारा मशीनरी विनिर्माताओं को ऋण जारी किया जाएगा । यदि ऋण की राशि से 80% मशीन की लागत नहीं हो पायी तो पावरलूम बुनकरों को उनको अपने माध्यम से शेष राशि का भुगतान मशीनरी विनिर्माता को करना पड़ेगा ।
- 9.1.4 80% ममशीनरी का मूल्य प्राप्त होने पर मशीनरी विनिर्माता/पावरलूम उद्यमी मशीन संस्थापित एवं चालू करेगा । करघों का कार्य संतोषजनक तरीके से पूरे होने पर मशीनरी विनिर्माता इसकी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा ।
- 9.1.5 आयातित मशीन के संबंध में पावरलूम बुनकर करघे शुरू होने के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे ।
- 9.1.6 मशीन के कार्य का निरीक्षण करने एवं प्रमाणित करने के लिए वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय आधारपर निरीक्षण दलों का गठन करेंगे । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमाणन समिति मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा सूचित करने से 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगी ।
- 9.1.7 निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात मशीनरी विनिर्माताओं को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा 20% सब्सिडी जारी की जाएगी । प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय 20% सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करेगा ।

- 9.1.8 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना संगत आयातित करघों एवं मशीनरी के संबंध में पावरलूम बुनकरों को खरीद करने के लिए बैंक में एलसी खोलना आवश्यक होगा। ऐसे मामले में आयातित करघों एवं मशीनरी की संस्थापना एवं उनके चालू होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 20% सब्सिडी सीधे पावरलूम बुनकरों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- 9.1.9 ब्याज संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता / पूंजीगत आर्थिक सहायता/मार्जिन मनी भी आर्थिक सहायता मशीनरी के बेसिक मान पर दिया जायेगा मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से टैक्स का हिस्सा /कस्टम ऊँटी इसमें शामिल नहीं होगी।
- 9.1.10 यदि पावरलूम उद्यमी ने 20% कॅपिटल सब्सिडी पाने के लिए ऋणदाता संस्थान से वित्तीय सहायता ली हो, तो वस्त्र आयुक्त द्वारा 20% सब्सिडी सीधे ऋणदाता संस्थान को जारी की जाएगी।
- 9.1.11 यदि मशीनरी चरणबद्ध तरीके से संस्थापित/चालू की जानेवाली हो तो सब्सिडी भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
- 9.1.12 स्टेज –एक के मॉनिटरिंग प्रोसेस जो पैरा –IV से संबंधित कार्यान्वयन /मॉनिटरिंग /एप्रेजल मेकेनिज्म है, के पूर्ण होने पर ही पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी की जाएगी।

9.2 बैंक

- 9.2.1 विद्युत करघा इकाईयां 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रॅण्ट एण्डे-डे आधार पर बैंक फायनेन्स को एक साथ प्राप्त कर सकती हैं। 20 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करने के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित है :-
- 9.2.2 विद्युत करघा इकाईयां 20 प्रतिशत एम एम एस के तहत ऋण दाता संस्थानों से उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ आवधिक ऋण एवं ब्रिज फायनेन्स के लिए सम्पर्क कर सकती हैं। और ऋण की मंजूरी के उपरांत ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रपत्र जो परिस्थित –IV पर दिया है ऋण की मंजूरी संबंधी सलाह दे सकते हैं।
- 9.2.3 योजना के अंतर्गत आवधिक ऋण के लिए अनिवार्य अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी।
- 9.2.4 विद्युत करघा उद्यमी का प्रारंभिक अंशदान जो कम से कम 15 प्रतिशत होगा वह सीधे ही मशीन विनिर्माता को देगा।
- 9.2.5 ऋणदाता संस्थान आवधिक ऋण एवं ब्रिज फायनेन्स मशीन विनिर्माता को सीधे ही देगा जब मशीनरी डिस्पेच किये जाने को तैयार हो।
- 9.2.6 मशीन विनिर्माता प्रत्येक मशीनरी पर नौ अंक के पहचान कोड को कास्टिंग /इनग्रेविंग जारी रखेगा
- 9.2.7 मशीन विनिर्माता / विद्युत करघा उद्यमी मशीनरी के संस्थापन एवं उसके चालू होने की सूचना ऋणदाता संस्थान को देगा।
- 9.2.8 ऋणदाता संस्थान ऋण जारी करने के पहले या बाद में इकाई का दौरा करेगा। इस दौरे के दौरान ऋणदाता संस्थान दिशा निर्देश के अनुसार मशीन पर 9 अंकों के पहचान कोड पर कास्टिंग /इनग्रेविंग सुनिश्चित करें।
- 9.2.9 इस दौरे के बाद ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा कि पार्टी ने मशीन संस्थापित करवाली है और उन्होंने 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता का पैमेंट, ब्रिज फायनेन्स सहित विहित प्रपत्र में जारी कर दिया है। ऋणदाता संस्थान उनके इस घोषणा के साथ संबंधी

- कागजात की प्रति भी भेजेगा जिसमे आवश्यक रूप से मशीनरी की सभी मानकों का उल्लेख होगा और इसमे 9 अंको के पहचान कोड की भी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा।
- 9.2.10 इस प्रकार ऋणदाता संस्थान से प्राप्त कागजातों के आधार पर ऋणदाता संस्थान को वस्त्र आयुक्त कार्यालय पूँजीगत आर्थिक सहायता जारी करेगा।
- 9.2.11 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूँजीगत आर्थिक सहायता की गणना स्वदेशी मशीनों के लिए सभी प्रकार के टैक्सो को छोड़कर इनवॉइस प्राईस के आधार पर की जायेगी। ऋणदाता संस्थान पात्र निवेश के 20 प्रतिशत तक ब्रिज फायनेन्स उपलब्ध करायेगी।
- 9.2.12 बिल्कुल नई आयतित मशीनरी के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूँजीगत आर्थिक सहायता की गणना सी आय एस एफ प्राईस के आधार पर कि जायेगी जबकि पुरानी आयतित मशीनरी के 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूँजीगत आर्थिक सहायता की गणना समय –समय पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा बैंचमार्कड मूल्य अथवा सी आय एस एफ प्राईस के आधार पर इनमे से जो भी कम हो नियत किया जायेगा।
- 9.2.13 ऐसे मामलो मे जहाँ ऋणदाता संस्थान पात्र 20 प्रतिशत मार्जिन मनी संबंधी पूँजीगत आर्थिक सहायता से ज्यादा उपलब्ध कराते हैं उनकी वसूली विद्युत करघा बुनकर से कि जायेगी अथवा इसे ऋणदाता संस्थान द्वारा सामान्य आवधिक ऋण के रूप में बदला जा सकता है।
- 9.2.14 मशीन के लिए मार्जिन मनी की लागत तक अग्रिम /टोकन भुगतान इकाई द्वारा आवधिक ऋण मंजूरी की तारीख से पहले भी किया जा सकता है। यद्यपि आवधिक ऋण की तारीख की मंजूरी से पहले या बाद में खरीदी गई मशीनें पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के अंतर्गत अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र होगी।
- 9.2.15 वस्त्र आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऐसी टीम बनायें जो संस्थापित / चालू मशीनों के आवधिक आधार पर निरीक्षण करेगा तथा साथ ही साथ बैंक द्वारा लाभार्थी को दिये गये ऋण संबंधी मूल कागजातों की भी छानबीन करेगा।

10. योजना के दुरुपयोग से बचाव

- 10.1 योजना के दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रत्येक मशीन पर एक यूनिक मिल संख्या, मशीन कोड संख्या की कास्टींग की जायेगी तथा रनिंग सीरीयल नम्बर की इनग्रेविंग की जायेगी। प्रत्येक मशीनरी के लिए एक नौ अंको का एक पहचान कोड होगा। नौ अंकों की पहचान कोड संख्या में निम्नलिखित शामिल होगा :-
- पहचान कोड के पहले तीन अंक (000) मिल के यूनिक संख्या को दर्शाएगे जो प्रत्येक विनिर्माता के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित की जायेगी यूनिक तीन अंकों की मिल संख्या की कास्टींग मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा विशिष्ट रूप से उल्लेखित कास्टींग क्षेत्र में की जायेगी।
 - पहचान कोड के अगले दो अंक (00) मशीनरी के प्रकार के सूचक होंगे। विभिन्न प्रकार के मशीनरी के लिए दो अंक वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए हैं। दो अंकों का ब्योरा संलग्न -V में दिया गया है। प्रत्येक मशीनरी पर तीन अंकों के यूनिक मिल संख्या के बगल में दो अंक कास्टींग/इनग्रेविंग की जायेगी।
 - अगले चार अंक (0000) योजना के अंतर्गत विनिर्माता द्वारा उत्पादन किए गए मशीनरी की संख्या के सूचक होंगे। प्रत्येक प्रकार की मशीनरी के लिए चालू क्रम में चार अंक संबंधित मशीनरी विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा तथा इसे तीन अंकों की यूनिक मिल संख्या एवं दो अंकों की संख्या जिसे वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किया गया है के बगल में कास्टींग/इनग्रेविंग किया जाएगा।

उदाहरण के लिए ऑटोमैटीक पर्नचेंजिंग करघा जिसे इस योजना के अंतर्गत मेसर्स ए बी सी वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है उसके लिये नौ अंको के पहचान कोड संख्या '024-03-0001' होगी। पहले तीन अंक 024 मे. ए. बी. सी. वर्क्स लिमिटेड के यूनिक मिल नम्बर है जबकि अगले दो अंक 01 मशीनरी के प्रकार को बताते हैं अर्थात ऑटोमैटीक पर्नचेंजिंग करघा इसके बाद के चार अंक '0001' मेसर्स ए बी सी वर्क्स लिमिटेड द्वारा इस योजना के अंतर्गत बनाये गये पहले ऑटोमैटीक पर्नचेंजिंग

करघा को दर्शाते हैं इसी प्रकार मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये पहले रेपीयर लूम के लिये नौ अंकों की पहचान कोड संख्या पहले रेपीयर लूम के लिये '001-04-0001' होगी। पहले तीन अंक '001' मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड के लिए यूनिक मिल संख्या दर्शाते हैं अगले दो अंक '04' मशीनरी के प्रकार को अर्थात् रेपीयर लूम दर्शाते हैं अगले चार अंक '001' मेसर्स एक्स वाय झेड वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये पहले रेपीयर लूम को दर्शाता है। मशीन का क्रम संख्या पहले ही सी एल सी एस में दिये हुए के क्रम में आयेगा।

- 10.2 वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर अभिज्ञेय मशीनरी विनिर्माता तीन अंकों का यूनिक मिल संख्या अंकीत करेंगे। अंकीत करने के लिए मदवार विनिर्दिष्ट कम्पोनेन्ट्स संलग्नक -VI पर है। वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की गई दो अंकों की मशीनरी संख्या एवं चार अंकों की चालू क्रम संख्या ऐसे कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर मशीनपर मिल संख्या के बगल में इस प्रकार कास्टींग /इनग्रेविंग कि जाएगी कि मिल कोड, मशीन कोड, एवं रनिंग सीरीयल नम्बर मशीन का एक लाईन में हो।
- 10.3 विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए जिनका कास्ट कम्पोनेन्ट्स नहीं हैं, ऐसी संख्या लिखने के बजाय एकमात्र मिल संख्या कास्टींग करने की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई है।
- 10.4 मशीनरी विनिर्माताओं के विद्यमान स्टॉक के लिए, योजना के प्रारंभ की तिथि को स्टॉक की घोषणा का विवरण मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा पावरलूम विकास प्रकोष्ठ को दिया जाएगा। ऐसे स्टॉक की मात्रा के आधार पर वस्त्र आयुक्त ऐसे स्टॉक पर यूनिक मिल संख्या इनग्रेविंग करने की अनुमति देते हुए योजना के अंतर्गत ऐसे स्टॉक को शामिल करने संबंधी निर्णय वस्त्र आयुक्त लेंगे।
- 10.5 आयातित (नई एवं पुरानी) मशीनरी के मामले में मशीनरी का सीरीयल नम्बर एवं बनावट के वर्ष स्पष्ट दिखने चाहिए और ऐसा कास्टींग / इनग्रेविंग / अलग से प्लेट चिपकाकर किया जाना चाहिए।

11 योजना की प्रगति की देखरेख

- 11.1 वस्त्र आयुक्त योजना की प्रगति की देखरेख करेंगे।

12 शिकायत समिति

- 12.1 योजना के अंतर्गत मशीनरी खरीदने के पश्चात लाभार्थी की शिकायतों पर वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में शिकायत समिति स्थापित की जायेगी और इस समिति में वस्त्र आयुक्त एवं ऐसे सदस्य जिन्हें वस्त्र आयुक्त उपयुक्त समझें शामिल होंगे।

परिशिष्ट –I

पात्र दस वर्ष पुरानी आयतित मशीनरी (करघे) के बेंचमार्क मूल्य

क्र.सं.	पुरानी आयतित मशीनरी का विवरण	मानक /मॉडल	बेंचमार्क मूल्य हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा (रूपये लाख में)	
			यूरोपीय यूनियन के देश	गैर -यूरोपीय यूनियन के देश
1.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250,	रु.8.00 लाख	-
2.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले एयरजेट करघे	किसी भी गति /चौड़ाई के	रु.8.00 लाख	रु.5.50 लाख
3.	कोई भी शेडिंग मेकेनिज्म वाले वॉटरजेट करघे	190 से.मी. एवं अधिक चौड़ाई वाले	रु.4.00 लाख	रु.2.50 लाख
		190 से.मी. से कम चौड़ाई वाले	रु.3.00 लाख	रु.1.50 लाख
4.	रैपियर करघे	190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 750 चक्र प्रति मिनिट से अधिक हो	रु.8.00 लाख	रु.4.50 लाख
		190 से.मी. चौड़ाई एवं डब्ल्यु आर आई जिसकी गति 450 चक्र प्रति मिनिट से अधिक एवं 750 चक्र प्रति मिनिट से कम हो	रु.6.00 लाख	रु.3.50 लाख
		190 से.मी. अधिक चौड़ाई वाले	रु.8.00 लाख	रु.4.50 लाख

टिप्पणी : पूंजीगत आर्थिक सहायता वास्तविक सी आई एफ मूल्य पर शुल्क एवं कर को छोड़कर ग्राहय
होगी । (अधिकतम सीमा तक)

परिशिष्ट -II

अनु.क्र.	युनिक कोड	विनिर्माता का नाम एवं पता	मशीनों के हिस्सों विनिर्माता
1	001	मेसर्स. लक्ष्मी टेक्सटाइल स्टोर्स, 22/23, पूनमजी इंडस्ट्रियल इस्टेट, धोबीघाट, शहापूर, अहमदाबाद : 380 004. फोन नं. 5622510, फैक्स 0795622845 E-Mail - shanghai@vsnl.com .	<ul style="list-style-type: none"> • स्वचालित पर्न चैंज लूम • शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
2	002	मेसर्स डायनामिक आटो लूम इंडिया प्रा.लि. 26 चेतना इस्टेट, नागरवेल, हनुमान रोड, अमरवाडी, अहमदाबाद -380026 फोन 2742468	<ul style="list-style-type: none"> • शटलेश रेपियर लूम • डॉबी
3	004	मेसर्स पी पी प्रोडक्शन काशी इस्टेट, द्वारा/- पंचल नगर, दुधेश्वर रोड, अहमदाबाद -380004 फोन 5626305/5626156 फैक्स नं. 079-5626305	<ul style="list-style-type: none"> • पर्न वायडिंग मशीन
4	005	मेसर्स सूर्या मशीनरी फैन्चू कंपनी लि. 92/94, 2-1, जी आय डी सी फेस -1 द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, वाटवा, अहमदाबाद-382 445 फोन नं. 079-5830164 फैक्स 079-5830418	<ul style="list-style-type: none"> • स्वचालित पर्न चैंज लूम • डॉबी
5	006	मेसर्स प्रंशात गामा टेक्स प्रा.लि. 4/1-सी, फेस -1, जीआयडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, वाटवा, अहमदाबाद-382445 फोन नं. 5830603/5833384 फैक्स 079-58904020/5830578 E-mail gamatex@prshantgoup.com	<ul style="list-style-type: none"> • सेक्सनल वार्पिंग मशीन
6	007	मेसर्स राबा टेक्स इंडस्ट्रीज , सी-1/356, जीआयडीसी इस्टेट, हाऊसर्सिंग कालोनी के सामने, ऑधव , अहमदाबाद- 382 415 फोन नं. 079-2871356/2976844/2872851 e-mail-rabatexadl@sancharnet.in	<ul style="list-style-type: none"> • सेक्सनल वार्पिंग मशीन
7	009	मेसर्स जुपिटर इंजि. कंपनी , प्लॉनं.510, पेस -IV, जीआयडीसी, वटवा , अहमदाबाद-382445 फोन नं. 079-5835313	<ul style="list-style-type: none"> • वारपिंग मशीन • सायर्चिंग मशीन
8	011	मेसर्स हिमसन टेक्सटाइल प्रा.लि. 2/94 जीआयडीसी पंडेशोरा, सूरत -394221 फोन नं. 0261-8691741/42/43/44	<ul style="list-style-type: none"> • शटलेश रेपियर लूम • जकवार्ड

		E-mail nimesh@himsoncermics.com	
9	012	मेसर्स लाईफबाऊड मशीन प्रा.लि. जॉय सिल्क मिल्स कंपाऊड स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, सूरत 395003 फोन 0261-7418837/7404150 फैक्स 0261-7423410	<ul style="list-style-type: none"> शटलेश रेपियर लूम
10	015	मेसर्स प्रियालक्ष्मी मशीनरी मैन्युफैक्सर्स 161/ए शंघवी इस्टेट , तवदीपुरा , अहमदाबाद-380004 फोन नं.5623166/5624664 फैक्स 91-79-5622845	<ul style="list-style-type: none"> पर्न चेजनिंग स्वचालित लूम
11	016	मेसर्स अलीधरा टेक्सप्रो प्रा.लि. बी-52, दूसरा माला, रोड-3, उद्योग नगर, उधाना-394 210, सूरत गुजरात, फोन नं.0261-2274140 मो.9879205126 फैक्स नं.0261-2278059 E-Mail- texpro@aalidhra.com www.aalidhra.com वर्क:-122-3, वाधाधरा बोर्ड, दादरा-395191, यूटी आफ दादरा एण्ड नगर हवेली, सीलवासा , इंडिया , फैक्स नं.0260-2668707	<ul style="list-style-type: none"> टू फोर वन टूयुटर फिलामेंट यार्न प्रि-वाईडर/रिवाइनडर
12	017	मेसर्स ऑनरेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पो बाक्स नं. 43, माधव नगर, बिलिमोरा, 396321, फोन 02634-83902-83302 फैक्स नं.83681 E-Mail-honesbilimora@yahoo.com	<ul style="list-style-type: none"> पर्न चेजनिंग स्वचालित लूम स्वचालित शटल स्टाप चैंज लूम शटललेस रेपियर लूम
13	018	मेसर्स श्री नाथ जी इंजी. वर्क्स प्रा.लि. जीआयडीसी के सामने, अटाला, बिलीमोरा, फोन 0263483098/	<ul style="list-style-type: none"> जेकार्ड
14	020	मेसर्स अमृतलक्ष्मी मशीन्स वर्क्स प्लाट नं.237,जीआयडीसी, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, उमरगाँव -396 171, फोन नं.0260-563865 फैक्स नं.226484366 E-Mail-amrutami@vsnl.com	<ul style="list-style-type: none"> वारपिंग मशीन सायजिंग मशीन
15	021	मेसर्स इंडस्ट्रीय इंजी.वर्क्स नं.27,आठवाँ क्रास, मागडी रोड, बंगलोर-560023 कर्नाटक इंडिया , फोन नं.080-23380235-23380759 फैक्स 080-23380325 E-Mail-indengg@vsnl.nite	<ul style="list-style-type: none"> शटललेस रेपियर लूम

16	024	मेसर्स लक्ष्मी आटोमैटिक लूम वर्क्स लि. पो. बा.नं.6320, 686, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर -641 037, तमिलनाडू फोन नं. कार्या.0422-2215484/2213489 फैक्स नं. कार्या.0422-2213785 E-Mail-lalwcve@md2.vsnl.net	<ul style="list-style-type: none"> पर्न वैजिंग आटोमैटिक लूम रेपियर लूम
17	030	मेसर्स रसील फैब्रिकोर्ट्स बिलीमोरा, युनिट ऑफ मेसर्स ऑनस्ट ट्रेडिंग कंपनी बिलीमोरा,	<ul style="list-style-type: none"> जेकार्ड
18	035	मेसर्स वेवटिस इंजीनियर्स ब्लॉक नं.122/1, वाधघरा रोड, वेलिज-दादरा-398191, सीलवासा , युटी ऑफ दादरा नगर हवेली , फोन नं.0260-2668304	<ul style="list-style-type: none"> शटललेस रेपियर लूम शटललेस वाटर जेट लूम
19	050	मेसर्स अलीधरा विवर टेक्स. प्रा.लि. फ्लाट नं. ए(5)4, सचिन उद्योग नगर , सहकारी संघ, डाढ़ी रोड़, सचिन , जिला सूरत -340380	<ul style="list-style-type: none"> शटललेस रेपियर लूम
20	054	मेसर्स हरिश इंटरप्राइजेस प्रा.लि. 225,आर्शीवाद इंडस्ट्रीयल इस्टेट , नया फल बाजार के सामने, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025 फोन नं.2822881-2822882 मो9426012341	<ul style="list-style-type: none"> सेक्सनल वारपिंग मशीन
21	065	मेसर्स चेना इंडस्ट्रीयल कापो. सी -1, बी/7, जीआयडीसी , अटालिया, बिलिमोरा-396 321, गुजरात फोन नं.02634-284618/मो.9825156509	<ul style="list-style-type: none"> सेक्सनल वारपिंग मशीन
22	084	मेसर्स फैण्डस् इंजी. वर्क्स, चांदनी बाग , सोनाली रोड, पानीपत-132103 फोन 0180-2661560 एसएस मलीक -98120- 19139 आर के शर्मा 98120-07534 (340-400 मी पर मिनट)	<ul style="list-style-type: none"> शटललेस रेपियर लूम
23	085	मेसर्स ए एम इंडस्ट्रीज, 9,तेजद्वारा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अजिल मिल के पास, टोल नाका , भारत बॉबिन्स के सामने, राखील, अहमदाबाद 380023 फोन एफ 274-5786,आर -2740786 फैक्स 2732786, मो 9825038786 इशाक खान एम पठान, E-Mail-export@superdobby.com	<ul style="list-style-type: none"> डॉबी

24	095	मेसर्स वैव टीस इंडस्ट्रीज ब्लॉक नं.1, सर्वे नं.0122, विलेज- दादरा , युटी ऑफ डीएनएच	• रेपियर लूम • वॉटर जेट लूम
25	109	मेसर्स बिलीमोरा इंजी. प्रा.लि. पो.बाक्स नं. #39, माधव नगर, बिलमोरा -396321, जि. नवसारी, गुजरात फोन 03634-283684 फैक्स 02634-283681	• शटललेस रेपियर लूम
26	111	मेसर्स लक्ष्मी प्रिसन्स टूल्स लि. अरासूर, 641407, कोयम्बतूर , तमिलनाडू फोन 0422-2360470, फैक्स 0422 -230469 E-Mail-lpmka@satyam.net.in lpmka@vsnl.net	• स्वचालित पर्न मशीन
27	113	मेसर्स केशर कारपोशन प्लॉट नं. 431,पी-सी , जीआयडीसी, अपना बाजार के पास , गोडाऊन, अधव , अहमदाबाद-382 415 फोन न31144954, फैक्स नं079-22891407 मो.9426447887	• सेक्सनल वारपिंग मशीन • डायरेक्स वारपिंग मशीन
28	114	मेसर्स अनुप इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल इंजी.एण्ड मैन्युफैक्सर्स , 23/130 नवरंग प्रोसेस, खजरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, शहापुर , इंचलकरजी-416115 मो9823161380	• साइजिंग मशीन
29	118	मेसर्स अनिल मेटल इंडस्ट्रीयलस् पलैंट नं 250-252, औध , जीआयडीसी, वाटर टैक के पास , टेलिफोन एक्सचेंज के पास , औध, अहमदाबाद 382415, गुजरात फोन 079-22891943 मो 9904071099/984478875 E-Mail-iconlooms@redmail.com	• शटललेस रेपियर लूम
30	119	मेसर्स आर बी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंजी प्रा. लि. 301 केलिफर हाऊस , पो बा.नं.12016, सी-17, दालिया इंडस्ट्रीज इस्टेट, अंधेरी बोरिवली के सामने , लिंक रोड, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने , अंधेरी वेस्ट , मुंबई 400053 फोन 022-55021361/55021362 फैक्स 56921432 E-Mail-texsales@cecindia.com	• साइजिंग मशीन • डायरेक्ट वारपिंग मशीन

31	121	<p>मेसर्स कोरनिडो विविंग मशीन , ए-डिविजन हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉइंट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पीटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 फ्लाट नं.334 रोड नं.03, जीआयडीसी, सचिन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • हाई स्पीड वाटरजेट लूम
32	122	<p>मेसर्स हिमसन्स इंजीनियरिंग हिमसन्स इंडस्ट्रियल प्रा.लि. 701, सेन्टर पॉइंट बिल्डिंग, निर्मला चि.हॉस्पीटल, रिंग रोड के सामने, सूरत-395002 फोन 0261-3966033-44 फैक्स 0261-2460358 17-1/17-1a/17-2a रिंगवाडा, कांचीरंगा रोड, नया दमन -396 210</p>	<ul style="list-style-type: none"> • हाई स्पीड वाटर जेट लूम
33	123	<p>मेसर्स शहा इंजी नियर कार्पोरेशन ½ थाला चिखली, जि. नवसारी -396521</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सेक्सनल वारपिंग
34	124	<p>मेसर्स लक्ष्मी शटललेस लूम्स् प्रा.लि. शघवी इस्टेट, जी एसटी , कालीगारम, राणिप, अहमदाबाद 382470 फोन 079-25622510,25624393 फैक्स 079-25622845 E-mail-shanghvi@vsnl.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> • शटललेस फैक्सीबल • रेपियर लूम
35	128	<p>मेसर्स टक मेक इंजीनियरस् प्लॉट नं 304, जीआयडीसी , औध , अहमदाबाद 382 415 फोन 79-22891407 E-mail-tchmechadl@sanchernet.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> • सेक्सनल वारपिंग मशीन • डायरेक्स वारपिंग मशीन
36	129	<p>मेसर्स इन्डोटेक्स मैन्युफैकर्स 332,जीआयडीसी, नरादा रेल्वे क्रासिंग के पास, डायमंड पार्क , अहमदाबाद 382340 फोन नं.079-22821782 फैक्स नं.079-22873003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • साईजिंग मशीन • वारपिंग मशीन
37	130	<p>मेसर्स मनिवा मशीनरी मैन्यु.प्रा.लि. 4, हितेन्द्रनगर सहकारी औद्योगिक वसाहत लि. डायमंड पार्क के सामान, अहमदाबाद-382340 फोन 079-22821738,फैक्स 079-22822438 मो.9824027719 E-Mail-info@minavamachinery.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> • डायरेक्ट वारपिंग मशीन • साईजिंग मशीन

38	131	मेसर्स नीवमी वारपिंग मैन्यु. कंपनी फ्लॉट नं. 71/1, पेस-1 टेलिफोन एक्सजेज, जीआयडीसी, वटवा, अहमदाबाद-382340 फोन नं. 079-25831096 फैक्स 079-25890888 मो 9898163100/9426552137	<ul style="list-style-type: none"> डायरेक्ट वारपिंग मशीन
39	132	मेसर्स सुमाटेक्स लि. एच-81, आरआयआयसीओ एक्सटेक्सन पुरा रोड, भिवानी-311 001(राजस्थान) फोन 01482-260693 फैक्स 01482-260575 Email-sumatex@xancharnet.in	<ul style="list-style-type: none"> जेकार्ड (कम्प्यूराड पाटचरन मार्कर मशीन)
40	133	मेसर्स दशमेश जकार्ड & पावरलूम 58-ए, सेक्टर -25 ,एचयूडीए, पेज-1, इंस्ट्रीयल इस्टेट, पानीपत-132 104 फोन 0180-2660975 onfo@dashmeshpwoerloom.com	<ul style="list-style-type: none"> जेकार्ड सेक्सनल वारपिंग मशीन
41	135	मेसर्स प्रशांत वेस्ट पॉइंट मशीनरी प्रा.लि. प्लॉट नं.4/1, पेज-1, जीआयडीसी इस्टेट, वटवा, अहमदाबाद 382 445 फोन नं. 2583 0603/2583 3384/ 25891779 फैक्स 91-79-2589 4020 Email-westpoint@pashantgroup.com">Email-westpoint@pashantgroup.com वेबसाइट: www.pashantgroup.com	<ul style="list-style-type: none"> डायरेक्ट वारपिंग मशीन सायजिंग मशीन
42	136	मेसर्स कांती टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कार्पो. पी-232, ओल्ड , जीआयडीसी , कटराग्राम , सूरत 8 गुजरात , इंडिया फोन 9525121389 9825458227 फैक्स 0261-2480820/2480973 Email#jitu_kalyan@yahoo.co.in">Email#jitu_kalyan@yahoo.co.in	<ul style="list-style-type: none"> सेक्सनल वारपिंग मशीन

परिशिष्ट –III

विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 20% प्रौजनियों के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

दिनांक / /2011

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड़ सहित :

आयएफएससी कोड़:

एमआयसीआर कोड़:

ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु.क्र	पैन	डीआय सी आईइएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	मौजूदा/ नई इकाई	स्वीकृत परियोजना मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 20% प्रौजनियों के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	एमएमएस 20% प्रौजनियों के अंतर्गत संवितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		
(1)		(2)				प्रौजनियों के तहत आने वाली मशीनरी उसके मानकों सहित	स्वदेशी मशीनरी के विनिर्माता के मामले में नाम एवं पता	आयतित मशीनरी के मामले में आयत किये जाने वाले देश का नाम	मशीनरी का मूल्य (रुपये)	दिनांक	राशि (रुपये)	दिनांक	राशि (रुपये)
(1)		(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			फैक्टरी का पता										

प्रमोटरों का योगदान : रुपये ----- (%)

संवितरित आवधिक ऋण रुपये -----

मशीन की कीमत रुपये ----- (%)

बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रौजनियों के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उनका विवरण :-----

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)

मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम -----

पदनाम -----

कोड -----

**विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 20% प्रौद्योगिकों के तहत विवरणी
प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र**

**ऋणदाता अभिकरण द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूँजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त
करने के लिए दिया जाने वाला प्रपत्र**

दिनांक / /20

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता

1	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	फैक्टरी का पता पूँजीकृत कार्यालय का पता
2.	क्या युनिट एसएसआय है या नहीं	(i) नयी युनिट (ii) मौजूदा
3.	प्रमोटरों का नाम	
4.	फर्म का प्रकार (मालिकाना/भागीदारी / लि.कंपनी/को-ऑप./ अन्य)	
5.	परियोजना लागत (रूपये)(मशीनरी की कीमत)	
(ए)	प्रमोटरों की हिस्सेदारी (यह कम से कम मशीनरी की कीमत का 15% होना चाहिए)	
(बी)	मशीनरी के लिए मंजूर एवं संवितरित आवधिक ऋण (आयतित मशीनरी के मामले में एलसी नं.)	
(सी)	संवितरित ब्रिज फायनांस	
(डी)	आवधिक ऋण के मंजूरी की तिथि	
6.	मशीनों के चालू होने की तिथि	
7.	एमएमएस@ 20% प्रौद्योगिकों के अंतर्गत आने वाली मशीनरी का विवरण	

(ए)	स्वदेशी मशीनरी				
अनु.क्र.	मशीनरी का विवरण	मशीनरी के उत्पादक का नाम एवं पता एवं कोड नं.	मशीनरी की संख्या	नौ अंकों की कोड सं.	बीजक मूल्य (रूपये)

(ब)	आयातित मशीनरी							
अनु.क्र.	मशीनों का विवरण	मशीनों की संख्या	नयी अथवा पुरानी	मशीन का अनु.क्र.	बिल की प्रवेश की तिथि	प्रविष्टि इनवाईस का मूल्य	लूम की गति	लूम की चौडाई सीआएफ का मूल्य

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

अनु.क्र.	दस्तावेज का विवरण	यदि संलग्न किया गया है तो ठिक करें तथा यदि लागू नहीं है तो 'लागू नाहीं' लिखें।
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

परिशिष्ट-V

अनुक्र.	मशीनों के प्रकार	दो अंकों के कोड
1.	स्वचालित शटल स्टॉप लूम	02
2.	स्वचालित पर्न चेचिंग लूम	03
3.	शटललेस रेपियर रूप	04
4.	डॉबी	05
5.	जकार्ड	06
6.	पर्न वेडिंग	07
7.	सेक्सलन वार्पिंग मशीन	08
8.	वार्पिंग मशीन	09
9.	साइजिंग मशीन	10
10.	टू फॉर वन टूयुस्टर	11
11.	प्रिवाईडर/रिवाईडर	12
12.	वाटरजूट लूम	13

000

परिशिष्ट -VI

मदवार विनिर्दिष्ट कास्ट कम्पोनेन्ट्स

लूम्स	सेक्शनल वार्पिंग
• मशीन फ्रेम - आर	• ब्रेक फलेज के लिए वार्पिंग ड्रम (आरएच)
• मशीन फ्रेम - एल	• ब्रेक फलेज के लिए वार्पिंग ड्रम (एलएच)
• ब्रिस्ट बिम	• रिड टेबल बॉडी
	• बिम डोनिंग डॉफिंग सेट
	• मशीन ट्रावर्सिंग के लिए गियर बॉक्स
	• वार्पिंग टेबल एवं बीम के लिए गियर बॉक्स
	• आर्म ट्रॅवर्स

फ्रेम्स (दाए तथा बाए)	फ्रेम्स (दाए तथा बाए)
------------------------	------------------------

मशीन	ग मशीन
टर्ट	
• फ्रेम होल्डर	• क्रिल ब्रैकेट
• यार्न टेन्शनर्स	• क्रिल फ्रेम
• कोन फ्रेम	बॉक्स
• हेड स्टॉक	• रबर रोलर हाऊसिंग
• ड्राइव शाफ्ट हाऊसिंग	• मेन फ्रेम
• गिर्ट बार्स	
	• सिलेंडर बिरिंग हाऊसिंग
	• सिलेन्डर डिश एन्ड
	हेड स्टॉक
	• निप रोलर हाऊसिंग
	• मेन फ्रेम

पर्न वाईडिंग मशीन	टीएफओटी/प्रि-वाईडर
• गियर बॉक्स	• गियर बॉक्स/मोटार हाऊसिंग प्लेट
• फॅब्रिकेटेड महत्वपूर्ण भाग (कम से कम चार जगहों पर)	• प्रत्येक सेक्शन के बाइंडर्स

टिप्पणी :- ढ़लाई द्वारा निर्मित अवयवों पर इनकी ढ़लाई के दौरान विशिष्ट विनिर्माता कोड़ संख्या उकेरी जानी चाहिए। अवयवों पर कोड़ संख्या के अलावा रनिंग क्रम संख्या भी उकेरी जाएगी।

परिशिष्ट – आर

प्रौजुनियो के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों एवं पटसन इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की पूँजीगत सहायता के लिए प्रचालन संबंधी दिशा –निर्देश

- (1) वस्त्र की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं पटसन इकाइयों को पुनर्गठित प्रौजुनियो के अंतर्गत के स्थान पर 15 % मार्जिन मनी की पूँजीगत सहायता प्राप्ति का विकल्प (एम एस @ 15%प्रौजुनियो) के स्थापन पर 5 प्रतिशत / 4 प्रतिशत ब्याज प्रति पूर्ति 20 / प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी) विद्युत करघा क्षेत्र के के लिए दिया गया है। एम एस @ 15%प्रौजुनियो के प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश निम्नवत है :-

योजना की अवधि :-

- (2) एम एस @ 15%प्रौजुनियो का प्रचालन पुनर्गठित प्रौजुनियो के ही साथ इस संकल्प के दिन से 31 मार्च 2012 तक होगा।

पात्र इकाइयाँ :-

- (3) यह योजना ऐसी लघु औद्योगिक इकाईयों पर लागू है जो पुनर्गठित प्रौजुनियो जी आर में के विस्तार में पात्र इकाईयाँ हैं। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों की परिभाषा माइक्रो, लघु एवं मध्यम इन्टर प्राइजेस डेवलपमेण्ट अधिनियम 2006 के अनुरूप होगी। यद्यपि एम एस के तहत 15प्रतिशत एम एस की आर्थिकी सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमियों का ज्ञापन भरना पहली आवश्यकता होगी।

4. लघु औद्योगिक इकाई की पात्रता की पूँजीगत सीमा रुपये 5.00 लाख होगी तथा मार्जिन मनी सब्सिडी पर पात्रता रुपये 45 लाख होगी। ऐसी लघु औद्योगिक इकाइया जिनकी आर्थिक सीमा रुपये 5.00 लाख से अधिक होगी वे 15 प्रतिशत एम एस प्रौजुनियों के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। ऐसी इकाईयों को सलाह दी जाती है वे 5 प्रतिशत / 4 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ पुनर्गठित प्रौजुनियो के अंतर्गत प्राप्त करें।

पूँजीगत सहायता की मात्रा :-

5. 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की आर्थिक सहायता, प्रौद्यनियों से संगत मशीनरी पर ही वह भी अधिकतम रूपये 45 लाख पूँजीगत सहायता की सीमा तक प्राप्त होगी ।

परंतु ए) यद्यपि जहाँ दो या अधिक उपक्रम का गठन एक ही व्यक्ति द्वारा मासिक के रूप में किया गया हो वहाँ ऐसे औद्योगिक उपक्रम को ऐसा समझा जायेगा कि उसे दूसरे उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

अथवा

(बी) जहाँ दो से अधिक उपक्रमों का गठन भागीदारी फर्म के रूप में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 के 1) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक पार्टनर ऐसे फर्मों में समान पार्टनर हों तो वहाँ ऐसा माना जायेगा कि ऐसा प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम की दूसरे उपक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ।

(ग) जहाँ औद्योगिक उपक्रम गठन कम्पनियों द्वारा कम्पनीज अधिनियम 1956 (1956-91) के तहत किया गया है और जहाँ एक या अधिक निदेशक एक ही हो / वही व्यक्ति जिसने अपनी व्यक्तिगत श्रमता के तहत प्रोपाराइट्री पार्टनशिप फर्म के लिए पूँजीगत सहायता प्राप्त की हो, ऐसे उपक्रम को समझा जायेगा कि वह दूसरे उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित है ।

6. लघु औद्योगिक इकाईयाँ जो 15 प्रतिशत पूंजीगत सहायता प्राप्त कर रही हो वे विनिर्दिष्ट तौर प्रोसेसिंग, गार्मेंटिंग नए शटलरहित करघों एवं तकनीकी वस्त्र मशीनरी के लिए 10 प्रतिशत की पूंजीगत सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।
7. जो इकाईयाँ 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की सहायता का लाभ ले रही हो वे एम एस @ 15%प्रौजनियों के तहत सहायता नहीं प्राप्त कर सकती हैं । यद्यपि वे 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ही सकते हैं ।

मानक एवं पात्र मशीनरी :-

8. पुनर्गठित प्रौजनियों की प्रौद्योगिकी एवं अन्य मानक, एम एस @ 15%प्रौजनियों के मामलों की प्रात्रता हेतु समान ही होंगे ।
9. एम एस @ 15% की पात्र मशीनरी पुनर्गठित प्रौजनियों के भीतर परिशिष्ट ए से एच में दी हुई हैं ।
10. मशीनरी पर / मशीन पर लगे नाम संबंधी पट्टी पर मेक एवं उसके बनने का वर्ष स्पष्ट रूप से लिखा हो ।

पूंजीगत आर्थिक सहायता की पात्रता संबंधी ग्राहय मूल्य

11. वैल्यूवेशन उद्देश्य के लिये मशीनरी के मूल मूल्य पर टैक्स के हिस्से को छोड़कर मार्जिन मनी संबंधी पूंजीगत सहायता की गणना की जाएगी । दूसरे शब्दों में स्वदेशी मशीनरी के लिए उसके मूल मूल्य एवं आयतितमशीनरी के लिए सी आई एफ मूल्य पर पूंजीगत सहायता की गणना की जाएगी ।
12. आयतित पुराने शटल रहित करघों के लिए एम एस @ 20%प्रौजनियों के अनुसार नियत मूल्य पर पूंजीगत सहायता की गणना की जाती है ।

ऋणदाता संस्थान :-

13. सभी नोडल बैंक, आई डी बी आई बैंक, सिडबी एवं उसकी सभी सहयोजित पी एल आईज इस योजना के अंतर्गत निधि देने हेतु पात्र हैं ।

वित्तीय मानक :-

14. ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रमोटर की 15 प्रतिशत निवेश हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
15. वित्तीय मानक जैसे सेक्यूरिटी मेम्बर इक्षिटी अनुपात, पिछले वर्ष की लाभ संबंधी स्थिति नेट वर्थ इत्यादि ऋणदाता संस्थानों के मौजूदा मानक के अनुसार होगी। यद्यपि वे प्रौद्यनियों के मानकों के अधिक कड़े नहीं होने चाहिए।

पूंजीगत सहायता जारी करने के लिए प्रक्रिया :-

16. यह योजना वस्त्र आयुक्त कार्यालय एवं साथ ही साथ ऋणदाता संस्थानों द्वारा चलाई जायेगी। उसके पास विकल्प होगा कि वह वस्त्र आयुक्त कार्यालय अथवा ऋणदाता संस्थानों के मध्य चुनाव करे कि उसे किसके माध्यम से जाना है।
17. 15 प्रतिशत एम एस के सिडबी सहयोजित पी एल आईज द्वारा मंजूर किए गए मामले (अर्थात नोडल बैंक / नोडल एजेन्सी सहयोजित प्राइवेट कमर्शियल बैंकों को छोड़कर) को वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा जिससे सिडबी के बोझ को कम किया जा सके और लघु औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत सहायता देने की प्रक्रिया को तीव्र गति से किया जा सके। सिडबी केवल उसके सहयोजित पी एल आईज के मामले में 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित करेगा।
18. ऋणदाता संस्थान, स्टेज -I में दिए गए देख रेख प्रक्रिया के पेरा4 जो कि ऐसे उद्यमियों के मामलों में ऋणदाता अभिकरण का माध्यम चुनती है के कार्यालय पत्र / देख रेख मूल्यांकन से संबंधित है का पालन करेंगी। यद्यपि जो उद्यमी वस्त्र आयुक्त कार्यालय का चुनाव अपने माध्यम के रूप में करेंगे उनके लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-

वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से :-

19. पात्र लघु औद्योगिक इकाई ऋणदाता संस्थान को परियोजना प्रस्ताव के लिए आवधिक ऋण के लिए सम्पर्क करेंगी। ऋण दाता संस्थान परिशिष्ट -जे में विहित प्रपत्र के अनुसार ऋण की मंजूरी के उपरांत उनहें वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सलाह देंगे।
20. लघु उद्योग उद्यमी अपनी दावे संबंधी आवेदन पत्र के वस्त्र आयुक्त कार्यालय परिशिष्ट -टी के अनुसार में विहित प्रपत्र में जमा करेंगा।
21. लघु उद्यमी उसका स्वयं के प्रमोटर के हिस्से का 15 प्रतिशतका अंशदान सीधे ही मशीन विनिर्माता को देगा। ऋणदाता संस्थान, मशीन विनिर्माता को जब मशीन भेजे जाने को तैयार हो, वो देगा / ऐसे मामलों में जहाँ मशीन नहीं की लागत का 85 प्रतिशत ऋण हिस्सेदारी के बावजूद

मशीनरी की लागत पूरी नहीं हो जाती है तो ऐसे में लघु औद्योगिक इकाई का उद्यमी बाकी बची हुई राशि अपने स्वंयं के माध्यम से अदा करेगा ।

22. मशीनरी का विनिर्माता मशीन की 85 प्रतिशत लागत प्राप्त होते ही मशीन संस्थापित करके उसे चालू करेगा मशीन के ठीक प्रकार से लग जाने पर मशीनरी का विनिर्माता लघु उद्योग उद्यमी इसकी जानकारी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा ।
23. आयतित मशीनरी के मामले में लघु उद्योग उद्यमी, मशीनरी चालू होने के उपरांत इसकी की सूचना वस्त्र आयुक्त कार्यालय को देगा ।
24. वस्त्र आयुक्त, क्षेत्रीय आधार पर निरीक्षण दल तैयार करेंगे जो निरीक्षण करके मशीनरी चालू होना प्रमाणित करेंगे । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रमाणन समिति, प्रमाण पत्र विनिर्माता से सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर जारी करें ।
25. 15 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा इकाई के बैंक खाते में निरीक्षण दल से प्रमाणपत्र मिलने पर जारी की जाएगी । वस्त्र आयुक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 15 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्रमाणन समिति से प्रमाण — पत्र मिलने के एक माह के भीतर जारी हो जाए ।
26. पुनर्गठित प्रौडनियो से संबंधित आयतित मशीनरी के मामले में लघु उद्योग उद्यमी से अपेक्षित होगाकि वह खरीदारी करने के लिए बैंक में एल सी खाता खोले । ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता लघु औद्योगिक इकाई के उद्यमी के बैंक खाते में सीधे ही आयतित मशीन के संस्थापन एवं उसके चालू होने की रिपोर्ट मिलते ही दी जायेगी ।
27. ऐसे मामलों में जहाँ लघु औद्योगिक इकाई ऋणदाता संस्थान से दी जाने वाली 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की पूंजीगत आर्थिक सहायता हेतु ब्रिज फाइनेन्स प्राप्त करता है तो ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता सीधे ही ऋणदाता संस्थान से जारी की जायेगी ।
28. ऐसे मामलों में जहाँ किस्तों में मशीन लगाई / चालू की जाने वाली हो वहाँ पूंजीगत आर्थिक सहायता भी किस्तों के रूप में दी जायेगी । मशीन की लागत के लिए मार्जिन मनी तक की राशि का भुगतान इकाई द्वारा अग्रिम रोख — के रूप में आवधिक ऋण की मंजूरी के पूर्व दिया जा सकता है । यद्यपि आवधिक ऋण की मंजूरी के दिन या उसके बाद खरीदी गई मशीन पुनर्गठित प्रौडनियो के अंतर्गत पात्र होगी बशर्ते वह अन्य शर्तें पूरी करती हो ।

दुरुपयोग से बचाव :-

29. मार्जिन मनी की पूंजीगत सहायता के गलत प्रयोग से बचाने के लिए यह अपेक्षित है कि इकाई पूंजीगत सहायता वितरित किये जाने के बाद कम से कम तीन वर्षों तक कार्यरत रहे । इकाई की

क्रियाओं पर तीन वर्ष तक नजर रखने के लिए ऋणदाता संस्थान द्वारा ऋण की पुनर्दर्दायगी एवं ऋण स्थगन अवधि कम से कम तीन वर्ष तक रखना चाहिए।

30. पूंजीगत सहायता के उपरांत ऋणदाता संस्थान को लघु औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार की ओर से एक करार प्राप्त होगा। पात्र पी एल आई की लघु औद्योगिक इकाई के साथ किए जाने करार का मसौदा परिशिष्ट —ए पर दिया है।
31. वस्त्र आयुक्त मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक और टीम बनायेंगे जो आवाधिक तौर पर यादचिक (रैण्डम) आधायर पर संस्थापित / लगी हुई मशीनरी का निरीक्षण करेंगे।
योजना की प्रगति की देख रेख :-
32. टी ए एम सी योजना की प्रगति पर नजर रखेगी।

शिकायत समिति :-

33. इस योजना के अंतर्गत लघु औद्योगिक उद्यमियों की मशीनरी खरीद के बाद की शिकायत को शिकायत समिति द्वारा जिसके अध्यक्ष वस्त्र आयुक्त होंगे उनके द्वारा सुना जायेगा। इस समिति में वस्त्र उद्योग संघों एवं टी एम ए आई के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

टेक्स्टाइल युनिट क्षेत्र के लिए एमएमएस@ 15% प्रौद्योगिकों के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

दिनांक / /2011

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता पिन कोड सहित :

आयएफएससी कोडः:

एमआयसीआर कोडः:

ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण खाता नं.:

अनु. क्र	पैन	डीआयसी आईईएम नंबर	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	खंड	परियोजना स्वीकृत का मूल्य	परियोजना के अंदर आने वाली मशीनें				एमएमएस 15% प्रौद्योगिकों के अंतर्गत मंजूर की गई आवधिक ऋण की कुल राशि	एमएमएस 15% प्रौद्योगिकों के अंतर्गत संवितरित की गई आवधिक ऋण की कुल राशि		
(1)			(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			फैक्टरी का पता										
			पंजीकृत कार्यालय का पता										

प्रमोटर का योगदान : रुपये ----- (%)

संवितरित आवधिक ऋण रुपये ----- (%)

मशीन की कुल कीमत रुपये -----

बैंक के माध्यम से आने वाले पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के अंतर्गत आने वाले यदि कोई दावे हों तो उसका विवरण:-

(शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील)

मैनेजर / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम -----

पदनाम -----

कोड -----

(करार, के रूप में मुद्राकिंत किया जाए)

लघु वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए भूंगठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंकड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस - टीयूएफएस) प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला करार .

यह करार -----रस्थान ----- पर -----दिनांक----- वर्ष ----- इस दिन पर में मेसर्स-----
-----, 1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट तक सार्वजनिक / निजि लिमिटेड कंपनी / प्रॉप्राइटरी कन्सर्न तथा जिसका -----

में पंजीकृत कार्यालय है तथा औद्योगिक कन्सर्न होने के नाते इसमें इसके पश्चात भाग एक के लाभार्थी (जिसकी अभिव्यक्ति उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशित शामिल इस स्केंधन में संदर्भ के रूप अथवा विरुद्ध हो) उल्लेखित है ।

अथवा

भागीदारी फर्म के लिए

1. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.
2. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.
3. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.

भागीदार के रूप में फर्म ----- में अभियान एवं से व्यवसाय कर रहे हैं तथा उनका कार्यालय ----- में है भाग एक के (इसे इसमें इसे उसके पश्चात लाभार्थी, जिसकी अभिव्यक्ति इसके / उसके / उनके कानूनी प्रतिनिधियों वारिसों /, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों / एवं समुपदेशित सहित जब तक उसके विषय तथ संदर्भ के विरुद्ध न हो) उल्लेख किय गया है ।

तथा

-----, (इस में इसके पश्चात वित्तीय संस्थान / बैंक उल्लेख किया गया है) जब तक उसके संदर्भ तथा व्याख्या के विरुद्ध न हो इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं समुपदेशित शामिल है) अन्य भाग हैं ।

जबकि :-

1. भारत सरकार ने भारतीय लघु औद्योगिक इकाई विकास बैंक (सिडबी) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) (इसे इसमें इसके पश्चात योजना के रूप में उल्लिखित) वस्त्र एवं पटसन के लघु उद्योगों के लिये क्रेडिट लिंकड कैपिटल सबसिडी के प्रचालन के लिये तथा वित्तीय संस्थान / बैंक को योजना के अंतर्गत मंजूर सवितरित अवधिक कर्ज पर पूँजीगत सहायता का अधिक लाभार्थियों द्वारा दावा करने में सहायता करने के लिए नोडल अभिकरण नोडल बैंक (इसमें इसके पश्चात, एजेंट के रूप में उल्लिखित) के रूप में नियुक्त किया है ।
2. लाभार्थी ने लघु उद्योगों के अंतर्गत प्रोजेक्ट संस्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थान / बैंक से योजना के अंतर्गत रु.----- (रुपये -----) की सहायता देने का अनुरोध किया, जिसपर वित्तीय संस्थान / बैंक ने उनके तथा लाभार्थी के बीच निष्पादित करार की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार लाभार्थी द्वारा प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत मशीनों की खरीद में किये गये अथवा किये जाने वाले पात्र निवेश के अनुपात में कर्ज देने को मान्यता दी है ।
3. एजेंट ने वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा लाभार्थी को मंजूर पूँजी सहायता के संवितरण में सहायता हेतु भारत सरकार के लिये नोडल अभिकरण के रूप में काम करने को सहमति प्रदान की है, तथा उक्त उददेश्य के लिये पार्टिया निम्नलिखित विलेख में दी गई शर्तों के अनुसार करार करने को सहमत हैं ।

मौजूदा विलेख साक्ष्य तथा एतद द्वारा दोनों पार्टीयों द्वारा उनके बीच मान्य की जाने वाली सहमति निम्नानुसार है :-

1. लाभार्थी एतदद्वारा प्रतिज्ञा करता है :-

(क) लाभार्थी उक्त योजना के सभी शर्तों एवं निबंधनों एवं उसके साथ अनुवर्ती सुधारों / आशोधनों तथा उनकी बढ़ोत्तरी का और उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तों का निष्पापूर्वक पालन करेगा तथा उन्हें पूरा करेगा ।

(ख) लाभार्थी एजेंट और / भारत सरकार अथवा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें एजेंट या भारत सरकार अथवा प्रौद्योगिकी सलाहकार - सह देखरेख समिति (टी.ए.एम.सी.) / अंतर मंत्रालयीन संचालन समीति (अ.म.स.स.) द्वारा प्राधिकृत को उस कार्य को जिस कार्य के लिये पूंजीगत आर्थिक सहायता मंजूर की गई है तथा मशीनें, संयन्त्र, यन्त्र, औजार, उपरकरण जिन्हें खरीदने के लिये सहायता मंजूर की गई है अथवा पूंजीगत आर्थिक जो मशीन एवं उपक्रम से संबंधित जानकारी एजेंट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. को अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को समय — समय पर देता रहेगा ।

(ग) लाभार्थी एजेंट की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई का स्थान संपूर्णतः नहीं बदलेगा, व जो किसी के साथ भागीदारी करेगा अथवा इसका ढांचा, विलयन एकाकीकरण या किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा और न ही फिक्स्ड पूंजी निवेश को एजेंट द्वारा दी गई पूर्व लिखित अनुमति के बिना समाप्त करेगा ।

2. इसके अतिरिक्त एतदद्वारा पार्टीयों द्वारा तथा उनके मध्य मान्य तथा घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित मे से कोई मामला, यथा

(क) जहाँ लाभार्थी द्वारा आवश्यक तत्व के गलत प्रस्तुतीकरण से या गलत जानकारी देकर, अथवा, जहाँ औद्योगिक इकाई पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण के तीन वर्ष के भीतर बंद हो जाती है शिवाए ऐसे मामले जहाँ इकाई अल्पावधि अधिकतम तीन माह तक बिना उत्पादन के रहती है (सिफ़ जीनिंग एवं प्रोसिंग फैक्टरी के मामले में छः माह तक और वस्त्र उद्याग की अन्य किसी गतिविधि को नहीं) ऐसी स्थितियों में जो उसके नियंत्रण फैब्राइट हो जैसे कच्चे माल अनुपलब्धता विद्युत इत्यादि अथवा

(ख) यदि इकाई का उत्पादन पूंजी सहायता वितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बंद हो जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ इकाई का उत्पादन उसके नियंत्रण से परे कारणों, जैसे, कच्चे माल / उर्जा की कमी आदि के कारण तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये बंद हो

(ग) जहाँ लाभार्थी ऊपर उल्लिखित निर्धारित विवरणी या माँगी गई जानकारी नहीं दे पाता ।

यदि लाभार्थी इसमे निहित प्रतिज्ञाओं या योजना के समय - समय पर आशोधित शर्तों एवं निबंधनों में से किसीएक का भी उल्लंघन करता है तो लाभार्थी उक्त वित्तीय संस्थान / बैंक के विद्यमान सर्वोच्च ऋण दर पर ब्याज के साथ वित्तीय संस्थान / बैंक को सहायता राशि को लौटायेगा । लाभार्थी को दी गई पूंजी सहायता वसूल करने के लिये बैंक / वि.सं. आवश्यक सभी कदम उठायेगी, क्योंकि इसका प्रावधान एजेंट द्वारा किया गया है तथा वसूली के लिए बैंक / वि.सं. को आया हुआ सारा खर्च भी लाभार्थी से वसूल किया जा सकेगा । इस तरह वसूल की गई ब्याज सहित पूंजीगत सहायता सरकार को अंतरित की जायेगी ।

3. योजनो के अंतर्गत इकाई / ऋण प्राप्त कर्ता की पात्रता, इकाई को अन्य कोई सहायता के संदर्भ में एजेंट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. की व्याख्या / स्पष्टीकरण / निर्णय, वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा ऋण सुविधा देने से पहले या बाद में लाभार्थी पर बाध्य होगी तथा लाभार्थी एजेंट अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायेगा ।

4. एतद द्वारा यह मान्य तथा घोषित किया जाता है कि इस विलेख पर लगने वाली प्रभार्य स्टैम्प डयूटी लाभार्थी द्वारा दिया तथा वहन किया जायेगा तथा लाभार्थी इस विलेख की शर्तों एवं निबंधनों को लागू करने में हुआ खर्च, आदि कोई हो, वहन करने के लिये उत्तरदायी है ।

5. जिनके साक्ष्य में लाभार्थी ने अपना सामान्य सील इस में एवं इसकी दूसरी प्रति में इसमें पहले लिखे गये दिन, माह तथा वर्ष पर जोड़ा जाता है तथा बैंक ने यह विलेख तथा उक्त, दूसरी प्रति श्री ----- (नाम एवं पदनाम) के हाथों से निम्नानुसार निष्पादित करने के लिये पहुचायी है ।

----- लि. का सामान्य सील इस के निदेशक मंडल के अनुसरुप में दिनांक को श्री ----- तथा श्री -----

श्री ----- निदेशक, जिन्होंने उनके प्रमाण के रूप में इस विलेख में हस्ताक्षर किये हैं तथा श्री ----- सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने उनके प्रमाण में उक्त पर हस्ताक्षर किये हैं, की उपस्थिति में उनके पक्ष में पारित संकल्प के अनुसार है ।

श्री ----- (नाम एवं पदनाम) बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी के हाथों से बैंक के नाम से हस्ताक्षरित तथा वितरित किया गया ।

Page no.122

अथवा

इसके साक्ष्य स्वरूप लाभार्थी के भागीदारों में इस पर तथा इसके डुप्लीकेट पर इसके वाले पैरा में लिखीत तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । और बैंक ने उक्त डुप्लीकेट को श्री(नाम एवं पदनाम) द्वारा निष्पादित करवाया हैं जिसे इसमेंआगे दिया गया है ।

1. श्री ----- के नाम से, ----- नाम के भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिया गया ।

2. -----,, ----- हस्ताक्षर किया गया तथा श्री द्वारा दिया गया ।
श्री के हाथों प्राप्त ।

मंडल के संकल्प के अनुसरण में दिनांक को श्री के हाथों से हस्ताक्षरित कर कॉमन शील सहित श्री की उपस्थिति में दिया गया उन्होंने यह हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप किए हैं श्री

द्वारा हस्ताक्षरित कर से एफ.आई./ एन.एस.आई.सी. /बैंक /एस.एफ.सी. के प्राधिकृत कर्मचारी को (जो कोई लागू से) दिया गया ।
टिप्पणी :- लाभार्थी की ओर से किसी व्यक्ति को दस्तावेज निष्पादित करने का प्राधिकार देने वाला कागजात बोर्ड के संकल्प करार के साथ जमा किया जाये ।

प्रोसेसिंग, बिल्कुल नये शटलरहित करघों, गार्मन्ट्स एवं टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए प्रौद्यनियों के तहत @ 10 % पूंजीगत आर्थिक सहायता के लिए प्रचालन संबंधी दिशा निर्देश ।

1. 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता का प्रोत्साहन, गार्मिंग, टेक्नीकल टेक्सटाइल्स, बिल्कुल नये शटलरहित करघों एवं विशिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी को दिया गया है ।

योजना की अवधि

2. पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अन्तर्गत @ 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता पुनर्गठित प्रौद्यनियों के संकल्प के दिन से 31 मार्च 2012 तक लागू रहेगी ।

पात्रता

3. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता उन्हीं परियोजनाओं के लिए लागू होगी जहाँ नोडल अभिकरणों नोडल बैंकों / सहयोजित पी एल आईज द्वारा आवधिक ऋण किया गया हो ।
4. प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों के लिए दिया जायेगा जो पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं ।
5. गार्मिंग मशीनरी के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता ऐसे गार्मन्ट इकाइयों को मिलेगा जो पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं ।
6. शटलरहित बिल्कुल नये करघों के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता सभी वस्त्र गार्मन्ट एवं जूट की ऐसी इकाइयों को मिल सकेगा जो पुनर्गठित प्रौद्यनियों के अंतर्गत ऋण प्राप्ति की पात्र हैं ।
7. टेक्नीकल टेक्सटाइल की मशीनरी संबंधी पूंजीगत आर्थिक सहायता केवल टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाइयों को ही मिलेगा । क्योंकि टेक्नीकल टेक्सटाइल की कुछ मशीनरी टेक्नीकल टेक्सटाइल इकाइयों में समान (कॉमन) रहती हैं अतः 10 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति के लिए इच्छुक इकाईयाँ को वस्त्र आयुक्त कार्यालय से 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति से पूर्व एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी ।

सहायता की मात्रा

8. 10 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता विशिष्ट मशीनरी को मिलेगी और इसकी गणना मशीनरी के बेसिक मूल्य पर की जायेगी और मान संबंधी गणना के लिए टैक्स के हिस्से को छोड़ दिया जायेगा । दूसरे शब्दों में स्वदेशी मशीनरी के मामले में बेसिक मूल्य तथा आयतित मशीनरी के मामले में सी आई एफ मूल्य को पूंजीगत सहायता की गणना के लिए पकड़ा जायेगा ।

9. 10 % की पूंजीगत आर्थिक सहायता सम्पूर्ण परियोजनाओं की लागत पर न होकर विशिष्ट मशीनरी की लागत पर होगी। तक के सुसंगत निवेश वाली सम्पूर्ण परियोजना के साथ विशिष्ट मशीनरी पहले की ही तरह 5 प्रतिशत ब्याज प्रोत्साहन प्राप्त करते रहेगी।

पूंजीगत आर्थिक सहायता का जारी करना

10. ऋणदाता संस्थान द्वारा विशिष्ट मशीनरी के लिए आवधिक ऋण के संवितरण के समय पूंजीगत आर्थिक सहायता दी जायेगी।
11. पूंजीगत आर्थिक सहायता को प्रमोटर के हिस्से के रूप में भी समायोजित किया जा सकता है।

प्रपत्र - टी आर -1

टेक्नीकल टेक्स्टाईल इकाईयों के लिए पुनर्गठित प्रौद्यनियों के तहत 10 प्रतिशत पूँजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

1.	इकाई का नाम एवं पूरा पत्ता				
	प्रबंध निदेशक का नाम				
	टेलिफोन संख्या :				
	फैक्स नं.				
	ई-मेल का पता:				
	वेबसाइट का पता :				
2.	क्या लघु औद्योगिक / गैर लघु औद्योगिक				
3.	उत्पादित उत्पाद का विवरण				
4.	उत्पाद के आखिरी कार्यरत रहने की तिथि				
5.	मौजूदा मुख्य मशीनरी का विवरण				
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम, पता टेलिफोन संख्या तथा ई-मेल सहित				
7.	टेक्नीकल टेक्स्टाईल के लिए 10 प्रतिशत की पूँजीगत आर्थिक सहायता के अंतर्गत संस्थापन हेतु प्रस्तावित किए जाने वाली मशीनरी का विवरण				
क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	आयतित /स्वदेशी	मशीनों की संख्या	जी आर के परिशिष्ट —के का क्रम संख्या	सभी प्रकार के करों को छोड़कर बैसिक मूल्य

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पुनर्गठित प्रौद्योगिकों के अंतर्गत इकाई द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूँजीगत आर्थिक सहायता प्राप्ति का दावा करने संबंधी आवेदन का फार्म

एम एम एस @ 15% - प्रौद्योगिकों :

एम एम एस @ 20% - प्रौद्योगिकों :

(जो लागू हो उस पर टीक करें)

1.	निरीक्षण किए जाने वाली फैक्टरी का का नाम एवं पत्ता पिन कोड सहित तालुका / तहसिल / मंडल :	
	जिला :	
	राज्य :	
	पिन कोड :	
	टेलिफोन / मोबाईल नम्बर	
	फैक्स नं.	
	ई-मेल का पता :	
2.	इकाई का पेन नम्बर	
	संपर्क किये जाने व्यक्ति का नाम एवं फोन नम्बर	
3.	(ए) लघु औद्योगिक इकाई पंजीकरण /ई.एम.नम्बर एवं दिनांक (बी) पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी	
4.	क्या मौजूदा है अथवा नई इकाई है ।	
	परियोजना लागत का व्यौरा (ए) जमीन (बी) बिल्डिंग (सी) प्लांट एवं मशीनरी (डी) अन्य (ई) कुल (एफ) यदि बिल्डिंग लीज पर हो तो पंजीकृत लीज /किराया एग्रीमेंट संलग्न करें ।	
5.	(ए) फर्म का स्वरूप	मालिकाना /भागीदारी /प्राइवेट लिमिटेड/ कॉ.ऑपरेटिव
	(बी) मालिक / भागीदारों/प्रबंध निदेशकों के नाम (पार्टनरशिप डीड /एम ओ यू—एम ओ ए जैसा मामला हो संलग्न करें)	
6.	ऋणदाता संस्थान का नाम एवं पता (पिन कोड सहित)ब्रांच एवं फोन नम्बर सहित आवधिक ऋण खाता संख्या चालू खाता संख्या ऋण मंजूरी की राशि एवं तारीख (ऋण मंजूरी पत्र की प्रति संलग्न करें) ऋण संवितरण की राशि एवं तिथि	
7.	मांगी गई मशीन एवं उनका विवरण	

दिनांक:
स्थान :

मालिक /प्रबंध निदेशक इत्यादि
के हस्ताक्षर एवं इकाई शील

परिशिष्ट – यू

प्रोउनियो के अंतर्गत एकमात्र आईडी संख्या प्राप्त करने हेतु ऋणद अभिकरणों द्वारा आवेदन करने हेतु ऑन-लाईन आवेदन हेतु प्रपत्र

ऋण अभिकरण का नाम :

पैन	आयइएम / डीसी (एसएस आ) संख्या	इसीएन (सहयोजित पीएलआय के मामले में)	इकाई का नाम एवं पता	एसएस आय/ नॉन एसएस आय	विद्यमान /नई इकाई	खंड	के लिए प्रोउनिया लाभ प्राप्त करना चाहते हैं	स्वीकृत परियोजना लागत	स्वीकृत सावधि ऋण	सांवधि ऋण स्वीकृति की तारीख	प्रोउनियो के अंतर्गत पात्र सावधि ऋण	ऋणस्थगण/ कार्यान्वयन सहित पुनर्भुगतान अवधि		तारीख वार पितरण पैटर्न	सात वर्ष की अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, के लिए तिमाही वार सब्सिडी (तिमाही की विशिष्ट तिथि के साथ)
												ऋणस्थगण/ कार्यान्वयन	पुनर्भुगतान अवधि		
												से	तक	से	तक

- कृपया चुनाव किए गए प्रोउनियो लाभ उल्लेख करें, यथा, 4% आईआर 5% आई आर अथवा 5% आई आर अधिक 10% पूँजी सहायता अथवा 4% / 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अथवा 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अधिक 10% पूँजी सहायता अथवा 15% एमएसएस अथवा 20% एमएसएस अथवा 25% पूँजी सहायता

- टिप्पणी :**
1. साझेदारी मामले में (वित्तीय सहायता) ऋणद अभिकरण द्वारा परियोजना लागत दर्शायी जाए, को दुबारा गिनती को टालने हेतु इकाई को ऋण की अधिकतम राशि स्वीकृत की गई है। तथापि ऋणद अभिकरण द्वारा स्वीकृत की गई राशि तथा वितरित की गई राशि दर्शाए जाए।
 2. केवल आईडी संख्या प्राप्त करने की तिथि के बाद की तिमाही की समाप्ति तक सब्सिडी दावा वैध रखने की वरीयता का अधिकार

खंड

1. कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग
2. रेशम क्षेत्र (यथा रिलिंग, द्विस्टींग ,कताई एवं बुनाई)
3. ऊन क्षेत्र(स्काऊरिंग ,कॉम्बिंग, कताई,(वर्स्टेड ,शॉडी एवं वूलन) तथा बुनाई)
4. सिथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचरायझिंग क्रिमिंग एवं द्विस्टींग
5. स्टॅण्ड अलोन स्पीनिंग
6. मैचिंग डाऊनस्ट्रीम क्षमता के साथ कताई
7. विस्कोज फिलामेंट यार्न /विस्कोज स्टेपल फायबर का विनिर्माण
8. स्वतंत्र बुनाई तैयारियां
9. बुनाई
10. निटिंग
11. नॉन वूवन तथा नॉन वूवन का कनवर्टर
12. स्टॅड अलोन आधार पर एम्ब्रायडरी
13. तकनीकी वस्त्र
14. गारमेंट विनिर्माण
15. मेडअप विनिर्माण
16. फायबर, यार्न फेब्रिक , गारमेंट तथा मेडअप की प्रक्रिया
17. पटसन उद्योग
18. कारपेट विनिर्माण
19. हथकरघा बुनाई
20. संयुक्त उन्नयन (कताई,बुनाई/निटिंग एवं प्रोसेसिंग में उन्नयन हेतु जानेवाली इकाइयां)
21. बहु गतिविधियां (उपरोक्त उल्लिखित संयुक्त उन्नयन के बिना दो या उससे अधिक गतिविधियों के साथ इकाइयां)। बहु गतिविधियों के मामले में गतिविधियों के नामों का उल्लेख किया जाए।

परिशिष्ट – वी

**सहयोजित राज्य वित्तीय निगमों / राज्य औद्योगिक विकास निगमों / द्विन फंक्शन औद्योगिक विकास निगमों
, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, सहयोजित बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची**

1. अनुसूचित व्यापारिक बैंक

- ए. आई डी बी आय तथा एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
1. बैंक ऑफ अमेरिका
 2. बैंक ऑफ नोवा स्कोटीया
 3. बैंक नेशनल डे पेरीस (फ्रेंच बैंक)
 4. सीटी बैंक
 5. डेयुस्चड बैंक
 6. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (ए बी एन एमरो बैंक एन.वी.)
 7. स्टॅन्डर्ड चार्टड बैंक
 8. एच डी एफ सी बैंक
 9. हॉग — कॉग बैंक एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन
 - बी केवल बाय एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
 10. एलेजेमेने बैंक नैदरलैंड एन.वी.
 11. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनॅशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन
 12. बैंक ऑफ बैहरीन एण्ड कुवैट बी. एस. सी.
 13. बैंक ऑफ टोकियो लिमिटेड
 14. बैंक इंडोसूझ
 15. बरेली कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड
 16. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
 17. ब्रिटीश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट
 18. क्रेडीट लॉयन्सीस
 19. डेव्हलपमेंट क्रेडीट बैंक लिमिटेड बॉम्बे
 20. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
 21. ड्रेस्डर्न बैंक एजी.
 22. इमीरेट्स कॉमिश्नियल बैंक लिमिटेड (आबू दाभी कॉमिश्नियल बैंक)
 23. ग्रिंडलैज बैंक
 24. मितसुई बैंक लिमिटेड

25. नैनीताल बैंक लिमिटेड
26. नेदुनगड़ी बैंक लिमिटेड
27. ओमन इंटरनॅशनल बैंक एस.ए.ओ.
28. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
29. सांगली बैंक लिमिटेड
30. सनवा बैंक लिमिटेड नई दिल्ली
31. सोसीइट जनरेट पेरीस (फ्रांस)
32. टाइम्स बैंक
- सी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
33. येस बैंक लिमिटेड
34. कोटक महिन्द्रा बैंक
- ॥ कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक्स**
- ए आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
35. द ग्रेटर बॉम्बे कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
36. द सोलापुर जिला सेन्ट्रल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
37. द जलगांव पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
38. प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी पतपेढ़ी
- बी. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
39. बॉम्बे मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई
40. डोंबीवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
41. द कॉसमॉस कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
42. जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
43. सूरत पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
44. द न्यू इंडिया कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
45. द सारस्वत कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
46. द शामराव विठ्ठल कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
47. द सूरत जिला कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
48. द सुटेक्स कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, सूरत
49. महाराष्ट्र स्टेट कॉ.ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, मुंबई

50. सर्वोदया सहकारी बैंक लिमिटेड
51. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड
52. अभ्युदय कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
53. प्राईम कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
54. श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड
55. सूरत नॅशनल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
56. द कुर्ला नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
57. द झोरास्ट्रियन कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
58. द शिरपुर पीपुल्स कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
59. द धुले विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
60. द जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड,
61. व्यापरी सहकारी बैंक लिमिटेड
- सी.** **एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
62. अपना सहकारी बैंक लिमिटेड
63. गुजरात इंडस्ट्रियल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत
64. इचलकंरजी जनता सहकारी बैंक
65. जनता कॉ.ऑपरेटिव बैंक, मालेगांव, महाराष्ट्र
66. कालूपुर कमिश्नियल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
67. राजकोट नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
68. श्री वीरशैव कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
69. टेक्सटाईल कॉ.ऑपरेटिव बैंक, बैंगलोर, कर्नाटका
70. द कपोल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
71. द नाशिक मर्चन्ट्स कॉ.ऑपरेटिव बैंक(एन ए एम सी ओ बैंक)
72. द पंचशील मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
73. विटा मर्चन्ट्स कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
74. द सूरत नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
75. द नव-जीवन कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
76. द सूरत मर्कन्टाइल कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
77. श्री पार्श्वनाथ कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

78. द कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
79. जैन सहकारी बैंक लिमिटेड
80. भारत कॉ.ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड
81. इचलकरंजी अरबन कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
82. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
83. द वरच्छा कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
84. मेहसाणा कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
85. चौंदेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड
86. नूतन नागरीक सहकारी बैंक लिमिटेड
87. द उधना सीटीजन कॉ.ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- III. अन्य वित्तीय निगम (एस एफ सी एस)
- ए. आय डी बी आय एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
88. आसाम फायनान्शियल कारपोरेशन
89. बिहार फायनान्शियल कारपोरेशन
90. दिल्ली फायनान्शियल कारपोरेशन
91. गुजरात स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
92. हिमाचल प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
93. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
94. कर्नाटका स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
95. केरला फायनान्शियल कारपोरेशन
96. मध्य – प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
97. उडीसा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
98. पंजाब फायनान्शियल कारपोरेशन
99. राजस्थान फायनान्शियल कारपोरेशन
100. तामिलनाडु इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
101. उत्तर प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन
102. वेस्ट बंगाल फायनान्शियल कारपोरेशन
- बी. आय डी बी आय, एस आय डी बी आय एण्ड आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित
103. आन्ध्र प्रदेश फायनान्शियल कारपोरेशन

104. हरियाणा स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
105. महाराष्ट्र स्टेट फायनान्शियल कारपोरेशन
- IV. स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन एस आय डी सी एस) ए. आय डी बी आय
एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
106. आन्ध्र प्रदेश इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
107. बिहार प्रदेश क्रेडीट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
108. गुजरात इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
109. हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
110. इंडिस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उडीसा लिमिटेड
111. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
112. कर्नाटक स्टेट इंडिस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
113. केरला स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
114. मध्य – प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
115. प्रदेश्य इंडिस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड
116. पंजाब स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
117. राजस्थान स्टेट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
118. स्टेट इंडिस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड
119. स्टेट इंडिस्ट्रीस प्रमोशन कारपोरेशन ऑफ तामिलनाडु लिमिटेड
120. वेस्ट बंगाल इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. आय डी बी आय, एस आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित**
121. आसाम इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
122. हरियाणा स्टेट इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- V. टिवीन फंक्शन इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन**
- ए. आय डी बी आय, एवं एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित**
123. अंदमान एण्ड निकोबार इजलैंड इंटरगेटेड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
124. अरुणाचल प्रदेश इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट एण्ड फायनान्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
125. इकोनौमिक डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ऑफ गोवा दमन एण्ड दिव लिमिटेड
126. मणिपुर इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
127. मेघालय इंडिस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

128. मिझोरम इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
129. नागालैंड इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
130. ओमनीबस इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन ॲफ दमन एण्ड दिऊ एण्ड दादरा
एण्ड नगर हवेली लिमिटेड (ओ एच डी सी)
131. पौडेरी इंडिस्ट्रयल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
132. सिक्किम इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
133. तिरुपुर इंडिस्ट्रयल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. केवल आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित (जूट इंडस्ट्रीस के लिए)
134. नार्थ ईर्स्टन डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
- VI. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
- बी. केवल आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
135. भारतीय जीवन बीमा निगम
- सी. आय डी बी आय एवं आय एफ सी आय द्वारा सहयोजित
136. इंडिस्ट्रयल इनवेस्टमेंट बैंक ॲफ इंडिया
- VII. अन्य
- ए. एस आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
137. नॅशनल स्मॉल इंडिस्ट्रीस कारपोरेशन लिमिटेड
- बी. आय डी बी आय द्वारा सहयोजित
138. इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (आय आर ई डी ए)

कृपया चुनाव किए गए प्रौद्यनियो लाभ उल्लेख करें, यथा, 4% आईआर 5% आई आर अथवा 5% आई आर अधिक 10% पूँजी सहायता अथवा 4% / 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अथवा 5% विदेशी विनियम अस्थिरता / फरवर्ड कवर प्रिमियम अधिक 10% पूँजी सहायता अथवा 15% एमएसएस अथवा 20% एमएसएस अथवा 25% पूँजी सहायता ।

